52

वित्त संबंधी स्थायी समिति
(2022-2023)

सत्रहवीं लोक सभा

'प्रतिस्पर्धा (संशोधन) विधेयक, 2022'

(कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय)

बावनवाँ प्रतिवेदन

लोक सभा सचिवालय
नई दिल्ली

दिसंबर, 2022 / अग्रहायण, 1944 (शक)

बावनवाँ प्रतिवेदन

वित्त संबंधी स्थायी समिति

(2022-2023)

(सत्रहवीं लोक सभा)

'प्रतिस्पर्धा (संशोधन) विधेयक, 2022'

(कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय)

13 दिसम्बर, 2022 को लोक सभा में प्रस्तुत किया गया

13 दिसम्बर, 2022 को राज्य सभा के पटल पर रखा गया

लोक सभा सचिवालय
नई दिल्ली

दिसम्बर, 2022 / अग्रहायण, 1944 (शक)

विषय सूची

पृष्ठ सं.

समिति की संरचना...

प्राक्कथन...

प्रतिवेदन		पृष्ठ सं.
I.	पृष्ठभूमि	1
II.	विधेयक की मुख्य विशेषताएं	3
III.	चर्चा किए गए मुद्दे	
	1) संव्यवहार मूल्य सीमा	6
	2) 'नियंत्रण' की परिभाषा	14
	3) प्रक्रियात्मक घटनाक्रम (खंड 29 और 31 के साथ पठित खंड 62 (क))	18
	4) महानिदेशक (डीजी) के विधिक सलाहकारों को हटाने की सक्षमता	22
	5) निपटान और प्रतिबद्धता	26
	6) हब और स्पोक कार्टेल	36
	7) न्यायिक सदस्य की आवश्यकता	40
	8) प्रभुत्व की स्थिति के दुरूपयोग से रक्षा के रूप में बौद्धिक सम्पदा अधिकार (आईपीआर)	42
	9) प्रभाव आधारित परिक्षण	46

अनुबंध

I. 28 अक्तूबर 2022, 4 नवंबर 2022, 29 नवंबर 2022 और 08.12. 2022 को हुई समिति की बैठकों का कार्यवाही सारांश

II. 'प्रतिस्पर्धा (संशोधन) विधेयक, 2022

वित्त संबंधी स्थायी समिति (2022-23) की संरचना

श्री जयंत सिन्हा – सभापति

सदस्य

लोक सभा

2. श्री एस. एस. अहलुवालिया
3. श्री सुखबीर सिंह बादल
4. श्री सुभाष चन्द्र बहेड़िया
5. डॉ. सुभाष रामराव भामरे
6. श्रीमती सुनीता दुग्गल
7. श्री गौरव गोगोई
8. श्री सुधीर गुप्ता
9. श्री मनोज कोटक
10. श्री पिनाकी मिश्रा
11. श्री हेमंत पाटिल
12. श्री रवि शंकर प्रसाद
13. श्री नामा नागेश्वर राव
14. प्रो. सौगात राय
15. श्री पी. वी. मिधुन रेड्डी
16. श्री गोपाल शेट्टी
17. श्री प्रवेश साहिब सिंह वर्मा
18. डॉ. (प्रो) कीरिट प्रेमजीभाई सोलंकी
19. श्री मनीश तिवारी
20. श्री बालाशौरी वल्लभनेनी
21. श्री राजेश वर्मा

राज्य सभा

22. डॉ. राधा मोहन दस अग्रवाल
23. श्री राघव चड्ढा
24. श्री पी. चिदम्बरम
25. श्री दामोदर राव दिवाकोंडा
26. श्री रायगा कृष्णैया
27. श्री सुशिल कुमार मोदी
28. डॉ. अमर पटनायक
29. डॉ. सी. एम्. रमेश
30. श्री जी. वी. एल. नरसिंहा राव

31. डॉ. मनमोहन सिंह

सचिवालय

1.	श्री सिद्धार्थ महाजन	-	संयुक्त सचिव
2.	श्री रामकुमार सूर्यनारायण	-	निदेशक
3.	श्री कुलमोहन सिंह अरोड़ा	-	अपर निदेशक
4.	सुश्री अभिरुचि श्रीवास्तव	-	सहायक समिति अधिकारी

प्रस्तावना

मैं, वित्त संबंधी स्थायी समिति का सभापति, समिति द्वारा प्राधिकृत किए जाने पर 'प्रतिस्पर्धा (संशोधन) विधेयक, 2022' पर यह बावनवां प्रतिवेदन प्रस्तुत करता हूं।

2. 05 अगस्त, 2022 को लोकसभा में प्रस्तुत किया गया 'प्रतिस्पर्धा (संशोधन) विधेयक, 2022' 16 अगस्त, 2022 को लोकसभा अध्यक्ष द्वारा जांच और प्रतिवेदन प्रस्तुत करने के लिए लोकसभा प्रक्रिया कार्य संचालन नियमों के नियम 331ई के अंतर्गत समिति को भेजा गया था।

3. समिति ने 28 अक्टूबर, 2022 को हुई अपनी बैठक में कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय, उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय (उपभोक्ता मामले विभाग), वाणिज्य मंत्रालय (उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग) और भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग (सीसीआई) के प्रतिनिधियों का साक्ष्य लिया।

4. समिति ने 04 नवंबर, 2022 को आयोजित अपनी बैठक में भारतीय वाणिज्य और उद्योग मंडल (फिक्की), एज़ेडबी पार्टनर्स (AZB Partners), कंज्यूमर यूनिटी एंड ट्रस्ट सोसाइटी (सीयूटीएस) इंटरनेशनल, श्री विनोद ढल, वरिष्ठ सलाहकार, टचस्टोन पार्टनर्स के प्रतिनिधियों और डॉ. आदित्य भट्टाचार्य, अर्थशास्त्र प्रोफेसर, दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स (डीएसई) के विचार सुने। 19 नवम्बर, 2022 को समिति ने कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय तथा भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग (सीसीआई) के प्रतिनिधियों का साक्ष्य लिया। समिति ने 8 दिसम्बर 2022 को विधि और न्याय मंत्रालय (विधिक कार्य विभाग) के प्रतिनिधियों से भी बातचीत की।

5. समिति ने 08 दिसंबर, 2022 को हुई अपनी बैठक में इस प्रतिवेदन पर विचार किया और इसे स्वीकार किया।

6. समिति, कॉर्पोरेट कार्य, विधि और न्याय, उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण (उपभोक्ता मामले विभाग), वाणिज्य (उद्योग और आतंरिक व्यापार संवर्धन विभाग) मंत्रालयों और भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग (सीसीआई) के अधिकारियों को उनके सहयोग के लिए और विधेयक

और विधेयक पर उनके बहुमूल्य सुझावों के लिए सभी विशेषज्ञों, हितधारकों और व्यक्तियों की सराहना करती है। समिति भारतीय वाणिज्य और उद्योग मंडल (फिक्की), एज़ेडबी पार्टनर्स, कंज्यूमर यूनिटी एंड ट्रस्ट सोसाइटी (सीयूटीएस) इंटरनेशनल, श्री विनोद ढल, वरिष्ठ सलाहकार, टचस्टोन पार्टनर्स के प्रतिनिधियों और डॉ. आदित्य भट्टाचार्य, अर्थशास्त्र प्रोफेसर, दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स (डीएसई) को भी विधेयक पर उनके बहुमूल्य विचार और सुझाव देने के लिए धन्यवाद देती है।

7. संदर्भ की सुविधा के लिए, समिति की टिप्पणियों/सिफारिशों को प्रतिवेदन के मुख्य भाग में मोटे अक्षरों में मुद्रित किया गया है।

नई दिल्ली
08 दिसंबर, 2022
17 अग्रहायण, 1944(शक)

श्री जयंत सिन्हा
सभापति,
वित्त संबंधी स्थायी समिति

प्रतिवेदन

एक. पृष्ठभूमि

1.1 एकाधिकार तथा अवरोधक व्यापार व्यवहार (एमआरटीपी) अधिनियम 1969 में एकाधिकार, अवरोधक और अनुचित व्यापार व्यवहारों को प्रतिबंधित करने के लिए अधिनियमित किया गया था। हालांकि, 1990 के दशक में आर्थिक सुधारों, वैश्वीकरण और व्यापार उदारीकरण ने एकाधिकार पर अंकुश लगाने से प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देने संबंधी बदलाव देखा और इससे एमआरटीपी अधिनियम में संशोधन करना आवश्यक हो गया। संसद ने **प्रतिस्पर्धा अधिनियम, 2002 (अधिनियम) को अधिनियमित किया**, जिसे 13 जनवरी, 2003 को भारत के राष्ट्रपति की स्वीकृति मिली। अधिनियम का ढांचा मोटे तौर पर चार स्तंभों पर टिका हुआ है, यथा प्रतिस्पर्धा-रोधी समझौतों का प्रतिषेध (धारा 3), प्रभुत्व के दुरुपयोग का प्रतिषेध (धारा 4), संयोजनों का विनियमन (धारा 5 और 6), और प्रतिस्पर्धा पक्षसमर्थन (धारा 49)।

(i) आयोग की स्थापना, महानिदेशक कार्यालय और आयोग के पक्षसमर्थन कार्यों से संबंधित धाराओं को 2003 में अधिसूचित किया गया था।

(ii) 2003-2009 (मई, 2009 तक) के बीच, कार्यकलाप अधिनियम के पक्षसमर्थन के आसपास केंद्रित थे।

(iii) धारा 3 (प्रतिस्पर्धा रोधी समझौतों का निषेध), धारा 4 (प्रभुत्व स्थिति का दुरुपयोग) और अन्य संबंधित धाराओं को मई 2009 में अधिसूचित किया गया था।

(iv) धारा 5 (संयोजन- अधिग्रहण, नियंत्रण और विलय), धारा 6 (संयोजनों का विनियमन) और अन्य संबंधित धाराओं को जून 2011 में अधिसूचित किया गया था।

1.2 अधिनियम के अधिनियमन के बाद से पिछले दो दशकों में, इसमें तीन बार संशोधन किया गया है;

(i) <u>2007 में संशोधन</u>: भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग (सीसीआई) द्वारा पारित निर्णयों/ आदेशों के विरुद्ध अपीलों की सुनवाई और निपटान के लिए आयोग की संरचना में बदलाव और प्रतिस्पर्धा अपील अधिकरण (सीओएमपीएटी) की स्थापना के लिए महत्वपूर्ण संशोधन किए गए। पहले कोई अपीलीय अधिकरण नहीं था और मामलों की सुनवाई सीधे उच्चतम न्यायालय द्वारा की जा रही थी;

(ii) <u>2009 में संशोधन</u>: एमआरटीपी आयोग के समक्ष प्रतिबंधित व्यापार व्यवहारों से संबंधित सभी लंबित मामलों को सीसीआई को अंतरित करने के लिए; तथा

(iii) <u>2017 में संशोधन:</u> वित्त अधिनियम 2017 के माध्यम से, सीओएमपीएटी को प्रतिस्पर्धा संबंधी मामलों पर सभी अपीलों की सुनवाई के लिए एनसीएलएटी से प्रतिस्थापित कर दिया गया था।

1.3 नए युग की प्रौद्योगिकी, डिजिटल बाजार, ई-कॉमर्स, एग्रीगेटर मॉडल आदि जैसे नए व्यापार मॉडल के उद्भव के नेतृत्व से बाजार की गतिशीलता में परिवर्तन हुए जिस कारण से प्रतिस्पर्धा अधिनियम, 2002 में संशोधन करना आवश्यक हो गया। उपरोक्त को ध्यान में रखते हुए, कारपोरेट कार्य मंत्रालय (एमसीए) ने प्रमुख हितधारकों के परामर्श से एक मजबूत प्रतिस्पर्धा कानून ढांचे की समीक्षा और सिफारिश करने के लिए अक्टूबर, 2018 में प्रतिस्पर्धा कानून समीक्षा समिति (सीएलआरसी) का गठन किया जिसका कार्य विधि के महत्वपूर्ण और प्रक्रियात्मक दोनों पहलुओं में बदलाव के सुझाव देना होगा। सीएलआरसी में नीति आयोग, वाणिज्य विभाग, आर्थिक कार्य विभाग, उपभोक्ता मामले विभाग, उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग के प्रतिनिधि, प्रख्यात वकील, अर्थशास्त्री, शिक्षाविद और विशेषज्ञ शामिल थे। सीएलआरसी द्वारा अधिनियम में लाए जाने वाले परिवर्तनों पर सुझाव मांगने के लिए आम जनता सहित विभिन्न हितधारकों से टिप्पणियां आमंत्रित की गई थीं। सीएलआरसी ने अपने प्रतिवेदन में सिफारिशें करते समय इन टिप्पणियों पर विचार किया।

1.4 सीएलआरसी ने जुलाई 2019 में सरकार को अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत किया और प्रतिस्पर्धा कानून व्यवस्था को अधिक मजबूत और प्रभावी बनाने के आशय से अधिनियम में संशोधन की सिफारिश की। सीएलआरसी की सिफारिशों के आधार पर प्रारूप प्रतिस्पर्धा (संशोधन) विधेयक तैयार किया गया था। प्रारूप विधेयक को सार्वजनिक डोमेन पर रखा गया था और प्रारूप विधेयक तैयार करते समय विभिन्न हितधारकों से प्राप्त टिप्पणियों की समीक्षा की गई थी और उन पर विचार किया गया था। प्रतिस्पर्धा (संशोधन) विधेयक के प्रारूप पर नीति आयोग, वाणिज्य विभाग (डीओसी), उपभोक्ता मामले विभाग (डीओसीए), उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग (डीपीआईआईटी), आर्थिक कार्य विभाग (डीईए), विधि कार्य विभाग (डीओएलए) और विधायी विभाग के साथ विचार-विमर्श किया गया है।

1.5 मंत्रिमंडल ने 27 जुलाई, 2022 को हुई अपनी बैठक में प्रतिस्पर्धा अधिनियम, 2002 में आगे और संशोधन करने के लिए संसद में प्रतिस्पर्धा (संशोधन) विधेयक, 2022 को पुरःस्थापित करने के लिए कारपोरेट कार्य मंत्रालय के प्रस्ताव पर विचार किया था और उसे अनुमोदित किया था। यह विधेयक 5 अगस्त, 2022 को लोकसभा में पुरःस्थापित किया गया था और इसे जांच और उस पर अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत करने के लिए वित्त संबंधी स्थायी संसदीय समिति को भेज दिया गया।

दो. विधेयक की मुख्य विशेषताएं

2.1. प्रारूप विधेयक में प्रस्तावित संशोधनों की कुछ मुख्य विशेषताएं निम्नवत हैं:-

(i) समयबद्ध और त्वरित संयोजनों का आकलन करने के मद्देनजर, ऐसे आकलन के लिए समग्र समय-सीमा को पक्षों द्वारा संयोजन नोटिस प्रस्तुत करने की तारीख से मौजूदा 210 दिनों से घटाकर 150 दिन करने का प्रस्ताव है। इसके अतिरिक्त, आयोग इस तरह के नोटिस प्राप्त होने के 20 दिनों की समय-अवधि के भीतर संयोजन अधिसूचनाओं पर प्रथम दृष्टया राय बनाएगा, ऐसा न होने पर संयोजन को अनुमोदित मान लिया जाएगा;

(ii) इटली, मैक्सिको और लातविया के अधिकार क्षेत्र की तर्ज पर कुछ संयोजनों के लिए ग्रीन चैनल मार्ग की शुरूआत की गई है जो संयोजन नोटिस प्रस्तुत करने पर विश्वास-आधारित रूपरेखा में मानद अनुमोदन का पात्र होगा। इसका उद्देश्य संयोजनों की कतिपय श्रेणियों के लिए ठहराव अवधि को समाप्त करके 'व्यापार करने में आसानी' को प्रोत्साहित करना है, जिसे विनियमों द्वारा निर्दिष्ट किया जाएगा;

(iii) नियमों के माध्यम से प्रदान की जाने वाली एक निश्चित सीमा (जिसे परिसंपत्ति या टर्नओवर के संदर्भ में मापा जाता है) से नीचे के संयोजनों के लिए अत्यल्प (डि-मिनिमिस) छूट को अधिनियम में शामिल करने का प्रस्ताव है। वर्तमान में, अधिनियम की धारा 54 के अंतर्गत जारी अधिसूचनाओं के माध्यम से इस तरह की छूट प्रदान की जा रही है। यह सीमा उन लक्षित उद्यमों पर लागू होगा, जिन्हें अधिगृहित किया जा रहा है, नियंत्रण में लिया जा रहा है, या जिन्हें/जिनका दूसरे के साथ समामेलित/विलय किया जा रहा है;

(iv) सर्वोत्तम वैश्विक व्यवहारों की तर्ज पर, डिजिटल बाजार जहां अधिगृहित किए जा रहे उद्यमों के पास संपत्ति और टर्नओवर तो न्यूनतम है परंतु उनके पास बहुमूल्य डेटा, प्रौद्योगिकी और बाजार सूचना आदि के रूप में भारी संभावना उपलब्ध है; इस प्रकार के नए युग के बाजारों में संयोजनों को अधिसूचित करने के लिए 'लेनदेन के मूल्य' के संदर्भ में परीक्षण के आकार को एक अन्य मानदंड के रूप में पेश करने का प्रस्ताव है। लेनदेन मूल्य संबंधी ये सीमाएं आस्ट्रियन फेडरल काम्पिटिशन अथॉरिटी और जर्मन काम्पिटिशन अथॉरिटी द्वारा प्राथमिक टर्नओवर सीमा पूरा नहीं करने वाले मामलों के लिए पेश की गई है, परंतु इसके लिए मुख्य रूप से नई प्रौद्योगिकी द्वारा संचालित बदलते आर्थिक परिदृश्य में नवाचार और प्रतिस्पर्धा की रक्षा के लिए विलय नियंत्रण मूल्यांकन की आवश्यकता होती है;

(v) मुकदमेबाजी को काफी कम करने के लिए एक निपटान और प्रतिबद्धता ढांचे की शुरूआत करने का प्रस्ताव है जिससे भारत की छवि एक व्यापार-अनुकूल राष्ट्र के रूप में उभरकर सामने आएगी। यूरोपीय संघ, यूनाइटेड किंगडम और सिंगापुर जैसे कुछ न्यायालय विश्वास-रोधी कार्यवाही में निपटान और प्रतिबद्धता का उपबंध किया गया है;

(vi) प्रतिस्पर्धा-रोधी समझौतों का दायरा बढ़ाया जाना चाहिए ताकि ऊर्ध्वाधर और क्षैतिज समझौते जो प्रतिस्पर्धा-विरोधी प्रकृति के हैं, के अतिरिक्त अन्य समझौतों को शामिल किया जा सके;

(vii) संयुक्त राज्य अमेरिका और यूनाइटेड किंगडम जैसे अन्य अधिकार क्षेत्रों में प्रतिस्पर्धा प्राधिकरणों की तर्ज पर इस तरह के समझौते के लिए अन्य पक्षों के साथ एक प्रतिस्पर्धी रोधी क्षैतिज समझौते को सुविधाजनक बनाने वाले पक्ष को भी कवर करने का प्रस्ताव है;

(viii) आयोग के कामकाज को अधिक परिचालात्मक बनाने और उसमें प्रशासनिक दक्षता लाने के लिए महानिदेशक (डीजी) की नियुक्ति करने की शक्ति केंद्र सरकार की बजाय आयोग को प्रदान करने का प्रस्ताव है। तथापि, नियंत्रण रखने और संतुलन बनाए रखने के लिए तथा महानिदेशक के पद के कार्यकरण की स्वतंत्रता सुनिश्चित करने के लिए ऐसी नियुक्ति केंद्र सरकार का पूर्व अनुमोदन प्राप्त करने के बाद की जाएगी;

(ix) राष्ट्रीय कंपनी विधि अपील अधिकरण (एनसीएलएटी) द्वारा उक्त अधिनियम के अंतर्गत जुर्माने/कारावास के विद्यमान उपबंध को न्यायालय की अवमानना अधिनियम, 1971 के उपबंधों के अनुसार अवमानना को दंड से प्रतिस्थापित करने का प्रस्ताव है और अधिनियम के कुछ अन्य उपबंधों में 'जुर्माने' शब्द को 'शास्ति' से प्रतिस्थापित किया जा रहा है;

(x) व्यवसायों के लिए अधिक निश्चितता लाने के लिए प्राधिकारियों के समक्ष उठाए गए मामलों पर अंतर-नियामक परामर्श का दायरा बढ़ाने का प्रस्ताव है;

(xi) यह प्रस्ताव किया गया है कि आयोग अपने प्रवर्तन व्यवहारों में अधिक पारदर्शिता और निश्चितता के लिए अधिनियम के उपबंधों के उल्लंघन के लिए अधिरोपित होने वाली शास्ति की गणना सहित मामलों पर मार्गदर्शन नोट जारी करे। ब्रिटेन, जर्मनी, यूरोपीय संघ, सिंगापुर, दक्षिण अफ्रीका, जापान और दक्षिण कोरिया जैसे अधिकार क्षेत्रों में प्रतिस्पर्धा प्राधिकारियों ने विश्वास-रोधी मामलों पर ऐसे शास्ति दिशानिर्देश जारी किए हैं;

(xii) सीसीआई के समक्ष सूचना फाइल करने के लिए 3 वर्ष की सीमा अवधि का प्रस्ताव किया गया है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि बाजार में प्रतिस्पर्धा पर प्रतिकूल प्रभाव डालने वाले केवल वास्तविक मामलों पर ही विचार किया जाए और आयोग की सीमित जनशक्ति पर अनावश्यक बोझ न पड़े;

(xiii) यह प्रस्तावित किया गया है कि सीसीआई सार्वजनिक परामर्श के बाद ही विनियम जारी करे;

(xiv) संयुक्त राज्य अमेरिका, यूनाइटेड किंगडम, सिंगापुर और ब्राजील जैसे अधिकार क्षेत्रों की तर्ज पर, अन्य मौजूदा कार्टेल के बारे में जानकारी के प्रकटन के लिए चल रही कार्टेल जांच में पक्षकारों को प्रोत्साहित करने के लिए एक उदारता प्लस फ्रेमवर्क बनाने का प्रस्ताव है;

(xv) अन्य महत्वपूर्ण संशोधनों में 'उद्यम', 'प्रासंगिक उत्पाद बाजार', 'समूह', 'नियंत्रण' आदि जैसी कुछ परिभाषाओं में परिवर्तन करना शामिल हैं।

(xvi) अपराधों के प्रशमन के लिए एक उपबंध करना जिसके अंतर्गत केवल उन अपराधों का प्रशमन किया जा सकता है जिनमें जुर्माने के साथ या जुर्माने के बिना कारावास का दंड नहीं दिया गया है।

तीन. चर्चा किए गए विषय

3.1 प्रतिस्पर्धा (संशोधन) विधेयक, 2022 की विस्तृत जांच और हितधारकों से प्राप्त सुझावों को ध्यान में रखते हुए, समिति ने विधेयक के कुछ महत्वपूर्ण खंडों पर टिप्पणी की है और खंडों में अनुशंसित संशोधनों को निम्नवत रेखांकित किया गया है:

1) सौदा मूल्य सीमा

सौदा मूल्य सीमा का उपबंध वर्तमान में मूल अधिनियम में नहीं हैं

विधेयक का खंड 6 निम्नवत पठनीय है:

मूल अधिनियम की धारा 5 में-

खंड (ग) के पश्चात्, निम्नलिखित खंडों को अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:-

(घ) किसी उद्यम के किसी नियंत्रण, शेयरों, मतदान अधिकारियों या आस्तियों के अर्जन, विलयन या समामेलन के संबंध में किसी लेन-देन का मूल्य दो हजार करोड़ रुपये से अधिक होता है

परंतु यह ही उद्यम, जो लेन-देन में एक पक्षकार है, के भारत में ऐसे महत्वपूर्ण कारबार प्रचालन विद्यमान है, जो विनियमों द्वारा विहित किए जाएं।

3.2 उपर्युक्त मुद्दे पर, भारतीय वाणिज्य एवं उद्योग परिसंघ (एफआईसीसीआई) ने निम्नलिखित सुझाव दिए:

"यह निवेदन किया गया कि प्रस्तावित उपबंध को शामिल नहीं किया जाना चाहिए। यदि उपबंध को बरकरार रखा ही जाना है तो यह सुझाव दिया जाता है कि संविधि (जिसे केवल संसदीय प्रक्रिया के माध्यम से संशोधित किया जा सके) में विशिष्ट सीमा का विरोध करने वाले सक्षमकारी उपबंध किया जा सके। यह अधिदेशात्मक है क्योंकि कोई भी आश्वस्त नहीं है कि इस हस्तक्षेप की कौन सी चुनौतियां और परिणाम सामने आने वाले हैं। नियामक के लचीलेपन और अनुकूलनशीलता से समझौता किया जाएगा।

संयोजनों के निर्धारण के लिए प्रस्तावित लेनदेन मूल्य-आधारित सीमा की शुरूआत के संबंध में निम्नलिखित बिंदुओं को नोट किया जाए –

(i) ऐसे उद्योगों जहां परिसंपत्ति/ टर्नओवर आकार किसी कंपनी की बाजार उपस्थिति के समुचित प्रदर्शक हैं, सहित सभी उद्योगों के लिए लेनदेन मूल्य सीमा लागू करने से इस प्रकार की कंपनियों और विनियामक दोनों पर अनावश्यक बोझ पड़ेगा। यद्यपि कुछ क्षेत्र ऐसे हो सकते हैं जहां सीमा का

अनुप्रयोग प्रासंगिक हो जाता है, निश्चित रूप से यह सभी क्षेत्रों में समान महत्व के साथ लागू नहीं हो सकता।

(ii) लेनदेन मूल्य इस बात का निर्धारक कारक नहीं है कि लेनदेन का बाजार प्रतिस्पर्धा पर क्या प्रभाव पड़ेगा। ऐसे भी उदाहरण हो सकते हैं जहां एक कंपनी अधिग्रहण लेनदेन के माध्यम से एक नए प्रासंगिक उत्पाद बाजार में प्रवेश करना चाहती है जिसका मूल्य लेनदेन सीमा से अधिक है। हालांकि इससे आम तौर पर बाजार में प्रतिस्पर्धा में सुधार / वृद्धि होने की उम्मीद है, फिर भी अधिसूचना / अनुमोदन आवश्यकताओं के कारण इस तरह के लेनदेन को रोक दिया जाएगा। कई समकालीन सौदों के लिए "लेनदेन मूल्य" को परिभाषित करना जटिल हो सकता है, विशेषकर ऐसी स्थिति में जहां शेयरों या अर्न-आउट भुगतान, आकस्मिक व्यय, आनुषंगिक/साइड सौदा भुगतान के माध्यम से किए गए भुगतान शामिल है।"

3.3 अपनी लिखित जानकारी देते समय, कार्पोरेट कार्य मंत्रालय ने उपर्युक्त सुझाव पर निम्नवत् बताया:

- "यह बताया गया है कि सर्वोत्तम वैश्विक प्रथाओं की तर्ज पर, लेनदेन परीक्षण के आकार जिसमें 'लेनदेन के मूल्य' को संयोजनों को अधिसूचित करने के अन्य मानदंड के रूप में को शामिल करने का प्रस्ताव है।
- यह मुख्य रूप से डिजिटल और नए युग के बाजारों जैसे मामलों में लागू होगा, जहां अधिगृहित किए जा रहे उद्यमों के पास न्यूनतम संपत्ति और कारोबार है; परंतु डेटा, बाजार सूचना आदि पर नियंत्रण की काफी संभावना है।
- इसके अतिरिक्त, लेनदेन मूल्य संबंधी सीमाएं आस्ट्रियन फेडरल काम्पिटिशन अथॉरिटी और जर्मन काम्पिटिशन अथॉरिटी द्वारा प्राथमिक टर्नओवर सीमा पूरा नहीं करने वाले मामलों के लिए शुरू की गई है, परंतु इसके लिए मुख्य रूप से नई प्रौद्योगिकी द्वारा संचालित बदलते आर्थिक परिदृश्य में नवाचार और प्रतिस्पर्धा की रक्षा के लिए विलय नियंत्रण मूल्यांकन की आवश्यकता होती है;
- यह बताया गया है कि अधिनियम की धारा 20 (3) हर दो साल में परिसंपत्तियों और टर्नओवर मानदंडों की समीक्षा को अनिवार्य बनाती है। इसलिए, धारा 20 (3) में संशोधन किया गया है ताकि धारा 5 के खंड (घ) अर्थात "लेनदेन का मूल्य" मानदंड शामिल किया जा सके, जिसकी समय-समय पर समीक्षा भी की जा सकती है।
- इसके अतिरिक्त, लेनदेन के मूल्य को विधेयक में संयोजनों को अधिसूचित करने वाले एकमात्र मानदंड के रूप में विहित किया गया है। यह उपबंध किया गया है कि कोई उद्यम जो इस तरह के लेनदेन में एक पक्ष है, उसका भारत में पर्याप्त व्यावसायिक संचालन विद्यमान होना चाहिए।
- इस संबंध में आयोग द्वारा बनाए जाने वाले विनियम हितधारक; जो सभी चिंताओं का ध्यान रखेंगे, के साथ उचित परामर्श के बाद निरूपित किए जाएंगे।"

3.4 इसको और विस्तार से बताते हुए, हितधारकों ने निम्नवत् बताया:-

"जबकि लेनदेन के मूल्य के आधार पर सीमा निर्धारित करना एक स्वागत योग्य कदम है,परंतु कुछ ऐसे बिंदु हैं जिनके संबंध में आगे मार्गदर्शन आवश्यक होगा:

(क) प्रस्तावित संशोधन में भारत गठजोड़ मानदंड (लेनदेन में शामिल किसी भी ऐसे पक्ष के माध्यम से जिसका भारत में पर्याप्त व्यापार संचालन होता हो) का भी उपबंध है। यद्यपि, इस अतिरिक्त परीक्षण का दायरा विधेयक में विहित नहीं किया गया है, और इसके बजाय इसे परिभाषित करने के लिए विनियामकों पर छोड़ दिया गया है। इसके अतिरिक्त "भारत में पर्याप्त व्यावसायिक संचालन" से क्या आशय है इसे भी स्पष्ट करने की आवश्यकता है - क्या इस परीक्षण का दायरा भारत में स्थानीय उपस्थिति (अर्थात सहायक कंपनी अथवा सर्वर या अन्य साइट जैसी महत्वपूर्ण आईटी परिसंपत्तियों की उपस्थिति के माध्यम से) वाले पक्ष तक सीमित होगा या इसे भारत में संगत उद्योग में अपनी बाजार स्थिति को दर्शाते हुए पक्ष के उपयोगकर्ता / उपभोक्ता आधार के आकार तक विस्तारित किया जा सकता है

(ख) एक और सवाल जो इस प्रस्तावित संशोधन से उठता है वह यह है कि "किसी भी लेनदेन का मूल्य" क्या है और इसकी गणना कैसे की जानी चाहिए। उद्हारण स्वरूप क्या यह भारतीय परिचालन या समग्र वैश्विक लेनदेन का मूल्य होगा?

(ग) अंत में, यह माना गया है कि परिसंपत्तियों/टर्नओवर के संदर्भ में वर्तमान न्यूनतम सीमा उन क्षेत्रों पर लागू नहीं होगी जिन पर यह प्रस्तावित उपबंध लागू होते हैं। विधेयक में इसे स्पष्ट किए जाने की आवश्यकता है।

इसलिए यह सिफारिश की जाती है कि निम्नलिखित के संबंध में विनियमों के माध्यम से विस्तृत मार्गदर्शन की आवश्यकता होगी.: (i) क्षेत्र (क्षेत्रों) जो सौदा मूल्य सीमा के माध्यम से विनियमित होने का इरादा रखते हैं; (ii) भारत में महत्वपूर्ण व्यापार प्रचालनों के दायरे और मापदंडों को स्पष्ट करना; और (iii) " लेनदेन के मूल्य" के दायरे/ गणना को स्पष्ट करना; (iv) यह स्पष्ट करना कि आस्तियों/टर्नओवर के संदर्भ में वर्तमान न्यूनतम सीमा उन लेनदेनों/क्षेत्रों पर लागू नहीं होगी जिन पर यह प्रस्तावित उपबंध लागू होता है।"

3.5 कार्पोरेट कार्य मंत्रालय ने उपर्युक्त सुझाव के संबंध में निम्नलिखित टिप्पणी की:

- "सीएलआरसी की सिफारिश के आधार पर, लेनदेन सीमा के मूल्य को कुछ ऐसे संयोजनों को शामिल करने के उद्देश्य से एक अतिरिक्त मानदंड को सम्मिलित करने का प्रस्ताव किया गया है जिनमें ऐसी कंपनियों को कवर किया जा सकता है जिनकी परिसंपत्तियां / टर्नओवर सीमा से कम है लेकिन डाटा के संदर्भ में समृद्ध हैं।

- परंतुक के साथ पठित विधेयक की धारा 5 (घ) में कहा गया है कि कुछ संयोजन ऐसे हैं जिनका लेनदेन का मूल्य दो हजार करोड़ रुपये से अधिक है और उनका स्थानीय गठजोड़ है तो ऐसे संयोजनों के लिए आवश्यक है की वे आयोग को इस तरह के संयोजन अधिसूचित करें। हालांकि, दो हजार करोड़ रुपये की

मौद्रिक सीमा एक आवश्यक मानदंड है, परंतु जब तक कि इसका कोई स्थानीय गठजोड़ न हो इसके लिए इस तरह के संयोजन को अधिसूचित करना आवश्यक नहीं है। इस प्रकार, इस तरह के संयोजन से आयोग को अधिसूचना तभी आवश्यक होगी जब दोनों शर्तों (अर्थात, दो हजार करोड़ रुपये के लेनदेन मूल्य के साथ-साथ भारत में पर्याप्त व्यावसायिक संचालन) को पूरा किया जाएगा।

- अधिनियम के माध्यम से स्थानीय गठजोड़ का मानदंड निर्धारित नहीं किए जाएंगे; बशर्ते कि इन्हें नए युग के बाजारों की विशेषताओं पर गतिशील रूप से प्रतिक्रिया करने के लिए लोच बनाए रखने के लिए विनियमों के माध्यम से निर्धारित करने का प्रस्ताव है।

- प्रतिस्पर्धा पर प्रतिकूल प्रभाव का निर्धारण अधिनियम में उल्लिखित विभिन्न कारकों के अनुसार फाइलिंग के आधार पर तभी किया जा सकता है जब पक्ष निर्धारित सीमा से अधिक लेनदेन को अधिसूचित करता है और लेनदेन उद्यम का एक ऐसा पक्ष है जो भारत में पर्याप्त व्यावसायिक संचालन करता है।

- न्यूनतम सीमा के दायरे में जो कुछ भी शामिल है, उसका उल्लेख विधेयक के खंड 6 में किया गया है। "लेनदेन के मूल्य" के लिए, न्यूनतम सीमा लागू नहीं होगी।"

3.6 उपर्युक्त खंड पर हितधारकों ने निम्नलिखित सुझाव दिए:-

1. संक्षेप में, मिथ्य सकारात्मकता का प्रशासनिक बोझ, अर्थात्, सीसीआई द्वारा ऐसे अधिक लेनदेनों की समीक्षा करना जिनसे प्रतिस्पर्धी नुकसान पहुंचने की संभावना नहीं है, वर्तमान में निरूपित सौदा मूल्य सीमा के बहुत अधिक लाभ होता प्रतीत नहीं होता है। इस प्रकार, यह सिफारिश की गई है कि सौदा मूल्य सीमा के वर्तमान निरूपण को संशोधन विधेयक से बाहर रखा जाए।

2. इसके बजाय, माननीय समिति सीएलआरसी रिपोर्ट में उल्लिखित और संशोधन विधेयक 2020 के प्रारूप में परिलक्षित सूत्रीकरण पर विचार कर सकती है। 2020 के विधेयक में सीसीआई को विनियमों के माध्यम से क्षेत्र-विशिष्ट सीमाओं को विहित करने की शक्ति दी गई थी। यह निरूपण निम्नलिखित लाभ प्रदान करता है:

   (एक) लाइट टच विनियमन, अतिरिक्त प्रशासनिक बोझ से बचाता है और सभी क्षेत्रों में लागू व्यापक सौदा मूल्य सीमा की लेनदेन लागत में वृद्धि करता है।

   (दो) अंत में, दुनिया भर में अनुभवी विश्वास-रोधी विनियामक सौदा मूल्य सीमा की क्षमता और आवश्यकताओं पर शोध जारी रखे हुए हैं, और बहुत कम कंपनियों ने विलय पूर्व नियंत्रण व्यवस्थाओं में इस अवधारणा को लागू किया है। दूरगामी प्रभाव निवेश के प्रभाव का अनुमान लगाने के उपाय को पेश करने से पहले, सीसीआई के लिए (क) प्रवर्तन अंतर, यदि कोई हो; (ख) सौदेबाजी की सीमा के संभावित उद्योग-व्यापक प्रभाव; और (ग) सौदा मूल्य सीमा लागू करने में अंतर्राष्ट्रीय अनुभव पर विचार करने के

लिए एक विस्तृत बाजार अध्ययन करना बहुत महत्वपूर्ण है।

3.7 अपने लिखित अनुरोध में उपर्युक्त खंड के संबंध में हितधारकों ने निम्नलिखित सुझाव दिया: "जैसा कि विधेयक में सुझाव दिया गया है डिजिटल अर्थव्यवस्था को शायद सौदा मूल्य सीमा के साथ बेहतर विनियमित किया जा सकता है, लेकिन चूंकि डिजिटल अर्थव्यवस्था लगभग उपभोक्ताओं की जीवन रेखा बन गई है, विशेषकर कोविड-19 महामारी के दौरान इस नई अवधारणा के लाभों का उचित मूल्यांकन लागू करने से पहले इसे अच्छी तरह से समझने की आवश्यकता है।"

3.8 उपर्युक्त विषय के संदर्भ में बताते हुए एक हितधारक ने निम्नलिखित लिखित अनुरोध में यह सुझाव दिया:-

"नियंत्रण के निम्नतम मानक के संहिताकरण के साथ संयुक्त रूप से अर्थात "*भौतिक प्रभाव*" (नीचे अलग से चर्चा की गई है) वाले अत्यधिक कम सौदा मूल्य सीमा से सीसीआई को अधिसूचित किए जाने वाले अतिरिक्त लेनदेन की बाढ़ आ जाएगी। विशेषकर इस बात को ध्यान में रखते हुए दायरे को बहुत अधिक व्यापक नहीं बनाना चाहिए कि सीसीआई की समीक्षा समयसीमा को भी घटाने का प्रस्ताव है जबकि उनके पास पहले ही से काम का बहुत बोझ है।

सौदा मूल्य की गणना पर मार्गदर्शन:

(क) संशोधन विधेयक के अंतर्गत दी गई "लेनदेन के मूल्य" की परिभाषा काफी व्यापक और विस्तृत है। सौदे के मूल्य की सही गणना करने के तरीके पर अतिरिक्त मार्गदर्शन की आवश्यकता है, विशेष रूप से विभिन्न 'संदेहास्पद क्षेत्र' से जुड़े लेनदेन में सटीक मौद्रिक सौदे की अवधारणा स्पष्ट नहीं है, उदाहरण के लिए, लेनदेन के मामले में जिसमें पोस्ट-क्लोजिंग समायोजन तंत्र विद्यमान है; विलंबित विचार से जुड़े लेनदेन; केवल बोर्ड सीटों पर नियुक्ति से जुड़े लेनदेन (जिसे यदि सीमा पूरी हो जाए तो सीसीआई अधिसूचित करने योग्य मानता है); ऐसे लेन-देन जिसमें नकद मुक्त विलय हुआ हैं; और दूसरों के बीच स्वैप साझा हुआ हो।

(ख) यह सिफारिश भी अंतरराष्ट्रीय सर्वोत्तम प्रथाओं के अनुरूप है। उदाहरण के लिए, ऑस्ट्रिया और जर्मनी ने कुछ संदेहास्पद क्षेत्र से जुड़े लेनदेन सहित सौदे के मूल्यों की गणना करने के तरीके पर विस्तृत मार्गदर्शन जारी किया है। इसने शासन में बहुत आवश्यक निश्चितता जोड़ दी है।"

3.9 कार्पोरेट कार्य मंत्रालय ने उपर्युक्त सुझाव पर निम्नवत् टिप्पणी की:

- "सीएलआरसी की सिफारिश के आधार पर लेन-देन के आकार का परीक्षण को लागू करने का प्रस्ताव है जिसमें 'लेन-देन के मूल' को संयोजनों को अधिसूचित करने के एक अन्य मानदंड के रूप में शामिल किया गया है।

- लेनदेन मूल्य सीमा ऑस्ट्रियन फेडरल काम्पिटिशन अथॉरिटी और जर्मन काम्पिटिशन अथॉरिटी द्वारा उन मामलों के लिए पेश की गई है जिनमें ईकाइयां प्राथमिक टर्नओवर सीमा को पूरा नहीं करती लेकिन मुख्य रूप से नई तकनीक द्वारा संचालित बदलते आर्थिक परिदृश्य में नवाचार और प्रतिस्पर्धा की रक्षा के लिए विलय नियंत्रण मूल्यांकन की अपेक्षा होती है;

- जर्मनी (400 मिलियन यूरो), ऑस्ट्रिया (200 मिलियन यूरो) और यूएसए (101 मिलियन अमरीकी डालर) में निर्धारित सीमा पर विचार करने के बाद, इस मानदंड के अंतर्गत 2000 करोड़ रुपये की सीमा का प्रस्ताव है।

- इसके अतिरिक्त, अधिनियम की धारा 20 (3) प्रत्येक दो वर्षों में परिसंपत्तियों और टर्नओवर मानदंडों की समीक्षा को अनिवार्य बनाया गया है। इसलिए, विधेयक की धारा 5 के खंड (घ) अर्थात् "लेनदेन का मूल्य" मानदंड को शामिल करने के लिए धारा 20 (3) का संशोधन किया गया है, जिसकी समय-समय पर समीक्षा भी की जा सकती है।

- परंतुक के साथ पठित विधेयक की धारा 5 (घ) में कहा गया है कि कुछ संयोजन ऐसे हैं जिनका लेनदेन का मूल्य दो हजार करोड़ रुपये से अधिक है और उनका स्थानीय गठजोड़ है तो ऐसे संयोजनों के लिए आवश्यक है की वे आयोग को इस तरह के संयोजन अधिसूचित करें। हालांकि, दो हजार करोड़ रुपये की मौद्रिक सीमा एक आवश्यक मानदंड है, परंतु जब तक कि इसका कोई स्थानीय गठजोड़ न हो इसके लिए इस तरह के संयोजन को अधिसूचित करना आवश्यक नहीं है।

- इस प्रकार, इस तरह के संयोजन से आयोग को अधिसूचना तभी आवश्यक होगी जब दोनों शर्तों (अर्थात, दो हजार करोड़ रुपये के लेनदेन मूल्य के साथ-साथ भारत में पर्याप्त व्यावसायिक संचालन) को पूरा किया जाएगा। नए युग के बाजारों की विशेषताओं पर गतिशील रूप से प्रतिक्रिया करने हेतु लोच बनाए रखने के लिए विनियमों के माध्यम से स्थानीय गठजोड़ का मानदंड निर्धारित करने का प्रस्ताव है।

- प्रतिस्पर्धा पर प्रतिकूल प्रभाव का निर्धारण अधिनियम में उल्लिखित विभिन्न कारकों के अनुसार फाइलिंग के आधार पर तभी किया जा सकता है जब पक्ष निर्धारित सीमा से अधिक लेनदेन को अधिसूचित करता है और लेनदेन उद्यम का एक ऐसा पक्ष है जो भारत में पर्याप्त व्यावसायिक संचालन करता है।

- पक्षकार केवल तभी अधिसूचित करने के लिए बाध्य होते हैं जब किसी उद्यम के किसी भी नियंत्रण, शेयर, मतदान अधिकार या परिसंपत्तियों के अधिग्रहण के संबंध में किसी भी लेनदेन का मूल्य 2000/- करोड़ रुपये की सीमा से अधिक हो और उद्यम लेनदेन का एक ऐसा पक्ष हो, जिसका भारत

में पर्याप्त व्यावसायिक संचालन हो। विधेयक में प्रस्तावित आयोग द्वारा जारी किए जाने वाले विनियमों के माध्यम से भारत में पर्याप्त व्यावसायिक संचालन के अर्थ को स्पष्ट किया जाए।

- इस संबंध में आयोग द्वारा तैयार किए जाने वाले विनियम हितधारकों के साथ उचित परामर्श के बाद तैयार होंगे जो सभी चिंताओं का ध्यान रखेंगे।
- प्रतिस्पर्धा अधिनियम की योजना के अनुसार, किसी उद्यम के किसी भी नियंत्रण, शेयर, मतदान अधिकार या परिसंपत्तियों के इस तरह के अधिग्रहण के कारण भारत में प्रतिस्पर्धा पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है या नहीं, यह पक्षकार द्वारा आयोग को ऐसे अधिग्रहण को अधिसूचित करने पर आयोग द्वारा मूल्यांकन करने का विषय होगा।
- लेनदेन सीमा का प्रस्तावित मूल्य यह सुनिश्चित करेगा कि पक्षकार छोटे अधिग्रहण, विलय और समामेलन को अधिसूचित करने के लिए बाध्य नहीं होंगे। जो कुछ भी न्यूनता के दायरे में आता है, उसका उल्लेख विधेयक के खंड 6 में मिलता है। "लेनदेन के मूल्य" के लिए, न्यूनता लागू नहीं होगी।"

3.10 लेनदेन मूल्य सीमा के संबंध में, प्रतिस्पर्धा विधि समीक्षा समिति, 2019 की सिफारिश निम्नानुसार है:

"जबकि अधिनियम की व्यापक समीक्षा की जा रही है, विलय अधिसूचना के लिए सौदा मूल्य सीमा सहित आवश्यक सीमा लागू करने के लिए सरकार को अधिकार देने वाला एक मजबूत उपबंध अधिनियम में शामिल किया जा सकता है। किसी भी नई सीमा में आवश्यक आंकड़ों के साथ-साथ स्थानीय गठजोड़ मानदंड की गणना के लिए स्पष्ट और निष्पक्ष रूप से मात्रात्मक मानकों का हिसाब होना चाहिए। इससे यह सुनिश्चित होगा कि केवल वही लेन-देन उस निर्धारित सीमा तक पकड़ें जाएं जिनका भारत से महत्वपूर्ण आर्थिक संबंध है तथा न ही सीसीआई और न ही पार्टियों पर अनावश्यक अधिसूचनाओं का बोझ हो।

समिति यह नोट करती है कि विधेयक और अधिग्रहण के लिए सौदा मूल्य सीमा और स्थानीय सांठगांठ की आवश्यकता को पेश करने का प्रस्ताव करता है। इससे सीसीआई को वैश्विक सौदों के साथ-साथ भारत में पर्याप्त व्यावसायिक संचालन करने वाले पक्षों पर भी अधिकार क्षेत्र प्राप्त होगा।"

3.11 समिति नोट करती है कि विधेयक लेन-देन के मूल्य को प्रत्येक मूल्यवान प्रतिफल के रूप में परिभाषित करता है, चाहे वह प्रत्यक्ष हो या अप्रत्यक्ष या किसी अधिग्रहण, विलय या समामेलन के लिए परिभाषित किया गया हो। यह इस बात के संदर्भ में मार्गदर्शन नहीं करता है कि सौदे के मूल्य की गणना कैसे की जाती है और प्रत्यक्ष, अप्रत्यक्ष और आस्थगित प्रतिफल का अर्थ क्या है। समिति हितधारकों द्वारा दिए गए इस तर्क से पुरजोर ढंग से सहमत है कि इन शर्तों की अनिश्चितता से वे लेन-देन संभावित हो सकते हैं जिनसे विलय नियंत्रण तंत्र के अंतर्गत प्रतिस्पर्धा पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना नहीं है।

समिति का मत है कि परंतुक में स्पष्टता से यह निर्दिष्ट करने की आवश्यकता है कि जिस 'उद्यम' का उल्लेख किया जा रहा है वह अधिगृहीत किया जा रहा पक्ष है। स्थानीय सांठगांठ की स्थिति को प्रत्यायोजित विधान के लिए नहीं छोड़ा जाना चाहिए। बल्कि अधिनियम में ही इसे स्पष्टता के साथ परिभाषित किया जाना चाहिए। यह पूर्वानुमान और निश्चितता सुनिश्चित करने के लिए है। तदनुसार, समिति सिफारिश करती है कि उपरोक्त खंड को निम्नवत् संशोधित किया जाए: -

"(घ) किसी भी लेन-देन का मूल्य, जिसकी गणना की रीति विनियमों द्वारा विनिर्धारित की जाएगी, और जो किसी उद्यम, विलय या समामेलन के किसी भी नियंत्रण, हिस्सेदारी, मतदान अधिकारों या परिसंपत्तियों के अधिग्रहण के संबंध में दो हजार करोड़ रुपये से अधिक है....:

"परंतु यह कि उस पक्ष का नियंत्रण, शेयर, मतदान अधिकार या संपत्ति जो अधिगृहीत की गई हो या अधिगृहीत की जा रही हो, उसके पास भारत में ऐसे पर्याप्त व्यावसायिक संचालन उपलब्ध हों, जो विनियमों द्वारा विनिर्दिष्ट किए जा सकें।"

इसके अतिरिक्त,

विधेयक के खंड 15(ग) को संशोधित करके निम्नवत् पढ़ा जाए:

"(ख) उप-धारा (3) में: -

(एक) "कारोबार का मूल्य" शब्दों के बाद, "या लेनदेन का मूल्य" शब्द अंतःस्थापित किए जाएं;

(दो) "उसके बाद हर दो वर्ष" शब्दों के स्थान पर "उसके बाद हर वर्ष" शब्द प्रतिस्थापित किए जाएं;"

इसके अतिरिक्त,

विधेयक के खंड 15(ग) को संशोधित करके निम्नवत् पढ़ा जाए:

"(ख) उप-धारा (3) में: -

(एक) "कारोबार का मूल्य" शब्दों के बाद, "या लेनदेन का मूल्य" शब्द अंतःस्थापित किए जाएं;

परिणाम स्वरूप, 'लेनदेन के मूल्य' का स्पष्टीकरण निम्नवत संशोधित किया जाए :

" "लेनदेन के मूल्य" में प्रत्येक मूल्ययोग्य वस्तु शामिल है, चाहे वह प्रत्यक्ष हो या अप्रत्यक्ष, या किसी भी अधिग्रहण, विलय या समामेलन के लिए आस्थगित हो जैसा कि विनियमों द्वारा विनिर्दिष्ट किया जाए।"

(इसके लिए विधेयक की धारा 64 में संशोधन करने की आगे आवश्यकता होगी, जो उन मामलों को विनिर्दिष्ट करती है जिन पर आयोग नियम बना सकता है।)

2) 'नियंत्रण' की परिभाषा

3.12 तात्विक प्रभाव के मानकों का पुरःस्थापन।

विधेयक का खंड 6 निम्नवत् पठनीय है:

स्पष्टीकरण के स्थान पर, निम्नलिखित स्पष्टीकरण प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:-स्पष्टीकरण- इस धारा के प्रयोजनों के लिए,

(i) *"नियंत्रण"* से किसी भी रीति में, चाहे जो भी हो, निम्नलिखित के द्वारा प्रबंधन या मामलों या सामरिक वाणिज्यिक विनिश्चयों पर तात्विक प्रभाव डालने की योग्यता –

(ii) अन्य उद्यम या समूह पर एक या अधिक उद्यम या तो संयुक्त रूप से या अलग-अलग;या

(iii) अन्य समूह या उद्यम पर एक या अधिक समूह, या तो संयुक्त रूप से या अलग-अलग;

3.13 भारतीय वाणिज्य एवं उद्योग परिसंघ (एफआईसीसीआई) ने उपर्युक्त मुद्दे पर निम्नलिखित सुझाव/ विचार दिया: "यह प्रस्तुत किया जाता है कि प्रस्तावित संशोधन नहीं किया जाना चाहिए और 'नियंत्रण' की मौजूदा परिभाषा को बरकरार रखा जाना चाहिए। कोई निकाय किसी विशेष मामले में दूसरे पर नियंत्रण रखती है या नहीं यह तथ्य का प्रश्न है और एक निर्णायक मानक स्थापित करना कठिन है, जो सभी मामलों में कार्य करेगा। कानून विशिष्ट होना चाहिए और मापदंड स्पष्ट रूप से परिभाषित होने चाहिए, ताकि उद्यमों को स्पष्टता रहे कि कोई लेनदेन अधिसूचना योग्य है या नहीं, और आयोग एक निर्विवाद निष्कर्ष पर भी पहुँच सकता है कि 'नियंत्रण' का गठन किससे हुआ है। प्रस्तावित "तात्विक प्रभाव" मानक का पुरःस्थापन, अभी भी "नियंत्रण" की परिभाषा को अस्पष्ट और व्याख्या के लिए खुला रखेगा; उद्यम निश्चय नहीं कर सकेंगे कि क्या कोई विशेष लेनदेन अधिसूचित होगा, क्योंकि अभी भी इस बात पर निश्चितता की कुछ कमी होगी कि तात्विक प्रभाव का उपयोग किया जा रहा है या नहीं। कंपनी अधिनियम, दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता, या सेबी (शेयरों और टेकओवर्स का पर्याप्त अर्जन) विनियमों जैसे अन्य संविधियों के साथ "नियंत्रण" की परिभाषा के समाशोधन का प्रयास करना भी कठिन है, क्योंकि इनमें से प्रत्येक के अंतर्गत अधिदेश भिन्न है, जिससे "नियंत्रण" की परिभाषा के लिए भिन्न-भिन्न दृष्टिकोण की आवश्यकता हो जाती है।"

3.14 इन भावनाओं को व्यक्त करते हुए, उपर्युक्त मुद्दे पर हितधारकों ने निम्नलिखित सुझाव दिए/ विचार व्यक्त किए:-

"जबकि वर्षों से सीसीआई के निर्णय लेने की प्रथा को एक कड़े "निर्णायक प्रभाव" परीक्षण से "तात्विक प्रभाव" की निचली सीमा में स्थानांतरित कर दिया गया है, इसलिए यह विधेयक अब स्पष्ट रूप से "नियंत्रण" निर्धारित करने के लिए एक परीक्षण के रूप में "तात्विक प्रभाव" का उल्लेख करता है। तथापि, यह विधेयक स्पष्ट रूप से किसी निकाय पर "तात्विक प्रभाव" जैसे शेयरहोल्डिंग, बोर्ड प्रतिनिधित्व, विशेष अधिकार, किसी व्यक्ति की स्थिति और विशेषज्ञता, या अन्यों के बीच, वाणिज्यिक/ वित्तीय व्यवस्था, के प्रयोग की रूपरेखा निर्धारित करने के लिए कोई पैरामीटर निर्धारित नहीं करता है।

इसलिए यह सिफारिश की जाती है कि कुछ मानदंडों/कारकों/पैरामीटरों को निर्धारित किए जाने की आवश्यकता है, जिनपर पक्षों द्वारा किसी अन्य उद्यम पर "तात्विक प्रभाव" के निर्धारण के लिए संयोजन हेतु विचार किया जाना चाहिए।"

3.15 तात्विक प्रभाव के मुद्दे को और स्पष्ट करते हुए, उपर्युक्त मुद्दे पर हितधारक ने निम्नलिखित सुझाव/विचार व्यक्त किए:

"यह भी ध्यान रखना प्रासंगिक है कि तात्विक प्रभाव सीमा का उपयोग विश्व स्तर पर पूर्व विलय नियंत्रण व्यवस्थाओं में नहीं किया जाता है। सीसीआई नियंत्रण के लिए "तात्विक प्रभाव" सीमा की व्याख्या करने में यूके प्रतिस्पर्धा और बाजार प्राधिकरण (सीएमए) द्वारा अपनाए गए सिद्धांतों को उद्धृत करता है - हालांकि, सीएमए को नियंत्रण के अधिग्रहण से जुड़े विलय की अनिवार्य पूर्व अधिसूचना की आवश्यकता नहीं होती है, क्योंकि यूके एक पूर्व विलय नियंत्रण व्यवस्था का पालन करता है। यूके में तात्विक प्रभाव सीमा इस तथ्य से न्यायोचित है कि सीएमए लेनदेन को डिफ़ॉल्ट स्थिति के रूप में होने की अनुमति देने और अत्यंत सीमित मामलों में एम एंड ए में हस्तक्षेप करने का विकल्प का चयन करने में अधिक अनुमेय व्यवस्था अपनाता है।

पूर्व विलय अधिसूचना व्यवस्थाओं में अंतर्राष्ट्रीय सर्वोत्तम प्रथाओं को ध्यान में रखते हुए, यह सिफारिश की जाती है कि नियंत्रण की परिभाषा यथावत अर्थात् 'मानक को कमजोर किए बिना "निर्णायक प्रभाव" का मानक' बनी रहे। इसके अलावा, यह सिफारिश की जाती है कि माननीय समिति सीसीआई को 2018 से लागू "तात्विक प्रभाव" मानक के प्रभाव का विश्लेषण करने के लिए बाजार अध्ययन करने का निर्देश दे। यह सीसीआई को अति-प्रवर्तन के अनपेक्षित परिणामों को ट्रैक करने की अनुमति देगा, यदि ऐसा हो गया हो तो, और यदि आवश्यक हो तो भी।"

3.16 उपर्युक्त विषय पर हितधारकों ने निम्नलिखित सुझाव दिए/ विचार व्यक्त किए :

"*<u>अन्य संविधियों के अनुरूप:</u>* प्रतिस्पर्धा अधिनियम के अलावा, कंपनी अधिनियम, 2013 (कंपनी अधिनियम) और सेबी (शेयरों का पर्याप्त अधिग्रहण और अर्जन) विनियम, 2011 सहित भारत में विभिन्न अन्य विधानों के तहत "नियंत्रण" को परिभाषित किया गया है और इसकी व्याख्या की गई है। इन संविधियों के तहत, नियंत्रण की व्याख्या "सकारात्मक नियंत्रण" को निरूपित करने के लिए की गई है, जो केवल कुछ

मामलों को अवरुद्ध/ सनिषेध करने की क्षमता की तुलना में एक उच्चतर मानक है, और इसका तात्विक प्रभाव मानक से बहुत अधिक है।

(i) नियंत्रण की परिभाषा प्रदान की गई है कि ये अन्य संविधि काफी हद तक एक-दूसरे के अनुरूप हैं, और नियंत्रण की एकमात्र आउटलायर/ विपरीत व्याख्या प्रतिस्पर्धा अधिनियम के तहत है, जहां अत्यंत निम्नतर मानक अपनाया जाता है। इससे अत्यंत विनियामक अनिश्चितता निर्मित हो गई है, जहां प्रतिस्पर्धा अधिनियम नियंत्रण की एक परिभाषा/ मानक पर निर्भर करता है, जबकि अन्य सभी अधिनियमन नियंत्रण की दूसरी परिभाषा/ मानक पर भरोसा करते हैं।

(ii) प्रतिस्पर्धा अधिनियम में नियंत्रण की परिभाषा को कंपनी अधिनियम और अन्य उल्लिखित संविधियों की परिभाषा के साथ संरेखित किया जाना सहायक होगा, ताकि स्थिरता प्रदान की जा सके और उसी अवधारणा पर समानांतर अधिनियमन किए जाने से बचा जा सके।

(iii) इसके अलावा, भले ही अलग-अलग संविधियां में अलग-अलग क्षेत्र शामिल होते हैं, लेकिन कोई कारण नहीं है कि प्रतिस्पर्धा अधिनियम के भीतर नियंत्रण की समान परिभाषा/ व्याख्या को नहीं अपनाया जा सकता है। अन्य संविधियों के तहत अपनाई गई व्याख्या ठोस और तार्किक है और इसे कई अवसरों पर उच्चतम न्यायालय द्वारा स्वीकार किया गया है। इसे बिना किसी हानिकारक परिणाम के प्रतिस्पर्धा अधिनियम के तहत समान रूप से लागू किया जा सकता है।

3.17 कार्पोरेट कार्य मंत्रालय ने उपर्युक्त सुझाव पर निम्नलिखित टिप्पणी की:

- "सीएलआरसी ने नोट किया कि नियंत्रण की परिभाषा विशिष्टतः विभिन्न कानूनों में अधिदेश है। सेबी ने एक परिचर्चा पत्र में भी इस विचार को दोहराया है। उदाहरण के लिए, सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में कहा कि आईबीसी के तहत 'नियंत्रण' केवल सकारात्मक नियंत्रण को दर्शाता है। तथापि, प्रतिस्पर्धा अधिनियम के अंतर्गत सूचीकरण के साथ-साथ संयोजनों के ठोस मूल्यांकन के मामले में, नकारात्मक नियंत्रण प्राप्त करना महत्वपूर्ण हो सकता है। यहां तक कि अंतरराष्ट्रीय स्तर पर, विशेष प्रस्तावों (अर्थात् नकारात्मक नियंत्रण) को अवरुद्ध करने की क्षमता को स्पष्ट रूप से तात्विक प्रभाव प्रदान करने के लिए आयोजित किया गया है और इसलिए प्रतिस्पर्धा कानून के उद्देश्यों के लिए 'नियंत्रण' किया गया है। तदनुसार, अन्य संविधियों के साथ 'नियंत्रण' की परिभाषा के सामंजस्य को व्यवहार्य नहीं माना गया।
- इसके अलावा, यूके, दक्षिण अफ्रीका और कनाडा जैसे विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय न्यायालयों में अपनाई जाने वाली विभिन्न प्रथाओं पर विचार करते हुए, सीएलआरसी का विचार था कि नियंत्रण के निर्धारण के लिए एक तात्विक प्रभाव मानक की पुरःस्थापना उपयुक्त होगी।
- इस मानदंड की शुरूआत नियंत्रण के अर्थ में निश्चितता लाएगी और सीसीआई को उन लेनदेन की जांच करने के लिए सशक्त बनाएगी जो एएईसी का कारण बन सकते हैं।
- संयोजनों का आकलन करते समय सीसीआई तात्विक प्रभाव मानक का उपयोग कर रहा है।

- विधेयक में प्रस्ताव किया गया है कि किसी पक्ष के अनुरोध पर आयोग विभिन्न मुद्दों पर दिशा-निर्देश जारी कर सकता है।
- ऐसे मुद्दों पर स्पष्टीकरण या तो निर्णय लेने की प्रथाओं या दिशानिर्देशों या दोनों से आएगा।"

3.18 'नियंत्रण' की परिभाषा के बारे में प्रतिस्पर्धा विधि समीक्षा समिति, 2019 की सिफारिश निम्नवत् पठनीय है:

""नियंत्रण की अनुशंसित परिभाषा न केवल परिवर्तनीयता विश्लेषण को प्रभावित करेगी बल्कि मूल प्रतियोगिता आकलन को भी प्रभावित करेगी, समिति का विचार था कि नियंत्रण के निर्धारण के लिए भौतिक प्रभाव मानक की शुरूआत उपयुक्त होगी। इस मानदंड का परिचय अधिनियम की धारा 5 के तहत नियंत्रण के अर्थ में निश्चितता लाने के दोहरे लाभ की सेवा करेगा, जबकि सीसीआई की शक्तियों को बनाए रखने के लिए संयोजनों की एक विस्तृत श्रृंखला का आकलन करने के लिए एएईसी हो सकता है। इस बात पर सहमति हुई कि यह सुनिश्चित करने के लिए एक संतुलन बनाने की आवश्यकता है कि विलय नियंत्रण विनियमन सीसीआई को लेन-देन की जांच करने का अधिकार देता है जो एएईसी का कारण बन सकता है, यह सुनिश्चित करते हुए कि कानूनी ढांचा अर्थव्यवस्था के बड़े हित में निवेश के अनुकूल है।

भौतिक प्रभाव पर मार्गदर्शन

यह नोट किया गया था कि अधीनस्थ विधान में 'भौतिक प्रभाव' क्या हो सकता है इसका विवरण प्रदान किया जा सकता है। यह भी चर्चा की गई थी कि अधीनस्थ विधान कुछ अल्पसंख्यक अधिकारों को सूचीबद्ध कर सकता है, जिसके अधिग्रहण को भौतिक प्रभाव प्रदान करने और नियंत्रण करने के लिए नहीं माना जाएगा। भौतिक प्रभाव के अस्तित्व का निर्धारण करने के लिए, कुछ सांकेतिक कारक जो सीसीआई द्वारा अपने आदेशों में निर्धारित किए गए हैं, वे शेयरहोल्डिंग, विशेष अधिकार, किसी उद्यम या व्यक्ति की स्थिति और विशेषज्ञता, बोर्ड प्रतिनिधित्व, संरचनात्मक/वित्तीय व्यवस्था आदि हैं।"

3.19 समिति पाती है कि तात्विक प्रभाव यूके मानक के अनुसार नियंत्रण का सबसे निचला और कमजोर मानक है। सीसीआई ने भी पिछले उदाहरणों में इस तथ्य को स्वीकार किया है। हालांकि, सीसीआई पिछले कुछ वर्षों से वास्तविक संव्यवहार में तात्विक प्रभाव मानक का उपयोग कर रहा है। समिति की सुविचारित मत है कि तात्विक प्रभाव अब एक निर्धारित मानक है और इसे स्पष्ट रूप से परिभाषित किया जाना चाहिए। इसलिए समिति सिफारिश करती है कि खंड 6(ग) के अंतर्गत 'नियंत्रण' की व्याख्या को निम्नानुसार आशोधित किया जाए:

"(क) "नियंत्रण" का आशय प्रबंधन या कार्यों या रणनीतिक वाणिज्यिक निर्णयों पर <u>विनियमों द्वारा यथानिर्दिष्ट किसी भी रीति से तात्विक प्रभाव का प्रयोग</u> करने की क्षमता से है"

(इसके लिए विधेयक की धारा 64 में संशोधन की आवश्यकता होगी, जो उन मामलों को विनिर्दिष्ट करती है जिन पर आयोग नियम बना सकता है।)

3) प्रक्रियागत समयसीमा

3.20 प्रक्रियात्मक समयसीमा के संबंध में, विधेयक में प्रस्तावित परिवर्तन निम्नवत् हैं:

3.21 विधेयक का खंड 7 निम्नवत् पठनीय है:

मूल अधिनियम की धारा 6 में,-

(a) (क) उपधारा (2) में,-

(i) "तीस दिन के भीतर" शब्दों के स्थान पर 'निम्नलिखित में से किसी के पश्चात् किंतु समुच्चय के उपभोग से पूर्व" शब्द रखे जाएंगे;

(ii) खंड (क) में, "खंड (ग)" शब्द, कोष्ठक और अक्षर के पश्चात्, "और खंड (घ)" शब्द, कोष्ठक और अक्षर अंत:स्थापित किए जाएंगे;

(iii) खंड (ख) में, "खंड (क)" शब्द, कोष्ठक और अक्षर के पश्चात् "और खंड (घ)" शब्द, कोष्ठक और अक्षर अंत:स्थापित किए जाएंगे;

निम्नलिखित स्पष्टीकरण अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात्:- 'स्पष्टीकरण- इस उपधारा के प्रयोजनों के लिए "अन्य दस्तावेज" से कोई दस्तावेज अभिप्रेत है, चाहे किसी भी नाम से ज्ञात हो, जो नियंत्रण, शेयर, मतदान अधिकार या आस्तियां अर्जित करने के करार या विनिश्चय को बताता हो यदि अर्जन अर्जित किए जाने वाले उद्यम की सहमित के बिना हो, अर्जन करने वाले उद्यम द्वारा निष्पादित कोई दस्तावेज चाहे किसी भी नाम से ज्ञात हो, जो नियंत्रण, शेयर या मतदान अधिकार के अर्जन के विनिश्चय को बताता हो या जहाँ शेयरों, मतदान अधिकारों का अर्जन भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड अधिनियम, 1992 के अधीन बनाए गए भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (शेयरों का सारवान अर्जन और ग्रहण) विनियम, 2011 के अनुसार कोई लोक उद्घोषणा की गई है';

(ख) उपधारा (2क) में,-

(i) *"दो सौ दस दिन" शब्दों के स्थान पर, "एक सौ पचास दिन" शब्द रखे जाएंगे,*

(ii) *निम्नलिखित परंतुक अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:*

"परंतु समुच्चय के पक्षकार द्वारा सुसंगत सूचना प्रस्तुत करने या उपधारा (2) के अधीन फाइल किए गए नोटिस की त्रुटियों को दूर करने के लिए अतिरिक्त समय का अनुरोध करने की दशा में आयोग आदेश द्वारा अतिरिक्त समय अनुदत्त कर सकेगा, जो यथास्थिति, सुसंगत सूचना प्रस्तुत करने या त्रुटियों को दूर करने के लिए तीस दिन से अधिक नहीं होगा";

3.22 खंड 21

मूल अधिनियम की धारा 29 में,-

(क) उपधारा (1) में शब्द "तीस दिनों के भीतर" के स्थान पर "पन्द्रह दिनों के भीतर" शब्द रखे जाएंगे;

(ख) उपधारा (1क) के पश्चात्, निम्नलिखित उपधारा अंतःस्थापित की जाएगी, अर्थात्:-

"(1ख) आयोग धारा 6 की उपधारा (2) के अधीन सूचना की प्राप्ति के 20 दिनों के भीतर उपधारा (1) में निर्दिष्ट अपने प्रथम दृष्टया राय का प्ररुप।";

(ग) उपधारा (2) में,-

(i) *शब्द "सात कार्यदिवसों के भीतर" के स्थान पर "सात दिनों के भीतर" शब्द रखे जाएंगे;*

(ii) *शब्द "दस कार्यदिवसों के भीतर" के स्थान पर "सात दिनों के भीतर" शब्द रखे जाएंगे;*

(iii) *उपधारा (4) में, शब्द "पन्द्रह कार्यदिवसों के भीतर" के स्थान पर "सात दिनों के भीतर" शब्द रखे जाएंगे;*

(iv) *उपधारा (5) में, शब्द "पन्द्रह दिनों के भीतर" के स्थान पर "दस दिनों के भीतर" शब्द रखे जाएंगे;*

(v) *उपधारा (6) के स्थान पर निम्नलिखित उपधारा रखी जाएगी, अर्थात्:*

"(6) सभी जानकारी प्राप्त करने के पश्चात्, आयोग यथास्थिति, धारा 29क या धारा 31 में अंतर्विष्ट उपबंधों के अनुसार मामले को निपटाने की कार्यवाही करेगा।

(7) इस धारा में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, आयोग समुच्चय के पक्षकारों द्वारा प्रस्तावित समुचित उपांतरों को स्वीकार कर सकेगा या स्वःप्रेरणा से प्रस्तावित उपांतरण, जैसी भी स्थिति हो, उपधारा (1) के अधीन किसी प्रथम दृष्टतया राय का प्ररुप बनाने के लिए स्वीकार कर सकेगा"।

3.23 उपर्युक्त खंड के संबंध में हितधारकों ने निम्नलिखित सुझाव दिया:-

"तीस (30) दिनों के भीतर दोषों का पालन नहीं करने और दूर करने के परिणाम भी विनिर्दिष्ट किए जा सकते हैं। वर्तमान रूप में, परंतुक का अर्थ है कि नोटिस अमान्यकृत हो जाएगा।

तीस (30) दिनों की अवधि भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग ("सीसीआई" या "आयोग") द्वारा जारी सूचना के लिए प्रत्येक अनुरोध ("आरएफआई") तक सीमित होनी चाहिए।"

3.24 इसको और स्पष्ट करते हुए, भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग (सीसीआई) ने निम्नलिखित सुझाव दिया:

"प्रतिस्पर्धा अधिनियम की धारा 29 में प्रस्तावित लेनदेन के प्रथम दृष्टया प्रतिस्पर्धा पर बढ़ते हुए प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की स्थिति में सीसीआई द्वारा अपनाई जाने वाली विस्तृत प्रक्रियाओं और संबंधित समयसीमा का उपबंध है।

वर्तमान में प्रचालनरत और प्रतिस्पर्धा अधिनियम की धारा 29 और 29क के तहत प्रस्तावित विनियामक रूपरेखा में विभिन्न मध्यवर्ती कदमों जैसे प्रस्तावित संयोजन का विवरण प्रकाशित करने की आवश्यकता, उस पर सार्वजनिक टिप्पणियां प्राप्त करना, सार्वजनिक टिप्पणियों पर पक्षों से प्रतिक्रिया प्राप्त करना, संबंधित समयसीमा के साथ आपत्तियों का विवरण जारी करना आदि की परिकल्पना की गई है। उपर्युक्त रूपरेखा लचीलापन प्रदान नहीं करता है और मानद अनुमोदन के लिए समग्र समयसीमा में से काफी समय को लॉक कर देता है। सीसीआई के कामकाज की दक्षता और प्रभावशीलता में काफी सुधार हो सकता है यदि सीसीआई विभिन्न चरणों के लिए समयसीमा आवंटित करने और प्रत्येक मामले की आवश्यकता और आकस्मिकता के अनुसार अपनी कार्यविधि निर्मित करने में सक्षम हो। इस प्रकार, यह आवश्यक है कि सीसीआई को अपनी प्रक्रिया को विनियमित करने और मध्यवर्ती चरणों के लिए समयसीमा निर्धारित करने का अधिकार दिया जाए, जो संयोजनों की समीक्षा के लिए 150 दिनों की व्यापक वैधानिक सीमा के अधीन है।"

3.25 उपर्युक्त विषय पर हितधारकों ने लिखित अनुरोध में निम्नलिखित बताया:-

"जबकि इस प्रस्तावित संशोधन का उद्देश्य (अर्थात् संयोजनों के शीघ्र अनुमोदन की सुविधा के लिए) प्रशंसनीय है, इस प्रकार की अत्यंत संकुचित समयसीमा कुछ मुद्दों को जन्म दे सकती है। उदाहरण के लिए, यह उनके संसाधनों और बैंडविड्थ के मामले में सीसीआई पर दबाव को बहुत बढ़ा सकता है। इसके फलस्वरूप समय बर्बाद करने से रोकने और अधिक समय मांगने के लिए केस टीम(मों) से कई आरएफआई के मुद्दे भी उत्पन्न हो सकते हैं- जो बदले में, पक्षों के बोझ को बढ़ा देगा और बाद में अधिक संख्या में संयोजन फाइलिंग को अमान्यकृत कर सकता है।"

3.26 29 नवंबर, 2022 को हुए मौखिक साक्ष्य के दौरान सीसीआई के प्रतिनिधि (श्री संगीत वर्मा) ने निम्नवत् बताया:

उन्होंने कहा, 'मैं पहले यह स्पष्ट करना चाहता हूं कि जब सचिव ने 17 दिनों का उल्लेख किया था, तो इसका अर्थ औसतन 17 कार्य दिवस थे और इस औसत में ग्रीन चैनल जैसी कोई चीज शामिल थी, जिसे हमने विनियम के माध्यम से पुरःस्थापित किया, जो अब विधेयक के माध्यम से आ रहा है। यह फाइल किए जाने की तिथि से मानद अनुमोदन है। ग्रीन चैनल की शुरुआत के बाद से लगभग 66 मामले थे। इसे शामिल करते हुए और स्टॉप क्लॉक को हटाते हुए, यह 17 कार्य दिवसों की औसत समय अवधि थी जिसका अनुमोदन आयोग प्रदान करता रहा है, हां, इसे 20 कैलेंडर दिनों में करना कठिन होगा क्योंकि पक्षों को उचित रूप से उत्तर देने के लिए भी समय की आवश्यकता होती है ... इसके लिए 20 दिनों से अधिक की आवश्यकता होती है। मान लीजिए कि यह एक विदेशी कंपनी का अधिग्रहण है, इसमें कुछ समय लगता है। समय कारक होते हैं। विश्व की ओर से अवकाश कारक होते हैं। इसलिए 20 कैलेंडर दिनों की सीमा कंपनियों/पक्षों द्वारा उत्तर देने के लिए भी बहुत सीमित हो जाती है।"

3.27 कार्पोरेट कार्य मंत्रालय ने उपर्युक्त सुझावों के संबंध में निम्नलिखित टिप्पणियाँ की:

- "यह व्यवसायों को विनियामक निश्चितता प्रदान करने के लिए है। इस प्रकार, प्रस्तावित संशोधन में किसी भी बदलाव की आवश्यकता नहीं है।
- संयोजन के लिए मूल्यांकन को समयबद्ध और तेज करने के मद्देनजर, इस प्रकार के मूल्यांकन के लिए समग्र समय-सीमा को मौजूदा 210 दिनों से कम कर एक सौ पचास दिन (150 दिन) तक करने की मांग की जाती है।
- यह देखा गया कि कार्य दिवसों के स्थान पर दिनों के उल्लेख के साथ संशोधित समयसीमा समय पर संयोजनों के अनुमोदन के उद्देश्य को पूरा करेगी।
- आयोग ने दृढ़तापूर्वक कहा है कि अनुमोदन आमतौर पर सत्रह-अठारह दिनों के भीतर प्रदान किया जाता है। कभी-कभी आयोग ने 30 दिनों से अधिक का प्रथम दृष्टया दृष्टिकोण नहीं लिया है जो संयोजन विनियमों में प्रदान किया गया है। प्रथम दृष्टया दृष्टिकोण लेने के लिए वर्तमान में कोई सीमा नहीं है।
- इसके अलावा, यह इज ऑफ डुइंग बिजनेस, जीवन में आसानी, व्यापार भावनाओं में सुधार, विकास और नवाचार को बढ़ावा देगा।"

3.28 प्रक्रियात्मक समय सीमा के संबंध में, श्री इंजेटी श्रीनिवास की अध्यक्षता में प्रतिस्पर्धा विधि समीक्षा समिति, 2019 की सिफारिश निम्नवत् पठनीय है: "समिति प्रारंभिक सम्मेलन आयोजित करने के लिए सीसीआई की शक्ति को बनाए रखने पर सहमत हुई, क्योंकि सीसीआई के लिए मौजूदा मुद्दों को समझने के लिए और सीसीआई को अपना प्रथम दृष्टया दृष्टिकोण बनाने के लिए ये जरुरी हो सकते हैं। समिति इस बात पर सहमत हुई कि मामलों के समय पर, निपटान और सूचनादाता की भागीदारी द्वारा लाई गई दक्षताओं के बीच संतुलन बनाया जाना चाहिए। यह निष्कर्ष निकाला गया कि सूचनादाता की भागीदारी के बारे में निर्देशात्मक होने के बजाय, कार्यवाही के लिए लगने वाले समय को कम करने पर ध्यान देना चाहिए। इस संबंध में, यह सहमति हुई कि प्रवर्तन प्रक्रिया के विभिन्न चरणों के लिए विस्तृत समय-सीमा अधीनस्थ कानून के माध्यम से निर्धारित की जानी चाहिए और सीसीआई को ऐसी विस्तृत समय-सीमा का पालन करना चाहिए जो निर्धारित की जा सकती है।"

3.29 समिति नोट करती है कि संशोधन विधेयक में सीसीआई द्वारा संयोजनों के अनुमोदन के लिए आवेदन पर आदेश पारित करने की समय-सीमा को 210 दिन से घटाकर 150 दिन करने का प्रस्ताव है। इसी तरह, प्रथम दृष्टया राय बनाने की समय सीमा को 30 दिन से घटाकर 20 दिन कर दिया गया है। इस संबंध में, सीसीआई और हितधारकों द्वारा यह आशंका जताई गई थी कि यह प्राधिकरण को एक कठिन और दुर्गम स्थिति में डाल देगा। समिति की राय है कि पहले से ही कर्मचारियों की कमी झेल रहे आयोग के लिए समय सीमा कम करने से स्थिति और भी विकट हो सकती है। इस खंड पर समिति सीसीआई और हितधारकों के साथ सहमति व्यक्त करती है कि वर्तमान प्रथम दृष्टया राय बनाने और संयोजनों के अनुमोदन के लिए आदेश पारित करने की समयसीमा अपरिवर्तित रहनी चाहिए।

4) महानिदेशक की विधिक सलाहकारों को हटाने की सक्षमता

3.30 विधेयक का खंड 26 (6) निम्नवत् पठनीय है:

मूल अधिनियम की धारी 41 में,-

(6) *महानिदेशक शपथ पर परीक्षा कर सकेगा—*

(क) अन्वेषण कर रहे पक्षकार के कोई अधिकारी या अन्य कर्मचारी और अभिकर्ता, और

(ख) आयोग से पूर्व अनुमोदन के साथ कोई अन्य व्यक्ति, पक्षकार के कार्यों के संबंध में जो अन्वेषण कर रहे हैं और उनके लिए तथा तदनुसार शपथ पर प्रशासन कर सकेंगे कि व्यक्तिगत रूप से उसके समक्ष उपस्थित होने के लिए उन व्यक्तियों की कोई अपेक्षा हो सकेगी।

"(क) किसी व्यक्ति के संबंध में "अभिकर्ता" से ऐसे व्यक्ति के लिए या ऐसे व्यक्ति के निमित्त कोई व्यक्ति कार्य कर रहा है या कार्य करने के लिए तात्पर्यित है, और ऐसे व्यक्ति द्वारा लेखा परीक्षक के रूप में बैंककार और विधिक सलाहकार और नियोजित व्यक्ति अभिप्रेत है,"

3.31 उपर्युक्त विषय के संबंध में एफआईसीसीआई ने निम्नलिखित सुझाव दिए/ विचार व्यक्त किए:

"प्रस्तावित संशोधन का दायरा बहुत व्यापक है और इसे हटाया जाना चाहिए या इसके दायरे को संकुचित किया जाना चाहिए ताकि विधि सलाहकारों जैसे विशेषाधिकार प्राप्त सलाहकारों को बाहर रखा जा सके।

यह भी नोट किया जाना चाहिए कि डीजी या सीसीआई जैसे किसी भी जांच प्राधिकरण को कानूनी पेशेवरों या अन्य समान रूप से विशेषाधिकार प्राप्त सलाहकारों को पदच्युत करने के लिए अधिकृत नहीं किया जा सकता है। अधिवक्ता-मुवक्किल विशेषाधिकार या कानूनी विशेषाधिकार का विकास किया जाता है तथा न्यायालय के वर्षों के पूर्ववर्तियों द्वारा इसका संरक्षण किया जाता है और डीजी द्वारा ऐसे कानूनी सलाहकारों के किसी भी प्रयास को के प्रावधानों द्वारा व्यवरूद्ध किया जाएगा साक्ष्य अधिनियम (कानूनी सलाहकार और मुवक्किल के बीच पेशेवर संप्रेषण की रक्षा करने वाले साक्ष्य अधिनियम की धारा 126- 129)।

इसके अतिरिक्त, प्रतिस्पर्धा अधिनियम में निर्धारित उल्लंघनों के लिए नागरिक शास्तियाँ निर्धारित की गई हैं और इसमें ऐसे उपबंध अंतर्विष्ट नहीं होने चाहिए जैसा कि प्रश्न में है, जो असाधारण परिस्थितियों में कानूनी सलाहकारों के अभिसाक्ष्य की अनुमति देते हुए, विधान की प्रकृति को एक असाधारण आपराधिक संविधि के रूप में चित्रित करता है। इस बात की पूरी संभावना है कि इस प्रकार के उपबंध को यदि संशोधित प्रतिस्पर्धा अधिनियम में अंतःस्थापित किया जाता है तो इसे असंवैधानिक करार दिया जाए क्योंकि यह कानून के स्थापित सिद्धांतों के विरूद्ध है।

कानूनी सलाहकारों और पेशेवर संप्रेषण के संरक्षण का माननीय बॉम्बे उच्च न्यायालय द्वारा समर्थन किया गया है जहां इसने ग्रेटर बॉम्बे नगर निगम बनाम विजय मेटल वर्क्स [(1982) 1 एसएलआर 645 (बॉम)] में कंपनियों के इन-हाउस वकील के कानूनी विशेषाधिकार की शुचिता को बरकरार रखा। इसलिए, सुझाया गया संशोधन कानूनी नीति और कानूनी प्रतिनिधित्व के अधिकार के मौलिक सिद्धांतों का अतिलंघन करता है और यह एक ऐसा परिवर्तन है जो अनजाने में कानूनी विशेषाधिकार और भारतीय साक्ष्य अधिनियम के विषय में वर्षों से पूर्वोदाहरण का अल्पीकरण करता है।"

3.32 उपर्युक्त सुझावों के संबंध में मंत्रालय ने निम्नलिखित टिप्पणियाँ की:

"प्रस्तावित संशोधन कानूनी विशेषाधिकार या अधिवक्ता-मुवक्किल विशेषाधिकार का अतिलंघन नहीं करता है। इसमें केवल जांच के दायरे में आने वाले पक्षों के संबंध में जानकारी मांगने का उपबंध है। विधि एवं न्याय मंत्रालय के विधायी विभाग ने विधेयक के इस उपबंध की जांच की है।"

3.33 उपर्युक्त मुद्दे को और स्पष्ट करते हुए, हितधारक ने उपर्युक्त मुद्दे पर निम्नलिखित सुझाव दिए/ विचार व्यक्त किए:

"यह सुनिश्चित करने के लिए कि संशोधन विधेयक अधिवक्ता अधिनियम और बीसीआई नियमावली के अनुरूप है, संशोधन विधेयक की धारा 41 में उन सभी कानूनी सलाहकारों को बाहर रखा जाना चाहिए जो अधिवक्ता अधिनियम के अर्थ के भीतर "अधिवक्ता" के रूप में अर्हता प्राप्त करते हैं, जिन्हें डीजी शपथ पर जांच कर सकते हैं।"

3.34 उपर्युक्त सुझावों पर मंत्रालय ने निम्नलिखित टिप्पणियां की:

"विधि और न्याय मंत्रालय ने विधेयक के इस उपबंध की पुनरीक्षा की है"।

3.35 उपर्युक्त मुद्दे पर हितधारकों ने निम्नलिखित सुझाव दिए/ विचार व्यक्त किए:

"यह ध्यान रखना उचित है कि बाहरी (स्वतंत्र) अधिवक्ता, अधिवक्ता अधिनियम, 1961 और भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872 ("साक्ष्य अधिनियम") द्वारा शासित होते हैं। ऐसे बाहरी कानूनी परामर्शदाता और उनके मुवक्किलों के बीच विशेषाधिकार प्राप्त संप्रेषण के संबंध में डीजी के समक्ष शपथ पर बाहरी कानूनी परामर्शदाता द्वारा कोई भी प्रकटन साक्ष्य अधिनियम के प्रासंगिक प्रावधानों का उल्लंघन होगा"

3.36 उपर्युक्त सुझावों के संबंध में, मंत्रालय ने अपनी निम्नलिखित टिप्पणियाँ दी हैं:

"प्रस्तावित संशोधन कानूनी विशेषाधिकार या अधिवक्ता-मुवक्किल विशेषाधिकार का अतिलंघन नहीं करता है। इसमें केवल जांच के दायरे में आने वाले पक्षों के बारे में जानकारी मांगने का उपबंध है। विधि और न्याय मंत्रालय के विधायी विभाग ने विधेयक के इस उपबंध की जांच की है।"

3.37 उपर्युक्त मुद्दे पर, हितधारकों ने इस मुद्दे पर अपने निम्नलिखित सुझाव दिए/ विचार व्यक्त किए:

"प्रस्तावित संशोधन जांच के अधीन पक्षों का प्रतिनिधित्व करने वाले अधिवक्ताओं जैसे तीसरे पक्षों को डीजी की जांच शक्तियों के आलिप्त तथा अध्यधीन करते हैं (बगैर पूर्वसूचना के छापे के अध्यधीन होना शामिल है, लेकिन मात्र इस तक सीमित नहीं है)। यह इसलिए नहीं सुना गया है क्योंकि ऐसा करना अनिवार्य रूप से सिविल दोष है।

यहां प्राथमिक चिंता यह है कि इस तरह का उपबंध संभवतः अधिवक्ता-मुवक्किल विशेषाधिकार (भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872 की धारा 126 और 129 द्वारा शासित) को कमजोर कर देगा और बचाव तैयार करने में अधिवक्ताओं को खुले और पूर्ण प्रकटीकरण के विरूद्ध एक भयप्रतिकारी के रूप में कार्य करेगा।"

3.38 उपर्युक्त सुझावों पर मंत्रालय ने अपनी निम्नलिखित टिप्पणियाँ की हैं:

- प्रस्तावित संशोधन कानूनी विशेषाधिकार या अधिवक्ता-मुवक्किल विशेषाधिकार का अतिलंघन नहीं करता है। इसमें केवल जांच के दायरे में आने वाले पक्षों के बारे में जानकारी मांगने का उपबंध है।
- विधायी विभाग, विधि और न्याय मंत्रालय ने विधेयक के इस उपबंध की जांच की है।
- इसके अतिरिक्त, विधेयक की धारा 41(6) में केवल यह उपबंध है कि महानिदेशक शपथ पर किसी एजेंट की जांच कर सकते हैं।
- तलाशी और जब्ती का उल्लेख विधेयक की प्रस्तावित धारा 41(10) में किया गया है।

कानूनी परामर्शदाता के विरूद्ध तलाशी और जब्ती कार्रवाई का कोई विशिष्ट उल्लेख नहीं है।"

3.39 उपर्युक्त मुद्दे के संबंध में, प्रतिस्पर्धा विधि समीक्षा समिति, 2019 की सिफारिश निम्नवत् पठनीय है:

"समिति का मानना था कि नियमों और प्रक्रियाओं की स्पष्टता सुनिश्चित करने और प्रवर्तन प्रक्रिया में व्यवसाय और अधिकारियों के अधिकारों और दायित्वों की स्पष्ट अभिव्यक्ति की आवश्यकता है। तदनुसार, जैसा कि ऊपर चर्चा की गई सर्वोत्तम प्रथाओं के अनुरूप और प्रक्रिया को पारदर्शी और निश्चित बनाने की दृष्टि से, समिति ने सिफारिश की कि महानिदेशक की जांच की शक्तियां, विशेष रूप से तलाशी और जब्ती की शक्ति को धारा 41 में संहिताबद्ध किया जाना चाहिए। इसलिए, सीए 1956 (या सीए 2013) के उपबंधों का हवाला देने के बजाय, सीए 1956 की धारा 240 और धारा 240ए (जैसा कि सीए 2013 की धारा 217 और धारा 220 में दर्शाया गया है) के उपबंधों को धारा 41 में संहिताबद्ध किया जाना चाहिए। इसके अलावा, समिति ने सिफारिश की धारा 41 में तलाशी और जब्ती करने के लिए मुख्य मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट से अधिकार प्राप्त करने की आवश्यकता को बरकरार रखा जाना चाहिए।"

3.40 समिति हितधारकों से प्राप्त इस सुझाव से पूरी तरह सहमत है कि महानिदेशक को कानूनी सलाहकारों की जांच करने की अनुमति देना अधिवक्ता-मुवक्किल विशेषाधिकार के विरुद्ध है और यह भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872 और बार काउंसिल ऑफ इंडिया (बीसीआई नियमों) नियमों का उल्लंघन है, जो बाह्य या स्वतंत्र अधिवक्ताओं पर लागू होते हैं। विधेयक के अंतर्गत अभिकर्ता की प्रस्तावित परिभाषा में किसी कंपनी या फर्म द्वारा नियोजित सभी कानूनी सलाहकारों को जांचे जा रहे पक्षों के किसी भी अधिकारी और अन्य कर्मचारियों और एजेंटों की परिभाषा में शामिल किया जाएगा। इसमें न्यायिक चुनौती को आमंत्रित करने की संभावना बनी रहती है। इस प्रकार, समिति पुरजोर सिफारिश करती है कि खंड में स्पष्टता से विनिर्दिष्ट किया जाए कि इस धारा में कोई भी बात अधिवक्ता-मुवक्किल विशेषाधिकार का संरक्षण करने वाले भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872 या किसी अन्य अधिनियम के विरुद्ध नहीं होगी।

5) निपटान और प्रतिबद्धता

3.41 खंड 35

48क.

(1) कोई उद्यम, जिसके विरुद्ध धारा 3 या धारा 4 की उपधारा (4) के उल्लंघन के लिए धारा 26 की उपधारा (1) के अधीन कोई जांच शुरू की गई है, कथित उल्लंघनों के लिए शुरू की गई कार्यवाही के निपटान के लिए आयोग को ऐसे रूप में और विनियमों द्वारा विनिदष्ट ऐसे शुल्क के भुगतान पर लिखित में आवेदन प्रस्तुत कर सकेगा।

(2) उपधारा (1) के अधीन आवेदन धारा 26 की उपधारा (4) के अधीन महानिदेशक की रिपोर्ट प्राप्त होने के बाद किसी भी समय प्रस्तुत किया जा सकता है, परन्तु धारा 27 या धारा 28 के अधीन आदेश पारित होने से पहले, जैसा कि विनियमों द्वारा विनिदष्ट किया जा सकता है।

(3) आयोग, उल्लंघनों की प्रकृति, गंभीरता और प्रभाव को ध्यान में रखते हुए, आवेदक द्वारा ऐसी राशि के भुगतान पर या निपटान और निगरानी के कार्यान्वयन की ऐसी अन्य शर्तों और तरीके पर निपटान के प्रस्ताव पर सहमत हो सकेगा, जो विनियमों द्वारा निर्दिष्ट किए जाएं।

(4) निपटान के प्रस्ताव पर विचार करते समय, आयोग संबंधित पक्ष, महानिदेशक या किसी अन्य पक्ष को अपनी आपत्तियां और सुझाव, यदि कोई हो, प्रस्तुत करने का अवसर प्रदान करेगा।

(5) यदि आयोग की राय है कि उपधारा (1) के अधीन प्रस्तावित समझौता परिस्थितियों में उपयुक्त नहीं है या यदि आयोग और संबंधित पक्ष ऐसे समय के भीतर निपटान की शर्तों पर किसी समझौते पर नहीं पहुंचते हैं, जो विनियमों द्वारा विनिदष्ट किया जा सकता है, तो वह आदेश द्वारा, निपटान आवेदन को अस्वीकार कर देगा और धारा 26 के तहत अपनी जांच के साथ आगे बढ़ेगा।

(6) इस धारा के अधीन निपटान कार्यवाही करने की प्रक्रिया ऐसी होगी जो विनियमों द्वारा विनिदष्ट की जाए।

(7) इस धारा के अधीन आयोग द्वारा पारित किसी आदेश के विरुद्ध धारा 53ख के अधीन कोई अपील नहीं की जाएगी।

(8) इस अधिनियम के अधीन वसूली गई सभी निपटान राशियां भारत की संचित निधि में जमा की जाएंगी।

48ख.

(1) कोई उद्यम, जिसके विरुद्ध धारा 3 या धारा 4 की उपधारा (4) के उल्लंघन के लिए धारा 26 की उपधारा (1) के अधीन कोई जांच शुरू की गई है, जैसा भी मामला हो, आयोग को ऐसे रूप में और ऐसे शुल्क के भुगतान पर जो विनियमों द्वारा विनिदष्ट किया जाए, लिखित में आवेदन प्रस्तुत कर सकता है, धारा 26 की उप-धारा (1) के तहत आयोग के आदेश में बताए गए कथित उल्लंघनों के संबंध में प्रतिबद्धताओं की पेशकश करना।

(2) उपधारा (1) के अधीन वचनबद्धताओं के लिए प्रस्ताव आयोग द्वारा धारा 26 की उपधारा (1) के अधीन आदेश पारित किए जाने के पश्चात् किसी भी समय प्रस्तुत किया जा सकता है, परन्तु धारा 26 की उपधारा (4) के अधीन महानिदेशक की रिपोर्ट प्राप्त होने से पूर्व ऐसे समय के भीतर, जैसा कि विनियमों द्वारा विनिदष्ट किया जा सकता है।

(3) आयोग, प्रस्तावित वचनबद्धताओं के कथित उल्लंघनों और प्रभावशीलता की प्रकृति, गंभीरता और प्रभाव को ध्यान में रखते हुए, ऐसी शर्तों पर दी गई वचनबद्धताओं और विनियमों द्वारा विनिदष्ट कार्यान्वयन और निगरानी के तरीके को स्वीकार कर सकेगा।

(4) वचनबद्धता के प्रस्ताव पर विचार करते समय आयोग संबंधित पक्ष, महानिदेशक या किसी अन्य पक्ष को अपनी आपत्तियां और सुझाव, यदि कोई हो, प्रस्तुत करने का अवसर प्रदान करेगा।

(5) यदि आयोग की राय है कि उपधारा (1) के अधीन दी गई वचनबद्धता परिस्थितियों में उपयुक्त नहीं है या यदि आयोग और संबंधित पक्ष वचनबद्धता की शर्तों पर किसी समझौते पर नहीं पहुंचते हैं, तो वह वचनबद्धता आवेदन को अस्वीकृत करते हुए एक आदेश पारित करेगा और अधिनियम की धारा 26 के अधीन अपनी जांच को आगे बढ़ाएगा।

(6) इस धारा के अधीन दी जाने वाली वचनबद्धताओं की प्रक्रिया ऐसी होगी जो विनियमों द्वारा विनिदष्ट की जाए।

(7) इस धारा के अधीन आयोग द्वारा पारित किसी आदेश के विरुद्ध धारा 53ख के अधीन कोई अपील नहीं की जाएगी।

3.42 निपटान प्रस्तावों पर विचार के मुद्दे पर भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग (सीसीआई) ने निम्नलिखित सुझाव दिए:

"यह कहा गया है कि निपटान प्रस्ताव पर विचार करते समय, आयोग को निपटान राशि के भुगतान पर या ऐसी अन्य शर्तों या दोनों पर निपटान के प्रस्ताव पर सहमत होने का विवेकाधिकार दिया जाना चाहिए। तदनुसार, प्रस्ताव को निम्नानुसार संशोधित किया जा सकता है:

धारा 48क (3) आयोग उल्लंघनों की प्रकृति, गंभीरता और प्रभाव को ध्यान में रखते हुए, आवेदक द्वारा ऐसी राशि के भुगतान पर या ऐसी अन्य शर्तों या दोनों पर निपटान और निगरानी के कार्यान्वयन के तरीके पर निपटान के प्रस्ताव पर सहमत हो सकता है जैसा कि विनियमों द्वारा निर्दिष्ट किया जा सकता है।"

3.43 उपर्युक्त सुझावों के संबंध में, कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय ने निम्नवत् टिप्पणी की:

"वाक्यांश "या इस तरह के अन्य नियमों और तरीके पर" दंड और कुछ अन्य शर्तों दोनों को कवर करता है। इस प्रकार, प्रस्तावित संशोधन में इस तरह के बदलाव की आवश्यकता नहीं हो सकती है।

3.44 प्रतिबद्धता प्रस्तावों को प्रस्तुत करने के मुद्दे पर भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग (सीसीआई) ने निम्नलिखित सुझाव दिए:

"प्रतिबद्धता प्रस्ताव प्रस्तुत करने का चरण संबंधित पक्ष द्वारा जांच रिपोर्ट प्राप्त होने से पहले के अस्पष्ट चरण के बजाय कुछ दृढ़ निर्धारक कट-ऑफ तारीख पर आधारित होना चाहिए। निरपवाद रूप से महानिदेशक द्वारा आयोग को जांच रिपोर्ट प्रस्तुत करने, उसे पक्षकारों को अग्रेषित करने और पक्षों द्वारा वास्तविक प्राप्ति के बीच एक समय अंतराल होता है। महानिदेशक द्वारा आयोग को जांच रिपोर्ट सौंपे जाने और पक्ष द्वारा इसकी प्राप्ति के बीच की समयावधि अटकलें और अनिश्चितता पैदा कर सकती है।

इसलिए यह सुझाव दिया जाता है कि धारा 26 की उपधारा (1) के तहत आदेश पारित करने के बाद लेकिन महानिदेशक द्वारा जांच रिपोर्ट प्रस्तुत करने से पहले, जैसा कि विनियमों द्वारा निर्दिष्ट किया जा सकता है, प्रतिबद्धता के लिए चरण प्रदान किया जा सकता है। तदनुसार संशोधन के लिए प्रस्ताव पर विचार किया जा सकता है।"

3.45 उपर्युक्त सुझावों के संबंध में, कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय ने निम्नलिखित टिप्पणी की:

"महानिदेशक की रिपोर्ट की पक्ष द्वारा प्राप्ति से पहले की प्रतिबद्धता निश्चितता प्रदान करती है क्योंकि महानिदेशक द्वारा आयोग को रिपोर्ट प्रस्तुत करना एक आंतरिक मामला है।

पक्षों को रिपोर्ट मिलने पर ही उन्हें जांच के निष्कर्षों के बारे में पता चलता है। प्रस्ताव यह है कि जांच की सामग्री से अवगत कराने से पहले, वे प्रतिबद्धताओं का विकल्प चुन सकते हैं। इस प्रकार, प्रस्तावित संशोधन को संशोधित करने की आवश्यकता नहीं हो सकती है।"

3.46 निपटान प्रक्रिया के मुद्दे पर एफआईसीसीआई ने निम्नलिखित सुझाव दिया:-

"निपटान प्रक्रिया की अनुमति देने वाले उपबंध का दायरा प्राथमिक अधिनियम की धारा 3 (3) (यानी, कार्टेल अपराध) के तहत अपराधों को शामिल करने के लिए बढ़ाया जाना चाहिए।

सुझाए गए उपबंध का उद्देश्य प्राथमिक अधिनियम की धारा 3 (4) और धारा 4 के उल्लंघन के लिए पक्षों के खिलाफ कार्यवाही बंद करने के लिए एक निपटान प्रक्रिया शामिल करना है। हालांकि, अधिनियम की धारा 3 (3) के तहत अपराधों के मामलों में निपटान प्रक्रिया का उपयोग करने का अर्थात् कार्टेलाइजेशन के लिए कोई प्रावधान नहीं है, हमारा मानना है कि निपटान प्रक्रिया को कार्टेल अपराधों के उदाहरणों तक भी अमेरिकी एंटीट्रस्ट कानून में निपटान प्रावधानों के समान बढ़ाया जाना चाहिए। निपटान प्रक्रिया का प्राथमिक उद्देश्य पूरा नहीं किया जाएगा यदि कार्टेल अपराधों को इसके दायरे से बाहर रखा जाता है। चूंकि कार्टेलाइजेशन एक सार्वजनिक अपराध है और सीधे आम जनता को प्रभावित करता है, इसलिए ऐसे अपराधों के लिए सफल निपटान की प्रक्रिया भी उपलब्ध होनी चाहिए। इसके अतिरिक्त, यह पक्षों के लिए एक हद तक प्रतिष्ठा की क्षति से बचने के लिए एक लाभ के रूप में काम करेगा, क्योंकि वे अधिनियम की धारा 3 (3) के कथित उल्लंघन के मामले में स्वैच्छिक निपटान प्रक्रिया का सहारा ले सकते हैं। इसलिए, हम अधिनियम की धारा 3 (3) के तहत अपराधों के लिए इस सक्षम प्रावधान को शामिल करने का सुझाव देते हैं।"

3.47 उपर्युक्त सुझावों के संबंध में मंत्रालय ने अपनी निम्नलिखित टिप्पणियाँ की:

- "यह देखा गया कि चूंकि मौजूदा धारा 46 कार्टेल में शामिल पक्षों के लिए उदारता प्रदान करती है, इसलिए उन्हें प्रस्तावित निपटान तंत्र के तहत शामिल करने की कोई आवश्यकता नहीं है।
- इसके अतिरिक्त, धारा 3 (3) में उल्लिखित कार्टेल और क्षैतिज समझौते प्रकृति में भयानक और घातक हैं और इसलिए उन्हें निपटान तंत्र के दायरे से बाहर रखा गया है।"

3.48 इस विषय को और स्पष्ट करते हुए, हितधारकों ने निम्नवत् बताया:

<u>निपटान की रूपरेखा</u>

सबसे पहले, यह स्पष्ट नहीं है कि निपटान प्रक्रिया में इस प्रक्रिया को शुरू करने के लिए पूर्व शर्त के रूप में उल्लंघन और देयता की स्वीकृति शामिल है या नहीं। इस तरह के प्रवेश से व्यवसाय के अन्य अवसरों पर असर पड़ सकता है (जैसे निविदाओं में भाग लेने में असमर्थता, अन्य नियामकों से जांच में वृद्धि, निदेशक अयोग्यता, आदि)।

यह ध्यान में रखा जाना चाहिए कि सीएलआरसी रिपोर्ट, अन्य न्यायालयों में निपटान और प्रतिबद्धताओं की प्रक्रिया का संदर्भ देते समय (इस तथ्य सहित कि यूरोपीय संघ के ढांचे को अपनी निपटान प्रक्रिया के एक हिस्से के रूप में अपराध की स्वीकृति की आवश्यकता होती है), भारतीय संदर्भ में अपराध को स्वीकार करने की आवश्यकता पर विचार नहीं करती है। यहां स्पष्टता पार्टियों को यह तय करने में मदद करेगी कि इस तंत्र का चयन करना है या नहीं।

दूसरा, इस बात को लेकर चिंता है कि प्रतिस्पर्धा अधिनियम के बाद के किसी भी उल्लंघन को सीसीआई द्वारा कैसे माना जाएगा। क्या निपटान समझौते / आदेश की उपस्थिति को एक उत्तेजक कारक के रूप में माना जाएगा, और क्या यह पुनरावृत्ति के बराबर होगा?

तीसरा, क्या निपटान समझौते / आदेश में केवल मौद्रिक दंड शामिल होंगे, या यह व्यवहार संबंधी उपचारों की भी अनुमति देगा? यदि व्यवहार संबंधी उपचारों की अनुमति दी जाती है तो उपचार प्रस्ताव, प्रस्तावित उपचारों के बाजार परीक्षण और अन्य संबंधित मामलों में तीसरे पक्ष (सूचनादाता और डीजी के अलावा) की भागीदारी की गुंजाइश के बारे में स्पष्टीकरण की आवश्यकता होती है।

इस ढांचे में अपील पर रोक से कई अन्य सवाल पैदा होते हैं और पार्टियों को नाखुश और इस तरह के तंत्र में भाग लेने के लिए अनिच्छुक छोड़ने की संभावना है।

चौथा, क्या डीजी और सूचनादाता के विचारों को ध्यान में रखते हुए पारित इस तरह का निपटान समझौता/आदेश, सूचनादाता/प्रभावित तीसरे पक्षों को नुकसान के लिए अनुवर्ती कार्रवाई शुरू करने की अनुमति देगा?

<u>प्रतिबद्धता ढांचा</u>

निपटानों के लिए रेखांकित की गई उपरोक्त चिंताएं प्रतिबद्धताओं पर भी समान रूप से लागू होती हैं। विशेष रूप से प्रतिबद्धताओं के लिए, कुछ अतिरिक्त चिंताएं हैं।

डीजी की जांच पूरी होने से पहले, उन मुद्दों के संबंध में कोई मार्गदर्शन नहीं है जिनसे सीसीआई (या उस मामले के लिए, डीजी) विशेष रूप से संबंधित है। जांच के आदेश में केवल इस कार्ड को चिह्नित करने की आवश्यकता होती है कि प्रथम दृष्टया उल्लंघन का मामला बनता है, और तदनुसार डीजी को "मामले में"

जांच करने का निर्देश दिया जाता है। जांच के हिस्से के रूप में, डीजी से सभी आरोपों की जांच करने और निष्कर्षों को वापस करने की उम्मीद है।

डीजी को समग्र तस्वीर पर पहुंचने के लिए जांच के दायरे का विस्तार करने (यहां तक कि एक कथित कार्टेल मामले को प्रभुत्व के दुरुपयोग के मामले तक विस्तारित करने) का अधिकार है। इसलिए, इस स्तर पर, पार्टियों को उन सभी आरोपों पर स्पष्ट होने की संभावना नहीं है जिन्हें उन्हें प्रतिबद्धताओं के माध्यम से संबोधित करने की आवश्यकता है। यह बदले में पार्टियों द्वारा दी गई प्रतिबद्धताओं की प्रभावकारिता को प्रभावित करता है।इस स्तर पर डीजी रिपोर्ट की कमी के कारण, सीसीआई पर चिंताओं का एक बयान साझा करने के लिए एक सकारात्मक दायित्व जोड़ना उपयोगी हो सकता है ताकि पक्षों को स्पष्टता हो कि उन्हें प्रस्तावित प्रतिबद्धताओं के माध्यम से अपने आचरण के किन पहलुओं को संबोधित करने की आवश्यकता है।

3.49 उपर्युक्त सुझावों पर कार्पोरेट कार्य मंत्रालय ने निम्नलिखित टिप्पणी की:

- यह प्रावधान सीएलआरसी द्वारा विस्तृत विचार के बाद पेश किया गया था।
- आयोग द्वारा निपटान और प्रतिबद्धता तंत्र के लिए एक विस्तृत विनियमन जारी किया जाएगा जिसमें सभी आवश्यक विवरण होंगे और मनमानी को कम करेगा और जवाबदेही सुनिश्चित करेगा।
- चूंकि विनियम सार्वजनिक परामर्श के बाद बनाएं जाने हैं, इसलिए हितधारकों की सभी चिंताओं को इसमें संबोधित किया जाएगा।
- आयोग कुछ तथ्यों के आधार पर आदेश पारित करेगा . इस प्रकार, यदि तथ्यों में कोई भौतिक परिवर्तन होता है, तो निपटान और प्रतिबद्धता आदेश को रद्द किया जा सकता है और शुरू की गई जांच आयोग के समक्ष सामान्य कार्यवाही की तरह जारी रहेगी।
- वाक्यांश "या ऐसे अन्य नियमों और तरीके पर" मौद्रिक दंड और व्यवहार उपचार दोनों को कवर करता है।
- इसके अलावा,निपटान की कार्यवाही के दौरान, तीसरे पक्ष सहित पक्षकारों को सुना जाएगा। उनके विचारों और आपत्तियों पर आयोग द्वारा विचार किया जाएगा।

3.50 निपटान प्रक्रिया के अंतर्गत अपराध स्वीकृति के मुद्दे पर हितधारक ने लिखित टिप्पण में निम्नलिखित सुझाव दिया:-

"विदेशी न्यायालयों में यथावर्णित प्रतिस्पर्धा कानून कार्यवाही का "निपटान" इस बात पर जोर देता है कि संबंधित उद्यम कथित उल्लंघन के लिए दायित्व स्वीकार करता है।

यह स्पष्ट नहीं है कि "निपटान" अधिनियम की धारा 53 ढ के तहत मुआवजे की कार्यवाही से निपटान आवेदक का संरक्षण करेगा या नहीं।

जब तक अधिनियम की धारा 53 ढ से निपटान आवेदक को संरक्षण नहीं मिलता है, तब तक निपटान प्रावधान एक गैर-स्टार्टर हो सकता है, खासकर क्योंकि निपटान प्रावधान का लाभ उठाने से पक्षकार अधिनियम की धारा 53 ख के तहत निर्णय की अपील करने के अधिकार से वंचित हो जाता है।"

3.51 उपर्युक्त सुझावों के संबंध में, मंत्रालय ने अपनी निम्नलिखित टिप्पणियाँ दी:

- "प्रस्तावित संशोधन में अधिनियम की धारा 3 (4) और धारा 4 के उल्लंघन के लिए निपटान तंत्र शुरू करने का प्रयास किया गया है।
- यह प्रतिस्पर्धा के मामलों के तेजी से समाधान को प्रोत्साहित करना चाहता है, जिससे व्यवसायों को लंबी जांच से बचने में सक्षम बनाया जा सके।
- इनसे मुकदमों में काफी कमी आने, अदालतों पर से बोझ कम होने और मौद्रिक जुर्माने की बेहतर वसूली और भारत की व्यापार अनुकूल राष्ट्र होने की छवि में सुधार होने की उम्मीद है।
- चूंकि विनियम सार्वजनिक परामर्श के बाद बनाए जाने हैं, इसलिए हितधारकों की सभी चिंताओं का उसमें समाधान किया जाएगा।
- आयोग के आदेशों के उल्लंघन के मामले में मुआवजे से संबंधित धारा 42 ए में प्रस्तावित संशोधनों में एस से संबंधित धारा 48 ए को शामिल नहीं किया गया है।
- निपटान कार्यवाही के दौरान, तीसरे पक्ष सहित पार्टियों को सुना जाएगा। उनके विचारों और आपत्तियों पर आयोग द्वारा विचार किया जाएगा।
- चूँकि जन विचार-विमर्श के पश्चात् विनियम बनाए जाएंगे, जिसमें हितधारकों की समस्त चिंताओं का निदान होगा"।

3.52 निपटान और प्रतिबद्धता तंत्र के संबंध में, प्रतिस्पर्धा विधि समीक्षा समिति, 2019 की सिफारिश निम्नानुसार है :

"अतः, मौजूदा उदाहरणों के आलोक में और जैसा कि ऊपर चर्चा की गई है, निपटान तंत्र से जुड़ी प्रक्रियात्मक दक्षता के हित में, समिति ने सिफारिश की कि प्रतिस्पर्धा अधिनियम में संशोधन किया जाना चाहिए ताकि सीसीआई को पक्षों से निपटान स्वीकार करने और निपटान तंत्र प्रदान करने को स्पष्ट रूप से सक्षम बनाया जा सके। निपटान रुपरेखा की धारा 3(4) के तहत समझौतों के कथित उल्लंघन और प्रतिस्पर्धा अधिनियम की धारा 4 के तहत प्रभुत्व के दुरुपयोग के लिए लागू होना चाहिए। प्रतिस्पर्धा अधिनियम को कुछ शर्तों के अधीन निपटान आदेश पारित करने के लिए सीसीआई को सशक्त बनाना चाहिए जिसमें निपटान राशि और/या गैर-मौद्रिक शर्तें शामिल हो सकती हैं। निपटान के लिए आवेदन जमा करने की समय-सीमा के संबंध में, इस बात पर सहमति हुई कि आवेदन

केवल डीजी रिपोर्ट प्राप्त होने के बाद और सीसीआई द्वारा अंतिम आदेश पारित करने से पहले दायर किया जा सकता है, जैसा कि अधीनस्थ विधान द्वारा निर्दिष्ट किया जा सकता है। . समिति इस बात पर भी सहमत हुई कि निपटान आवेदन को स्वीकार या अस्वीकार करने वाले आदेश को अपीलीय न्यायाधिकरण के समक्ष अपील योग्य नहीं बनाया जाना चाहिए। अधीनस्थ विधान में निपटान तंत्र के लिए विस्तृत प्रक्रिया निर्धारित की जानी चाहिए।"

3.53 समिति नोट करती है कि हितधारकों की राय है कि धारा 48(ख)(4) के अंतर्गत प्रस्तावित संशोधन से तृतीय पक्ष द्वारा अत्यधिक हस्तक्षेप बढ़ सकता है और मामले की गोपनीयता से समझौता करना पड़ सकता है। इस संबंध में, समिति सिफारिश करती है कि खंड में 'किसी अन्य पक्ष' के समावेशन को हटा दिया जाना चाहिए और यदि सीसीआई को तृतीय पक्ष से कोई आपत्ति प्राप्त करनी है, तो ऐसा दायित्व अनिवार्य नहीं बल्कि विवेकाधीन होना चाहिए।

समिति नोट करती है कि विधेयक के उपबंधों के अनुसार, वर्तमान स्वरूप में, पक्ष प्रतिबद्धताओं या निपटान प्रक्रिया से बीच में ही बाहर निकल सकते हैं, यदि आयोग अनुचित प्रस्ताव के आधार पर आवेदन को अस्वीकार करता है, या आयोग और पक्ष एक समझौते पर नहीं पहुंचते हैं। हालाँकि, ऐसा करने की शक्ति अभी भी केवल आयोग के पास ही है। समिति का मत है कि ऐसे मामलों की संभावना हो सकती है जहां संबंधित पक्ष जांच से पीछे हटना चाहे, लेकिन आयोग मामले को तुरंत खारिज न करे और प्रक्रिया को लंबे समय तक जारी रखे। इसलिए, समिति सिफारिश करती है कि संबंधित पक्ष के पास भी पीछे हटने की शक्ति होनी चाहिए।

समिति का यह भी सुविचारित मत है कि कार्टेल को भी निपटान के दायरे में शामिल किया जाना चाहिए। कार्टेल को शामिल करने के विरुद्ध यह तर्क दिया गया है कि उनकी प्रकृति प्रतिस्पर्धी-रोधी हैं। सीएलआरसी रिपोर्ट भी कार्टेल को शामिल करने की सिफारिश नहीं करती। कार्टेल के लिए निपटान उपबंध मामला-दर-मामला आधार पर अदालतों के निर्णय द्वारा किया जा सकता है। इस पर जोर देने की आवश्यकता नहीं है कि कोई भी मामला, कार्टेल या अन्यथा, जो निपटान चरण तक पहुंचता है, वह प्रतिस्पर्धा-रोधी रहा होगा। इसलिए समिति सिफारिश करती है कि सीसीआई को पूरी प्रक्रिया के व्यावहारिक उपाय के रूप में कार्टेल को शामिल करने के लिए निपटान के दायरे का विस्तार करने पर विचार करना चाहिए।

समिति आगे पाती है कि बिल इस पर मौन है कि निपटान और प्रतिबद्धता के लिए आवेदन करने पर दोष स्वीकार करना जरूरी है या नहीं। प्रथम दृष्टया अपराध स्वीकार करना अनिवार्य नहीं होना चाहिए। तदनुसार, समिति सिफारिश करती है कि सीसीआई द्वारा अंतिम निपटान के आदेश के बाद एक अंतिम

अवसर के रूप में आवेदक को सीसीआई के समक्ष निपटान/प्रतिबद्धता पर पुनर्विचार हेतु आवेदन करने की अनुमति देने संबंधी सक्षम उपबंध होना चाहिए। प्रभावित उपभोक्ताओं को उचित तरीके से मुआवजा प्रदान करने के लिए उपभोक्ता के दृष्टिकोण से इस खंड (मूल अधिनियम में सक्षम बनाने वाली धारा के अतिरिक्त) के अंतर्गत विनियमन के माध्यम से उपबंध किया जाए।

समिति सिफारिश करती है कि प्रस्तावित धारा 48क और 48ख को निम्नवत संशोधित किया जाए:

48क (1) कोई भी उद्यम, जिसके विरुद्ध धारा 26 की उप-धारा (1) के अंतर्गत धारा 3 या धारा 4 की उप-धारा (3) या उप-धारा (4) के उल्लंघन करने के लिए कोई जांच शुरू की गई है, कथित उल्लंघनों के निपटान के लिए लिए शुरू की गई कार्यवाही के लिए आयोग को विनियमों द्वारा यथाविनिर्दिष्ट रूप में और ऐसे शुल्क के भुगतान पर लिखित रूप में एक आवेदन प्रस्तुत करेगा।

(2) उप-धारा (1) के अंतर्गत कोई आवेदन धारा 26 की उप-धारा (4) के अंतर्गत महानिदेशक की रिपोर्ट की प्राप्ति के बाद, परंतु नियमों द्वारा यथानिर्दिष्ट धारा 27 या धारा 28 के अंतर्गत किसी आदेश के पारित होने से पहले किसी भी समय प्रस्तुत किया जा सकता है।

परंतु यह कि उप-धारा (1) के अंतर्गत आवेदक को सुनवाई की तारीख से 7 कार्य दिवसों के भीतर आवेदन वापस लेने का अधिकार होगा। आवेदन वापस लेने की स्थिति में आयोग बिना किसी पूर्वाग्रह प्रस्तावित समझौते पर अधिनियम की धारा 26 के अंतर्गत अपनी जांच को आगे बढ़ाएगा।

(3) आयोग, उल्लंघनों की प्रकृति, गंभीरता और प्रभाव को ध्यान में रखते हुए आवेदक द्वारा ऐसी राशि के भुगतान पर या विनियमों में यथानिर्दिष्ट निपटान और निगरानी के कार्यान्वयन की ऐसी अन्य शर्तों और रीति से समझौते के प्रस्ताव पर सहमत हो सकता है।

(4) निपटान के प्रस्ताव पर विचार करते समय, आयोग संबंधित पक्ष या महानिदेशक को अपनी आपत्तियां और सुझाव, यदि कोई हो, प्रस्तुत करने का अवसर प्रदान करेगा।

(5) यदि आयोग मत यह है कि उप-धारा (1) के अंतर्गत प्रस्तावित समझौता उन परिस्थितियों में उचित नहीं है या यदि आयोग और संबंधित पक्ष विनियमों द्वारा यथानिर्दिष्ट समयसीमा के भीतर निपटान की शर्तों पर किसी समझौते पर नहीं पहुँचते हैं तो आयोग आदेश द्वारा, निपटान आवेदन को रद्द कर देगा और धारा 26 के अंतर्गत अपनी जांच कों आगे बढ़ाएगा।

(6) इस धारा के अंतर्गत निपटान की कार्यवाही करने की प्रक्रिया ऐसी होगी जो विनियमों द्वारा यथा विहित की जाएंगी।

(7) इस धारा के अंतर्गत आयोग द्वारा पारित किसी भी आदेश के विरुद्ध धारा 53ख के अंतर्गत निपटान प्रस्ताव से सहमत किसी पक्ष द्वारा कोई अपील नहीं की जाएगी।

(8) इस अधिनियम के अंतर्गत वसूली की गई सारी निपटान राशि भारत की संचित निधि में जमा की जाएगी।

48ख (1) कोई भी उद्यम, जिसके विरुद्ध यथास्थिति धारा 3 या धारा 4 की उप-धारा (4) के उल्लंघन के लिए धारा 26 की उप-धारा (1) के अंतर्गत कोई जांच शुरू की गई है, धारा 26 की उप-धारा (1) के अंतर्गत आयोग के आदेश में वर्णित कथित उल्लंघनों के संबंध में प्रतिबद्धताओं की पेशकश करते हुए आयोग को लिखित रूप में और ऐसे शुल्क के भुगतान पर यथाविहित विनियमों और रीति से आवेदन कर सकता है।

(2) उप-धारा (1) के अंतर्गत प्रतिबद्धताओं का प्रस्ताव आयोग द्वारा यथास्थिति धारा 26 की उप-धारा (1) के अंतर्गत आदेश पारित करने के बाद, परंतु पक्ष को धारा 26 की उप-धारा (4) के अंतर्गत महानिदेशक की रिपोर्ट प्राप्त होने से पहले किसी भी समय प्रस्तुत किया जा सकता है।

(3) आयोग, कथित उल्लंघनों की प्रकृति, गंभीरता और प्रभाव तथा प्रस्तावित प्रतिबद्धताओं की प्रभावशीलता को ध्यान में रखते हुए, विनियमों द्वारा यथाविहित शर्तों पर और कार्यान्वयन और निगरानी की रीति से प्रस्तावित प्रतिबद्धताओं को स्वीकार कर सकता है।

(4) प्रतिबद्धता के प्रस्ताव पर विचार करते समय, आयोग संबंधित पक्ष या महानिदेशक को अपनी आपत्तियां और सुझाव, यदि कोई हो, प्रस्तुत करने का अवसर प्रदान करेगा।

(5) यदि आयोग का मानना है कि उप-धारा (1) के अंतर्गत प्रतिबद्धता दी गई परिस्थितियों में उचित नहीं है या यदि आयोग और संबंधित पक्ष प्रतिबद्धता की शर्तों पर किसी समझौते पर नहीं पहुँचते हैं, तो यह अधिनियम की धारा 26 के अंतर्गत प्रतिबद्धता आवेदन को रद्द करने का आदेश पारित करते हुए अपनी जांच को आगे बढ़ाएगा।

(6) इस धारा के अंतर्गत प्रस्तावित प्रतिबद्धताओं की प्रक्रिया ऐसी होगी जो विनियमों द्वारा विहित की जाए।

(7) इस धारा के अंतर्गत आयोग द्वारा पारित किसी भी आदेश के विरुद्ध धारा 53ख के अंतर्गत प्रतिबद्धता के प्रस्ताव से सहमत किसी भी पक्ष द्वारा की गई कोई अपील मान्य नहीं होगी।

इसके अतिरिक्त, मूल अधिनियम की धारा 53ढ़ में प्रासंगिक संशोधन किया जाए,

53ढ़ प्रतिकर:

(1) इस अधिनियम में निहित किसी अन्य उपबंध पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, केंद्र सरकार या राज्य सरकार या स्थानीय प्राधिकरण या कोई उद्यम या कोई भी व्यक्ति आयोग के निष्कर्ष या धारा 48क के अंतर्गत पारित निपटान आदेश या आयोग के किसी भी निष्कर्ष के विरुद्ध अपील में अपीलीय न्यायाधिकरण के आदेश के विरुद्ध या धारा 42क के अंतर्गत या अधिनियम की धारा 53थ की उप-धारा (2) के अंतर्गत तथा अध्याय दो के उपबंधों के किसी उल्लंघन के परिणामस्वरूप केंद्र सरकार या राज्य सरकार या किसी स्थानीय प्राधिकरण या किसी उद्यम या किसी व्यक्ति द्वारा की गई किसी भी हानि या क्षति के लिए किसी भी उद्यम से मुआवजे की वसूली के लिए आदेश पारित करने के लिए अपीलीय न्यायाधिकरण के समक्ष मुआवजे के दावे पर न्यायनिर्णयन के लिए आवेदन कर सकता है।

(2) उप-धारा (1) के अंतर्गत किए गए प्रत्येक आवेदन के साथ आयोग के निष्कर्ष या निपटान के आदेश, यदि कोई हो, और ऐसी फीस भी होगी जो विनिर्धारित की जाए।

(6) हब और स्पोक कार्टेल्स

3.54 विधेयक का खंड 4 निम्नवत् पठनीय है:

(क) उपधार 3 में परंतुक के पश्चात् निम्नलिखित परंतुक अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:—

"परंतु यह और कि कोई उद्यम या उद्यमों का संगम या कोई व्यक्तियों का संगम तथापि समान या उसी तरह के व्यापार में नहीं लगे हुए हैं, को भी इस उपधारा के अधीन करार का हिस्सा समझा जाएगा यदि वे ऐसे करार को अग्रसर करने में सक्रिय रूप से भाग लेता है।";

3.55 उपर्युक्त मुद्दे पर एफआईसीसीआई ने निम्नलिखित सुझाव दिए/ विचार व्यक्त किए:

"यदि समान व्यापार में संलग्न व्यक्तियों के लिए प्रावधान की प्रयोज्यता को बनाए रखा जाना है, तो इस तरह के प्रावधान को निरीक्षण की गई सामग्रियों और दस्तावेजों के आधार पर लागू किया जाना चाहिए, न कि प्रतिकूल अनुमान / कानूनी कल्पना के आधार पर। उपबंध का प्रस्तावित संयोजन उन पक्षों के लिए अनुचित उत्पीड़न का कारण बन सकता है जिनकी इस तरह के प्रतिस्पर्धा-विरोधी समझौतों में कोई दिलचस्पी नहीं है, और इससे कोई लाभ नहीं मिलता है।

इसके अलावा, "सक्रिय रूप से भाग लेता है" शब्द अस्पष्ट है और इस प्रावधान का दुरुपयोग से कुछ पक्षों का नुकसान कर सकता है। उदाहरण के लिए, कुछ उद्योग संघ हो सकते हैं जो उद्योग को प्रभावित करने वाले मुद्दों पर उद्योग की कंपनियों के बीच चर्चा के लिए मंच प्रदान करने के लिए कार्यक्रम आयोजित करते हैं। यदि उद्योग जगत की कुछ कंपनियां अपनी मर्जी से और उद्योग संघ से अनभिज्ञ होकर ऐसे

आयोजनों के दौरान प्रतिस्पर्धा रोधी व्यवस्थाओं पर चर्चा करते हैं, तो भी उद्योग संघ को इस तरह के आयोजन के मामले में फंसाया जा सकता है, बावजूद इसके कि उसे प्रतिस्पर्धा-रोधी व्यवस्थाओं के बारे में चर्चाओं के बारे में कोई जानकारी नहीं है।"

3.56 उपर्युक्त सुझावों के संबंध में, कार्पोरेट कार्य मंत्रालय ने निम्नवत् टिप्पणी की:

(i) धारा 3(3) के अनुसार, किसी भी कार्टेल या क्षैतिज समझौतों के विरुद्ध केवल एक खंडन योग्य धारणा है और इसलिए, कोई भी हब और स्पोक कार्टेल जो प्रतिस्पर्धा पर वृद्धिशील प्रतिकूल प्रभाव (एएईसी) की अनुपस्थिति को प्रदर्शित कर सकता है, इस धारणा का खंडन कर सकता है।

(ii) "सक्रिय रूप से भाग लेता है" वाक्यांश का उद्देश्य अन्य क्षैतिज प्रतिस्पर्धा रोधी समझौतों के साथ हब और स्पोक कार्टेल पर कब्जा करना और दंडित करना है, भले ही हब उसी प्रासंगिक बाजार में काम न करे।

यह देखा गया है कि कई उद्योग संघ एक मंच प्रदान करते हैं जहां पक्षकार कीमतें तय करने या बाजार आवंटित करने के लिए एक समझौते पर पहुंचती हैं। सीसीआई द्वारा कार्टेल और प्रतिस्पर्धा-रोधी समझौतों के साथ-साथ अन्य क्षेत्राधिकारों में अपनी जांच के दौरान यह देखा गया है। हालांकि, यदि उन पर आरोप लगाया जाता है, तो ये संघ हमेशा अपने खिलाफ इस धारणा का खंडन कर सकते हैं।

3.57 मुद्दे को आगे स्पष्ट करते हुए, एसोचैम ने निम्नलिखित सुझाव दिए/ विचार व्यक्त किए:

"संशोधन विधेयक में प्रस्तावित संशोधन का वर्तमान पाठ यह स्पष्ट नहीं करता है कि सीसीआई किसको "सक्रिय" भागीदारी के रूप में मानेगा। यह विशेष रूप से मध्यस्थ सेवाएं प्रदान करने वाली संस्थाओं के मामलों में प्रासंगिक होगा या कार्टेल व्यवस्था (उदाहरण के लिए, ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म) के बारे में बिना किसी इरादे, ज्ञान या चिंता के सूचना विनिमय की सुविधा प्रदान करेगा।

यह संशोधन विधेयक यह स्पष्ट नहीं करता है कि क्या व्यापार संघ की यह भूमिका (यानी, प्रतिस्पर्धियों को बैठकों के माध्यम से वाणिज्यिक रूप से संवेदनशील जानकारी का आदान-प्रदान करने के लिए एक सुलभ मंच प्रदान करना), हालांकि अनजाने में की गई है, पर यह इस तरह के कार्टेल में "सक्रिय रूप से भाग लेने" के रूप में देखा जाएगा। हम आगे कार्टेल में एक पक्ष की भूमिका स्थापित करने के लिए पक्ष के इरादे को इसमें शामिल करने का सुझाव देते हैं ताकि एक कार्टेल में गलत तरीके से एक ऐसे पक्ष को आरोपित होने से रोका जा सके जिसका ऐसा करने का कोई इरादा नहीं था।

इस प्रकार इस परंतुक की प्रयोज्यता को केवल उन उदाहरणों तक सीमित करना विवेकपूर्ण होगा जहां उद्यमों ने कार्टेल को आगे बढ़ाने के इरादे से काम किया है। इससे यह सुनिश्चित होगा कि जिन उद्यमों का गैर-इरादतन

और अनजाने में इस तरह के आचरण के लिए एक मंच प्रदान करने से परे सामूहिक आचरण से कोई लेना-देना नहीं था, उन्हें जांच के दायरे में नहीं लाया जाएगा।"

3.58 कार्पोरेट कार्य मंत्रालय ने उपर्युक्त सुझावों के संबंध में, निम्नवत् बताया:

"धारा 3 (3) के अनुसार, किसी भी कार्टेल या क्षैतिज समझौतों के विरूद्ध केवल एक खंडन योग्य धारणा है और इसलिए, कोई भी हब और स्पोक कार्टेल जो प्रतिस्पर्धा पर वृद्धिशील प्रतिकूल प्रभाव (एएईसी) के अभाव को प्रदर्शित कर सकता है, इस धारणा का खंडन कर सकता है।

(i) वाक्यांश "सक्रिय रूप से भाग लेता है" का उद्देश्य अन्य गैर प्रतिस्पर्धी समझौतों के साथ हब और स्पोक कार्टेल पर कब्जा करना और दंडित करना है, भले ही सभी प्रतिभागी एक ही प्रासंगिक बाजार में काम न करें।

(ii) वाक्यांश "सक्रिय रूप से भाग लेता है" एक उद्यम या उद्यमों के संघ या एक व्यक्ति या व्यक्तियों के संघ की क्षैतिज और कार्टेल समझौते में भागीदारी का ध्यान रखता है और प्रवर्तन में भी संभावित अतिक्रमण करता है, जहां केवल अस्तित्व में होने से ही दंडात्मक कार्रवाई हो सकती है।

(iii) यह देखा गया है कि कई उद्योग संघ एक मंच प्रदान करते हैं जहां पक्षकार कीमतें तय करने या बाजार आवंटित करने के लिए एक समझौते पर पहुंचती हैं। सीसीआई द्वारा कार्टेल और प्रतिस्पर्धा-रोधी समझौतों के साथ-साथ अन्य क्षेत्राधिकारों में अपनी जांच के दौरान यह देखा गया है। हालांकि, यदि उन पर आरोप लगाया जाता है, तो ये संघ हमेशा अपने खिलाफ इस धारणा का खंडन कर सकते हैं।

(iv) आयोग को यह प्रमाणित करना होगा कि प्रतिस्पर्धा-विरोधी समझौतों को आगे बढ़ाने में सक्रिय भागीदारी थी, अन्यथा कई पक्ष जो प्रतिस्पर्धा विरोधी समझौतों के बारे में भी नहीं जानते थे, वे अनुमान के नियम के तहत आएंगे। उदाहरण के लिए, एक व्यापार संघ ने अपने सदस्यों को जानबूझकर एक मंच प्रदान नहीं किया होगा जिन्होंने एसोसिएशन की बैठक के दौरान साइड-लाइन पर प्रतिस्पर्धा विरोधी समझौते किए हैं। ऐसे मामलों में, उस व्यापार संघ को उस प्रतिस्पर्धा विरोधी समझौते के हिस्से के रूप में नहीं माना जा सकता है।"

3.59 प्रतिस्पर्धा विधि समीक्षा समिति, 2019 की सिफारिश इस प्रकार है:

"पूर्वोक्त विचार-विमर्श के आलोक में और हब एंड स्पोक कार्टेल द्वारा प्रतिस्पर्धा अधिनियम की धारा 3(3) के उल्लंघन का आकलन करते समय हब की देयता को स्पष्ट करने की दृष्टि से, समिति ने

प्रतिस्पर्धा अधिनियम की धारा 3 (3) के तहत परिकल्पित मौजूदा खंडन योग्य अनुमान नियम के आधार पर और बिना किसी ज्ञान या 'इरादे' के 'हब' को स्पष्ट रूप से कवर करने और ऐसे हब के लिए दायित्व आरोपित करने के लिए समिति ने धारा 3(3) में एक स्पष्टीकरण जोड़ने की सिफारिश की।"

3.60 ऊपर दिए गए विचार-विमर्श के आलोक में, समिति यह नोट करती है कि विधेयक ने कंपनियों द्वारा मूल्य श्रृंखला के विभिन्न स्तरों पर हब और स्पोक व्यवस्थाओं को शामिल करने के लिए कार्टेल के दायरे का विस्तार किया है। हालांकि, समिति यह नोट करती है कि समझौते में सक्रिय भागीदारी, जिसे संभावित रूप से शामिल किया जा सकता, के अर्थ पर कोई स्पष्टता नहीं है:

(एक) संस्थाएं केवल डिजिटल बाजारों, उदाहरण के लिए ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के लिए मध्यस्थता सेवाएं प्रदान करती हैं, और

7) न्यायिक सदस्य की आवश्यकता

3.61 विधेयक का खंड 9 निम्नवत् पठनीय है:

मूल अधिनियम की धारा 8 की उपधारा (2) में "उद्योग" शब्द के पश्चात् "प्रौद्योगिकी" शब्द अंतःस्थापित किया जाएगा।

धारा 8

आयोग की संरचना

(i) आयोग में एक अध्यक्ष होगा और केन्द्र सरकार द्वारा नियुक्त किए जाने वाले कम से कम दो और छह से अनधिक अन्य सदस्य नहीं होंगे।

(ii) अध्यक्ष और प्रत्येक अन्य सदस्य योग्यता, सत्यनिष्ठा और प्रतिष्ठा का व्यक्ति होगा और जिसे अंतर्राष्ट्रीय व्यापार, अर्थशास्त्र, व्यवसाय, वाणिज्य, कानून, वित्त, लेखा, प्रबंधन, उद्योग, सार्वजनिक मामलों या प्रतिस्पर्धा कानून और नीति सहित प्रतिस्पर्धा मामलों का विशेष ज्ञान और कम से कम पंद्रह वर्षों का पेशेवर अनुभव होगा, जो केंद्र सरकार की राय में है। आयोग के लिए उपयोगी हो सकता है।

3.62 भारतीय कंपनी सचिव संस्थान (आईसीएसआई) ने उपर्युक्त विषय के संबंध में, निम्नलिखित सुझाव दिए/ विचार व्यक्त किए:

"आयोग का एक अध्यक्ष होगा तथा दो से कम तथा छ से अनधिक सदस्य केंद्र सरकार द्वारा नियुक्त किए जाएँगे जिनमें से कम से कम एक सदस्य न्यायिक सदस्य होगा। सी सी आई अधनियम के अंतर्गत न्यायिक कार्य कर रहा है और निष्पक्षता, पारदर्शिता सुनिश्चित करने और कानून की उचित पराक्र इया का पालन करने के लिए, यह सुझाव दिया जाता है कि आयोग में एक न्यायिक सदस्य हो सकता है।"

3.63 मुद्दे को आगे स्पष्ट करते हुए, एफआईसीसीआई ने निम्नलिखित सुझाव दिए/ विचार व्यक्त किए:

"सी सी आई में न्यायिक सदस्यों की प्रबलता होनी चाहिए। संशोधन विधेयक प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में सी सी आई सदस्य का चुनाव करने के लिए अतिरिक्त योग्यता के उपबंध को पुरस्थापित करने का प्रस्ताव करता है। इसके अतिरिक्त आयोग के सदस्य अत्यधिक अनुभवी और शिक्षित हैं, अतिरिक्त रूप से न्यायिक अनुभव से न्यायिक निष्कर्षों पर पहुँचने के लिए आयोग की सहायता कर सकता है। वह साक्ष्यों पर आधारित तथ्यों के माध्यम से इसे देख सकता है और किसी निर्णय पर पहुँचने के लिए समुचित विधिक सिद्धांतों को प्रयोग कर सकता है। किसी भ निर्णय पर पहुँचने से पहले वह ऐसा कर सकता है। इस प्रकार से सीसीआई के पास न्यायिक सदस्य होने चाहिए।"

3.64 उपर्युक्त मुद्दे पर हितधारकों ने निम्नलिखित सुझाव दिए/ विचार व्यक्त किए:

"सीसीआई 2018 से न्यायिक रूप से प्रशिक्षित सदस्य की उपस्थिति के बिना न्यायिक कार्य कर रहा है। *महिंद्रा इलेक्ट्रिक मोबिलिटी लिमिटेड और एएनआर बनाम सीसीआई एंड अन्य* मामले में माननीय दिल्ली उच्च न्यायालय की खंडपीठ के स्पष्ट निर्देश के बावजूद कि सीसीआई द्वारा किए गए न्यायिक आदेशों में न्यायिक सदस्य की उपस्थिति और भागीदारी आवश्यक रूप से शामिल होनी चाहिए, किसी भी न्यायिक सदस्य को सीसीआई में न्यायिक सदस्य नियुक्त नहीं किया गया है। अतीत में, प्राकृतिक न्याय या प्रक्रियात्मक अनियमितताओं के बुनियादी मुद्दों पर सीसीआई के कई फैसलों को पलट दिया गया है, जिन्हें पीठ में एक न्यायिक सदस्य के अनुभव और ज्ञान के साथ टाला जा सकता है। एक न्यायिक सदस्य की उपस्थिति भी कार्यवाही में अधिक निष्पक्षता की भावना ला सकती है और सीसीआई से निकलने वाले अच्छी तरह से तर्कसंगत निर्णयों को सुकर बना सकती है।"

3.65 उपर्युक्त सुझावों के संबंध में कार्पोरेट कार्य मंत्रालय ने निम्नलिखित टिप्पणी की:

"प्रतिस्पर्धा अधिनियम, 2002 के उपबंधो के अनुसार, न्यायिक सदस्य की नियुक्ति के लिए कोई अनिवार्य आवश्यकता नहीं है। अधिनियम की धारा 8 (1) में कहा गया है कि "आयोग में एक अध्यक्ष और केंद्र सरकार द्वारा नियुक्त किए जाने वाले कम से कम दो और छह से अनधिक अन्य सदस्य होंगे।

इसके अलावा अधिनियम की धारा 8 (2) में कहा गया है कि "अध्यक्ष और प्रत्येक अन्य सदस्य क्षमता, सत्यनिष्ठा और सुस्थापित व्यक्ति होगा और जिसे अंतर्राष्ट्रीय व्यापार, अर्थशास्त्र, व्यवसाय, वाणिज्य, कानून, वित्त, लेखा, प्रबंधन, उद्योग, सार्वजनिक मामलों या प्रतिस्पर्धा कानून और नीति सहित प्रतिस्पर्धा मामलों में कम से कम पंद्रह वर्षों का विशेष ज्ञान और ऐसा पेशेवर अनुभव होगा जो केन्द्र सरकार की राय में आयोग के लिए उपयोगी हो सकता है।

दिल्ली उच्च न्यायालय के निर्देशों का संज्ञान लेते हुए मंत्रालय ने इस मामले पर विधि कार्य विभाग (डीएलए) से सलाह मांगी है। डीएलए ने राय दी है कि यह कानून का एक अच्छी तरह से स्थापित सिद्धांत है कि प्रत्येक क़ानून की व्याख्या विधायिका या क़ानून के निर्माता के इरादे के अनुसार की जानी चाहिए। जब किसी संविधि में किसी विशेष तरीके से प्रयोग किए जाने के लिए प्राधिकार में कुछ शक्ति निहित होते हैं तो उक्त प्राधिकारी को इसका प्रयोग केवल संविधि में ही उपबंधित तरीके से करना होता है। अधिनियम के संगत उपबंध में न्यायिक सदस्य का कोई विशिष्ट उल्लेख नहीं है। उपबंध यह इंगित करता है कि कानून का विशेष ज्ञान रखने वाले व्यक्ति को सदस्य के रूप में नियुक्ति के लिए विचार किया जा सकता है।"

3.66 प्रतिस्पर्धा विधि समीक्षा समिति, 2019 की सिफारिश निम्नवत् पठनीय है:

"समिति ने कहा कि प्रतिस्पर्धा के मुद्दों - एंटीट्रस्ट के साथ-साथ कॉम्बिनेशन - के निर्धारण में पेपर्स की बड़ी मात्रा के माध्यम से छानबीन करना, बड़ी संख्या में कारकों पर विचार करना और प्राकृतिक न्याय

के सिद्धांतों का पालन करना शामिल है। इस तरह के मुद्दों में व्यवसाय और बाजार के प्रकार के आधार पर क्रॉस-कटिंग क्षेत्रीय ज्ञान भी शामिल हो सकता है। इसलिए, यह सहमति बनी कि कार्य के कुशल वितरण और विचारों की बहुलता के बीच संतुलन बनाया जाना चाहिए। समिति ने यह निष्कर्ष निकाला कि अधिनिर्णय के संबंध में बैठकों के लिए अध्यक्ष और डब्ल्यूटीएम- तीन के पैनल में बैठ सकते हैं। पैनल की संरचना अध्यक्ष द्वारा यह सुनिश्चित करने के लिए निर्धारित की जा सकती है कि किसी मामले को निपटाने के लिए सदस्यों का सबसे अच्छा सुसज्जित सेट नियुक्त किया गया है। समिति का ध्यान महिंद्रा मामले में दिल्ली उच्च न्यायालय के फैसले की ओर आकर्षित कराया गया था, जहां माननीय न्यायालय ने कहा था कि सीसीआई यह सुनिश्चित करेगा कि हर समय, अंतिम सुनवाई के दौरान, एक न्यायिक सदस्य मौजूद रहे और इसमें भाग ले। इस संबंध में समिति ने कहा कि केंद्र सरकार आवश्यक कार्रवाई पर विचार कर सकती है। "

3.67 समिति नोट करती है कि महिंद्रा बनाम सीसीआई मामले में दिल्ली उच्च न्यायालय ने कहा था कि सीसीआई के लिए यह अनिवार्य है की वह अंतिम आदेश जारी करते समय उनमें एक न्यायिक सदस्य शामिल हो। प्रतिस्पर्धा अधिनियम, 2002 मूल रूप से एक न्यायिक सदस्य की आवश्यकता को अनिवार्य बनाता है। हालाँकि, यह मामला अब भारत के उच्चतम न्यायालय में विचाराधीन है, सीसीआई में न्यायिक सदस्य शामिल करने के सुझावों को उच्चतम न्यायालय के निर्णय का इंतजार करना पड़ सकता है।

8) प्रभुत्व की स्थिति के दुरुपयोग से बचाव के रूप में आईपीआर

3.68 विधेयक का खंड 5 निम्नवत् पठनीय है:

मूल अधिनियम की धारा 4 की उपधारा (2) के खंड (क) के स्पष्टीकरण में, "विभेदकारी शर्त या कीमत" शब्दों के स्थान पर, "शर्त या कीमत" शब्द रखे जाएंगे।

3.69 उपर्युक्त मुद्दे पर हितधारक ने निम्नलिखित सुझाव दिए/ विचार व्यक्त किए:

"हम समझते हैं कि प्रतिस्पर्धा अधिनियम की धारा 3 के विपरीत जो प्रतिस्पर्धा रोधी समझौतों के संबंध में बौद्धिक सम्पदा अधिकारों के उचित प्रयोग के लिए अपवाद बनाती है, प्रतिस्पर्धा अधिनियम की धारा 4 प्रभुत्व के मामलों के दुरूपयोग के संबंध में ऐसे किसी भी प्रावधान का उपबंध नहीं करती है । तदनुसार, सी सी आई के लिए यह अधिक वान्चानीय होगा कि वह विशेष रूप से उन अधिकारों को ध्यान में रखें जो किसी भी अनिश्चितता से बचने के लिए प्रताभुत्व्व के मामलों के दुरूपयोग से निपटने के दौरान एक पक्ष के पास अपनी बौद्धिक सम्पदा के उचित अभ्यास के संबंध में हो सकते हैं ।

इसलिए प्रतिस्पर्धा अधिनियम की धारा 4 के अंतर्गत प्रभुत्व के कथित दुरूपयोग से संबंधित मामलों में बौद्धिक सम्पदा अधिकारों के बचाव के लिए उचित शर्तों और प्रतिबंधों की अनुमति देने वाले बचाव को शामिल करने की सिफारिश की जाती है।"

3.70 उपर्युक्त सुझावों के संबंध में कार्पोरेट कार्य मंत्रालय ने जो टिप्पणी की थी, वह निम्नवत् है:

"धारा 4 के लिए आईपीआर बचाव को स्पष्ट रूप से शामिल करने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि नए युग की अर्थव्यवस्था के युग में, आईपीआर संरक्षण का स्पष्ट रूप से उल्लेख, एक प्रमुख कंपनी को अपने प्रभुत्व की स्थिति का दुरुपयोग करने की अनुमति दे सकता है।

इसके अलावा, सीसीआई द्वारा द्वारा प्रभारित धारा 4 में वर्तमान में पर्याप्त बचाव उपलब्ध है।"

3.71 मुद्दे को और अधिक स्पष्ट करते हुए, हितधारकों ने निम्नलिखित सुझाव दिए/ विचार व्यक्त किए:

"प्रतिस्पर्धा अधिनियम वर्तमान में प्रभुत्व के दुरुपयोग के मामलों में वैध बचाव के रूप में आईपी अधिकारों के उचित संरक्षण को मान्यता नहीं देता है (जबकि यह विशेष रूप से प्रतिस्पर्धा विरोधी समझौतों के संबंध में बनाया गया है)। इस संबंध में प्रभुत्व के मामलों के दुरुपयोग में एक विशिष्ट निर्माण आवश्यक है क्योंकि आईपी अधिकार उनकी प्रकृति से, उनके मालिकों को बाजार शक्ति की एक डिग्री प्रदान करते हैं, जिसमें दूसरों को ऐसे आईपी अधिकारों का उल्लंघन करने से रोकने का अधिकार भी शामिल है। तदनुसार, सीसीआई किसी के आईपी अधिकारों के वैध और अनुनत संरक्षण से संबंधित आचरण को अपमानजनक आचरण के रूप में देख सकता है, यदि आचरण प्रतिस्पर्धा अधिनियम की धारा 4 (2) के तहत उल्लिखित किसी भी श्रेणी के भीतर आता है। इससे विरोधाभास पैदा हो सकता है और तथ्यों के एक ही सेट के आसपास विरोधाभासी निर्धारण (एक तरफ कोर्ट / आईपी प्राधिकरण और दूसरी तरफ सीसीआई के बीच) हो सकता है। इस स्पष्ट रक्षा की अनुपस्थिति आईपी धारकों को प्रभुत्व के आरोपों के दुरुपयोग का बचाव करने में बाधा डालती है, भले ही उनका आचरण केवल उचित और वैध रूप से उनके आईपी अधिकारों के रक्षा के लिए था।"

3.72 उपर्युक्त सुझावों के संबंध में कार्पोरेट कार्य मंत्रालय ने निम्नवत् की:

"आईपीआर रक्षा को धारा 4 के लिए स्पष्ट रूप से शामिल करने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि नए युग की अर्थव्यवस्था के युग में, आईपीआर रक्षा का स्पष्ट रूप से उल्लेख, एक प्रमुख कंपनी को प्रभुत्व की स्थिति का दुरुपयोग करने की अनुमति दे सकता है।

इसके अतिरिक्त, प्रभुत्व के दुरुपयोग से संबंधित धारा 4 में, पहले से ही प्रावधान मौजूद हैं जो आईपीआर धारकों को आईपीआर का बचाव करने की अनुमति देते हैं।"

3.73 उपर्युक्त मुद्दे पर हितधारकों ने निम्नवत् बताया:

सीएलआरसी रिपोर्ट में यह सिफारिश की गई थी कि आईपीआर की रक्षा के लिए उचित शर्तों और प्रतिबंधों की अनुमति देने वाला एक बचाव अंतर्राष्ट्रीय न्यायालयों यानि यूरोपीय संघ, यू.एस. और यू.के. के अनुसार प्रभुत्व के दुरुपयोग के मामलों में प्रदान किया जा सकता है जो इस तरह की छूट प्रदान करता है। जबकि सीएलआरसी रिपोर्ट में यह उल्लेख किया गया था कि आईपीआर का उचित प्रयोग एक स्पष्ट बचाव हो सकता है और स्पष्ट रूप से कहने की आवश्यकता नहीं हो सकती है, यह चर्चा की गई थी कि किसी भी अनिश्चितता से बचने के लिए धारा 4 के तहत एक विशिष्ट बचाव प्रदान किया जाना चाहिए क्योंकि यह प्रतिस्पर्धा अधिनियम की धारा 3(5)(एक) में स्पष्ट रूप से उल्लिखित है।

सीसीआई के निर्णय लेने की पद्धति से पता चलता है कि यह प्रभुत्व के मामलों के दुरुपयोग पर निर्णय लेने के दौरान आईपीआर के उपयोग के संबंध में "तर्कसंगत" सीमा का प्रयोग करता है। इस तरह के अपवाद के किसी भी दुरुपयोग से बचने के लिए धारा 4 में एक स्पष्ट आईपीआर सुरक्षा शामिल नहीं करने के संभावित कारणों में से एक यह हो सकता है।

हालांकि, जैसा कि सीएलआरसी रिपोर्ट में सिफारिश की गई थी, सीसीआई के लिए यह अधिक वांछनीय होगा कि वह किसी भी अनिश्चितता से बचने के लिए प्रभुत्व के मामलों के दुरुपयोग से निपटने के दौरान अपने आईपीआर के उचित प्रयोग के संबंध में किसी पक्ष के पास विशेष रूप से उन अधिकारों को ध्यान में रखें जो किसी पक्ष के पास हो सकते हैं।

3.74 प्रभुत्व की स्थिति के दुरुपयोग से रक्षा के रूप में बौद्धिक संपदा अधिकार (आईपीआर) के संबंध में, प्रतिस्पर्धा विधि समीक्षा समिति, 2019 की सिफारिश निम्नवत् पठनीय है:

"समिति ने निर्णय लिया कि प्रभुत्व के दुरुपयोग के मामलों में, आईपीआर की सुरक्षा के लिए उचित शर्तों और प्रतिबंधों की अनुमति देने वाला बचाव प्रदान किया जा सकता है। यह उल्लेख किया गया था कि आईपीआर का उचित प्रयोग एक स्पष्ट बचाव हो सकता है और इसे स्पष्ट रूप से कहने की आवश्यकता नहीं हो सकती है।

हालांकि, समिति ने चर्चा की कि चूंकि अधिनियम धारा 3(5)(एक) में स्पष्ट रूप से इस बचाव का उल्लेख करता है, इसलिए किसी भी अनिश्चितता से बचने के लिए धारा 4 के संबंध में, एक विशिष्ट बचाव भी प्रदान किया जाना चाहिए। धारा 3 और 4 दोनों के लिए, आईपीआर सुरक्षा प्रदान करने वाला प्रावधान व्यापक होने चाहिए और मौजूदा आईपीआर कानूनों के अलावा, अन्य नियामक निकायों को मिले 'आईपीआर अधिकारों की सुरक्षा से संबंधित कोई अन्य कानून' भी शामिल होना चाहिए, समिति ने सहमति व्यक्त की कि सीसीआई को करों से समान छूट प्रदान की जानी चाहिए।

और उपरोक्त सीएलआरसी सिफारिश के संबंध में, मंत्रालय ने अपने साक्ष्योपरांत उत्तरों में प्रारूप विधेयक में शामिल न करने के लिए निम्नलिखित तर्क प्रस्तुत किए: -

(i) पहले से ही प्रतिस्पर्धा कोष मौजूद है जो केंद्र सरकार के हस्तक्षेप के बिना स्वयं आयोग द्वारा प्रशासित किया जाता है।

(ii) अधिनियम की धारा 51 का अतिरिक्त खंड उन स्रोतों को विस्तृत करना चाहता है जहां से प्रतिस्पर्धा कोष में जमा करने के लिए आयोग द्वारा धन प्राप्त किया जा सकता है। वित्त पोषण के ऐसे स्रोतों को केंद्र सरकार द्वारा अनुमोदित करना होगा।

मूल्यानुसार शुल्क लगाने से कंपनियों पर परिणामस्वरूप अतिरिक्त लागत का बोझ आ सकता है ।"

3.75 समिति नोट करती है कि जबकि मूल अधिनियम में प्रतिस्पर्धा-रोधी समझौतों के मामले में आईपीआर छूट दी गई है, यह इस अपवाद को स्पष्ट रूप से विधेयक की धारा 4 जो प्रभुत्व की स्थिति के दुरुपयोग से संबंधित है, तक विस्तारित नहीं करती है। समिति की राय है कि अधिनियम के अंतर्गत प्रख्यापित इस तरह के स्पष्ट बचाव के उपबंध के अभाव में, सीसीआई प्रभुत्व की स्थिति के कथित दुरुपयोग की जांच के दौरान किसी भी प्रमुख इकाई को अपने आईपीआर की उचित सुरक्षा प्रदान करने की अनुमति नहीं देगा। सीएलआरसी रिपोर्ट में सिफारिश की गई थी कि प्रभुत्व की स्थिति वाले मामलों में इस बचाव की अनुमति दी जा सकती है। यह टिप्पणी भी की थी कि यह छूट आवश्यक रूप से अत्यधिक बाजार की शक्ति को स्थापित नहीं कर सकती है। हालाँकि, वर्तमान विधेयक इस मुद्दे को संबोधित नहीं करता है। समिति आगे यह महसूस करती है कि मंत्रालय द्वारा प्रभुत्व की स्थिति के दुरुपयोग के मामलों में आईपीआर को बचाव के रूप में इस्तेमाल नहीं करने के लिए कोई मजबूत तर्क नहीं दिया गया है। समिति का मत है कि जैसा कि सीएलआरसी रिपोर्ट में सिफारिश की गई है, सीसीआई के लिए यह अधिक वांछनीय होगा कि वह उन अधिकारों को विशेष रूप से ध्यान में रखे जिनका उपयोग एक पक्ष प्रभुत्व की स्थिति के दुरुपयोग के मामलों से निपटने के दौरान किसी अनिश्चितता से बचने के लिए अपने आईपीआर के उचित प्रयोग के संबंध में कर सकता है। इस प्रकार, समिति सिफारिश करती है कि अधिनियम की धारा 4 के अंतर्गत एक-समान बचाव (वर्तमान में अधिनियम की धारा 3(5) के अंतर्गत शामिल) को भी जोड़ा जाए। तदनुसार, मूल अधिनियम की धारा 4 में एक धारा 4(3) को निम्नवत अन्तःस्थापित किया जाए:

इस धारा में निहित कोई भी बात किसी भी व्यक्ति के किसी भी उल्लंघन को रोकने, या उचित शर्तों को लागू करने के अधिकार को प्रतिबंधित नहीं करेगी, जो कि उसके किसी भी अधिकार के बचाव के लिए आवश्यक हो सकता है जो उसे निम्नलिखित अधिनियमों के अंतर्गत प्रदान किए गए हैं या दिए जा सकते हैं -

(क) प्रतिलिप्यधिकार अधिनियम, 1957 (1957 का 14);

(ख) पेटेंट अधिनियम, 1970 (1970 का 39);

(ग) व्यापार और वाणिज्यवस्तु चिन्ह अधिनियम, 1958 (43 of 1958) या व्यापार चिन्ह अधिनियम, 1999 (47 of 1999);

(घ) माल का भौगोलिक उपदर्शन (रजिस्ट्रीकरण और संरक्षण) अधिनियम, 1999 (48 of 1999);

(ङ) डिजाइन अधिनियम, 2000 (16 of 2000);

(च) सेमी-कन्डक्टर इंटेग्रेटिड सर्किट लेआउट- डिजाइन अधिनियम, 2000

(छ) अन्य बौद्धिक संपदा अधिकारों के संरक्षण से संबंधित तत्समय प्रवृत कोई अन्य विधि (37 of 2000);

9) प्रभाव-आधारित परीक्षण

3.76 अधिनियम में प्रभाव-आधारित परीक्षण नहीं है परंतु विद्यमान अधिनियम की धारा 4 में शामिल किया जा सकता है।

प्रभुत्व स्थिति का दुरुपयोग

4. [(1) कोई उद्यम या समूह अपनी प्रभुत्व स्थिति का दुरुपयोग नहीं करेगा।]

[(2) उपधारा (1) के अधीन, प्रधानस्थिति का दुरुपयोग होगा, यदि कोई उद्यम या कोई समूह—]

(क) (i) माल के क्रय या विक्रय में या सेवा की व्यवस्था में या

(ii) माल या सेवाओं की क्रय या विक्रय कीमत में, (जिसके अंतर्गत स्वार्थचालित कीमत भी है), प्रत्यक्षतः या अप्रत्यक्षतः अनुचित या विभेदकारी शर्तें अधिरोपित करता है।

स्पष्टीकरण- इस खंड के प्रयोजनों के लिए, उपखंड (i) में निर्दिष्ट माल के क्रय या विक्रय या सेवा में अनुचित या विभेदकारी शर्त और उपखंड (ii) में निर्दिष्ट माल के क्रय या विक्रय में अनुचित या विभेदकारी कीमत (स्वार्थचालित कीमत सहित) या सेवा के अंतर्गत ऐसी विभेदकारी शर्त या कीमत नहीं आएगी, जो प्रतिस्पर्धा का सामना करने के लिए अंगीकार की जाए, अथवा

(ख) (i) माल के उत्पादन या सेवा की व्यवस्था करने या उसके लिए बाजार के, या

(ii) उपभोक्ताओं पर प्रतिकूल प्रभाव डालने के लिए माल या सेवाओं के संबंध में तकनीकी और वैज्ञानिक विकास को,

परिसीमित या निर्बन्धित करता है, अथवा

(ग) ऐसे व्यवहार या व्यवहारों को करता है जिनसे बाजार तक पहुँच [किसी रीति में] नहीं मिलती है, अथवा

(घ) संविदाओं के निष्पादन को ऐसी अनुपूरक बाध्यताओं के अन्य पक्षकारों द्वारा स्वीकृति के अधीन बनाता है जिनका अपनी प्रकृति से या वाणिज्यिक प्रथाओं के अनुसार ऐसी संविदाओं के विषय से कोई संबंध नहीं है, अथवा

(ङ) एक सुसंगत बाजार में अपनी प्रधानता को अन्य सुसंगत बाजारों में प्रवेश के लिए या उन्हें संरक्षित करने के लिए प्रयोग करता है।

स्पष्टीकरण- इस धारा के प्रयोजनों के लिए पद-

(क) "प्रधानस्थिति" से किसी उद्यम द्वारा, भारत में सुसंगत बाजार में प्राप्त ऐसी शक्ति की स्थिति अभिप्रेत है, जो उसे-

(i) सुसंगत बाजार में विद्यमान प्रतिस्पर्धा ताकतों पर स्वतंत्र रूप से नियंत्रण करने; या

(ii) प्रतिस्पर्धियों या उपभोक्ताओं या सुसंगत बाजार को अपने पक्ष में प्रभावित करने में समर्थ बनाती है;

(ख) "स्वार्थचालित कीमत" से उस कीमत पर माल का विक्रय या सेवाओं की व्यवस्था करना अभिप्रेत है, जो प्रतिस्पर्धा को कम करने या प्रतिस्पर्धियों को समाप्त करने की दृष्टि से माल के उत्पादन या सेवा की व्यवस्था की उस कीमत से कम हो, जो विनियमों द्वारा अवधारित की जाए;

[(ग) समूह का वही अर्थ है जो धारा 5 के स्पष्टीकरण के खंड (ख) में है।]

3.77 विधेयक की जाँच के दौरान, उपर्युक्त मुद्दे पर एक स्वतंत्र साक्षी ने लिखित उत्तर में निम्नवत् बताया:

प्रभुत्व के मामलों के दुरुपयोग में तर्क परीक्षण का कोई स्पष्ट नियम नहीं है।

"प्रतिस्पर्धा अधिनियम की धारा 4 में स्पष्ट रूप से डीजी/सीसीआई को प्रभुत्व के मामलों के दुरुपयोग की जांच करते समय "*प्रभाव-आधारित*" विश्लेषण (यानि, विचाराधीन आचरण के वास्तविक प्रभावों का विश्लेषण) करने की आवश्यकता नहीं है। प्रतिस्पर्धा अधिनियम की वर्तमान योजना के तहत, कोई भी आचरण जो प्रतिस्पर्धा अधिनियम की धारा 4 (2) के तहत निर्दिष्ट आचरण की श्रेणियों के अंतर्गत आता है, उसे बाजार में इस तरह के आचरण के वास्तविक प्रभावों की परवाह किए बिना प्रभुत्व का दुरुपयोग माना जा सकता है। परिणामत: प्रमुख उद्यमों को प्रतिस्पर्धा अधिनियम की धारा 4(2) के तहत सूचीबद्ध आचरण

में लिप्त होने के लिए अनावश्यक रूप से मुकदमा चलाया जाता है, जब उनके कार्य वास्तव में प्रतिस्पर्धा विरोधी नुकसान का कारण नहीं बनते हैं और वास्तव में उपभोक्ताओं / सामान्य रूप से बाजार के लिए प्रतिस्पर्धी या फायदेमंद हो सकते हैं। यह अन्य आचरण (जैसे ऊर्ध्वाधर समझौतों) के लिए निर्धारित कानूनी मानक के साथ भी विरोधाभासी है, जिसके लिए अनिवार्य रूप से प्रभाव-आधारित विश्लेषण की आवश्यकता होती है।

जबकि सीसीआई ने प्रभुत्व के कुछ दुरुपयोग के मामलों में प्रभाव-आधारित विश्लेषण लागू करने की मांग की है, यह सभी मामलों में नहीं किया गया है, यह देखते हुए कि इस आवश्यकता को कानून में नहीं बनाया गया है। प्रतिस्पर्धा अधिनियम की धारा 4 में एक अनिवार्य प्रभाव-आधारित विश्लेषण को जोड़ने से सीसीआई से अधिक जिम्मेदार, व्यापक और तर्कसंगत निर्णयों की सुविधा होगी, और ऐसे आचरण को सुधारने पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा जिसका प्रतिस्पर्धा पर वास्तविक प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। एक आवश्यक प्रभाव-आधारित विश्लेषण नए युग के बाजारों में अति-प्रवर्तन की संभावना को भी समाप्त कर देगा और पार्टियों को अपने आचरण से उत्पन्न होने वाले प्रतिस्पर्धी प्रभावों और क्षमताओं के आधार पर कानूनी रूप से अपने कार्यों का बचाव करने की अनुमति देगा।"

3.78 उपर्युक्त सुझावों के संबंध में, कार्पोरेट कार्य मंत्रालय ने निम्नवत् बताया:

- भारत में प्रभुत्व के दुरुपयोग पर निर्णय लेने की प्रथा का विश्लेषण करने के बाद, सीएलआरसी ने पाया कि सीसीआई ने धारा 4 (2) की व्याख्या इस बात को ध्यान में रखते हुए की है कि अधिनियम का एक प्रमुख उद्देश्य उन प्रथाओं को रोकना है जो भारत में प्रतिस्पर्धा पर प्रतिकूल प्रभाव डालते हैं।
- इसलिए, जहां भी उचित हो, इस तरह के आचरण के बारे में आदेश पारित करने से पहले प्रमुख संस्थाओं द्वारा कथित अपमानजनक आचरण के प्रभावों का विश्लेषण किया गया है। सीसीआई ने अपने दृष्टिकोण का समर्थन करने के लिए धारा 4(2) के कुछ खंडों में निर्मित प्रभावों पर भरोसा किया है, जैसे धारा 4 (2)(ग) में "किसी भी तरह से बाजार पहुंच से इनकार करना।
- इस प्रकार, सीएलआरसी ने सीसीआई के निर्णय लेने वाले अभ्यास के साथ कोई महत्वपूर्ण मुद्दा नहीं पाया, और इसे वैश्विक सर्वोत्तम प्रथाओं के अनुरूप पाया। सीसीआई के आदेशों का विश्लेषण करने के बाद, समिति इस निष्कर्ष पर पहुंची कि धारा 4(2) का वर्तमान पाठ प्रभुत्व विवादों के दुरुपयोग में प्रभावों का आकलन करने की सीसीआई की क्षमता में बाधा साबित नहीं हुआ है।

इसलिए, यह निष्कर्ष निकाला गया कि इस संबंध में किसी विधायी संशोधन की आवश्यकता नहीं है।

3.79 उपर्युक्त मुद्दे पर प्रतिस्पर्धा विधि समीक्षा समिति, 2019 की सिफारिश निम्नवत् पठनीय है:

समिति ने यह चर्चा की थी कि सीसीआई ने यह ध्यान में रखते हुए धारा 4(2) की व्याख्या की है कि अधिनियम के प्रमुख उद्देश्यों में से एक तो उन प्रथाओं को रोकना है जो भारत में प्रतिस्पर्धा को प्रतिकूल

रूप से प्रभावित करती हैं। इसलिए, जहां भी उचित हो, ऐसे आचरण के संबंध में, आदेश पारित करने से पहले प्रमुख संस्थाओं द्वारा कथित अपमानजनक आचरण के प्रभावों का विश्लेषण किया गया है। सीसीआई ने धारा 4(2)(सी) में "किसी भी तरह से बाजार पहुंच से इनकार"अपने दृष्टिकोण का समर्थन करने के लिए धारा 4(2) के कुछ खंडों में निर्मित प्रभावों पर भरोसा किया है।

समिति ने ऊपर चर्चा किए गए सीसीआई के निर्णयात्मक अभ्यास में कोई महत्वपूर्ण समस्या नहीं पाई बल्कि इसे वैश्विक प्रथाओं के अनुरूप पाया। सीसीआई के आदेशों का विश्लेषण करने के बाद, समिति इस निष्कर्ष पर पहुंची कि धारा 4(2) का वर्तमान पाठ प्रभुत्व विवादों के दुरुपयोग में प्रभाव का आकलन करने की सीसीआई की क्षमता में बाधा साबित नहीं हुआ हैं। इस बात पर भी सहमति हुई कि चूंकि शोषक दुरुपयोग जैसे सभी प्रकार के दुरुपयोगों में प्रभाव विश्लेषण करना आवश्यक नहीं हो सकता है, वहीँ धारा 4(2) में प्रभाव विश्लेषण को अनिवार्य करना उचित नहीं होगा। इसलिए, यह निष्कर्ष निकाला गया कि इस संबंध में किसी विधायी संशोधन की आवश्यकता नहीं है।

3.80 समिति नोट करती है कि अधिनियम की धारा 4 के अंतर्गत प्रभुत्व के दुरुपयोग का निर्धारण करते समय, अधिनियम सीसीआई को स्पष्ट रूप से प्रभाव-आधारित विश्लेषण करने के लिए बाध्य नहीं करता है। इस परीक्षण के अंतर्गत, एक नियामक किसी आचरण को प्रतिस्पर्धा कानून के उल्लंघन के रूप में तय करने से पहले उपभोक्ताओं पर प्रभाव, नवाचार और प्रतिस्पर्धा जैसे विभिन्न कारकों को ध्यान में रखता है। इसलिए समिति सिफारिश करती है कि धारा 4(1) के अंतर्गत मौजूदा अधिनियम की धारा 4 में, धारा 4(1)(क) के रूप में निम्नलिखित अन्तः स्थापित किया जाए:

"एक उद्यम या समूह उप धारा (1) का उल्लंघन करेगा, यदि इससे प्रतिस्पर्धा पर उल्लेखनीय प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है या पड़ने की संभावना है"।

अधिनियम की धारा 19(3) को भी तदनुसार निम्नवत संशोधित किया जाए :

"अधिनियम की धारा 3 या धारा 4 (यथा प्रभावी) के अंतर्गत प्रतिस्पर्धा पर किसी समझौते या आचरण का उल्लेखनीय प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है या नहीं यह अवधारित करते समय आयोग निम्नलिखित कारकों में से सभी या किसी पर उचित ध्यान देगा ..."

नई दिल्ली
08 दिसंबर, 2022
17 अग्रहायण, 1944(शक)

श्री जयंत सिन्हा
सभापति,
वित्त संबंधी स्थायी समिति

वित्त संबंधी स्थायी समिति (2022-23) की पहली बैठक का कार्यवाही सारांश

समिति की बैठक शुक्रवार, 28 अक्तूबर, 2022 को 1400 बजे से 1700 तक मुख्य समिति कक्ष, संसदीय सौध, नई दिल्ली में हुई

उपस्थित

श्री जयंत सिन्हा – सभापति

सदस्य

लोक सभा

2. श्री एस. एस. अहलुवालिया
3. श्री सुभाष चन्द्र बहेड़िया
4. डॉ. सुभाष रामराव भामरे
5. श्रीमती सुनीता दुग्गल
6. श्री सुधीर गुप्ता
7. श्री नामा नागेश्वर राव
8. प्रो. सौगात राय
9. श्री पी. वी. मिधुन रेड्डी
10. श्री गोपाल शेट्टी
11. श्री बालाशौरी वल्लभनेनी

राज्य सभा

12. डॉ. राधा मोहन दास अग्रवाल
13. श्री राघव चड्ढा
14. श्री रायगा कृष्णैया
15. श्री सुशील कुमार मोदी
16. डॉ. अमर पटनायक
17. डॉ. सी. एम. रमेश

सचिवालय

1.	श्री सिद्धार्थ महाजन	-	संयुक्त सचिव
2.	श्री रामकुमार सूर्यनारायण	-	निदेशक
3.	श्री कुलमोहन सिंह अरोरा	-	अपर निदेशक

भाग एक

1400 बजे से

2. XX XX XX XX XX XX
XX XX XX XX XX XX.

भाग दो

1430 बजे से

साक्षी

कारपोरेट कार्य मंत्रालय

1. सुश्री अनुराधा ठाकुर, अपर सचिव

2. श्री मनोज पाण्डेय, संयुक्त सचिव

3. डॉ. अभिजीत फूकन, निदेशक

भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग

1. श्रीमती संगीता वर्मा, अध्यक्ष (आई/सी)

2. सुश्री ज्योति जिंदगर भनोट, सचिव (आई/सी) और सलाहकार (इको)

3. श्री (डॉ.) कपिल देव सिंह, निदेशक (विधि)

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय (उपभोक्ता मामले विभाग)

1. श्री रोहित कुमार सिंह, सचिव

2. श्री अनुपम मिश्रा, संयुक्त सचिव

वाणिज्य मंत्रालय (उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग)

1. सुश्री श्रुति सिंह, संयुक्त सचिव

2. सुश्री सुप्रिया देवस्थली, निदेशक

4. सर्वप्रथम, सभापति ने समिति की बैठक में सदस्यों और साक्षियों का स्वागत किया। साक्षियों के औपचारिक परिचय के पश्चात्, सभापति ने 'प्रतिस्पर्धा (संशोधन) विधेयक, 2022' पर चर्चा आरम्भ की। बैठक के दौरान जिन प्रमुख मुद्दों पर चर्चा की गई, उनमें प्रतिस्पर्धी क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर समझौतों पर रोक, प्रभुत्व की स्थिति का दुरुपयोग, संयोजन और संयोजन समर्थन से संबंधित सौदे, मूल्य सीमा का सौदा, निपटान और प्रतिबद्धताओं के लिए प्रावधान, कार्टेल मामलों के लिए लीनिएन्सी प्लस का आरंभ, सूचना और साहित्य समर्थन प्रदान करने वाले अंतर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धा नेटवर्क, तीसरे पक्ष द्वारा प्रतिबद्धताओं का विरोध, अधिनियम का डिक्रिमिनलाइजेशन, सांगत उत्पाद बाजार की परिभाषा, भौतिक प्रभाव और निर्णायक प्रभाव, महानिदेशक की शक्तियां और कर्तव्य, जांच करने के लिए आयोग की स्वप्रेरणा शक्तियां, विनियमन जारी करने में पारदर्शिता , भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग (सीसीआई) के अध्यक्ष और सदस्यों के कार्यकाल के बाद के रोजगार के लिए दो साल के प्रतिबंध को बढ़ाना, विलय और अधिग्रहण को अधिसूचित करने के लिए अतिरिक्त मानदंड, तेजी से बाजार सुधार प्राप्त करने के लिए निपटान और प्रतिबद्धता ढांचे का आरम्भ, अंतर-नियामक परामर्श के दायरे को व्यापक बनाना, प्रथम दृष्टया मत तैयार करने की समय-सीमा, हब और स्पोक समझौते, अपीलीय न्यायाधिकरण के पास अपील दायर करने के लिए जुर्माने का 25% अनिवार्य रूप से जमा करना, विलय और अधिग्रहण को मंजूरी देने के लिए सीसीआई द्वारा लिए गए समय को 210 दिनों से घटाकर 150 दिन करना और परिसंपत्ति सीमा के संबंध में वैश्विक प्रथाएं शामिल हैं।

5. साक्षियों ने इस विषय पर सदस्यों द्वारा उठाए गए प्रश्नों का उत्तर दिया। सभापति ने साक्षियों को उन प्रश्नों के लिखित उत्तर प्रस्तुत करने का निर्देश दिया, जिनका बैठक के दौरान साक्षियों द्वारा तत्काल उत्तर नहीं दिया जा सका।

तत्पश्चात् साक्षी साक्ष्य देकर चले गए।

तत्पश्चात् समिति की बैठक स्थगित हुई।

कार्यवाही का शब्दशः रिकॉर्ड रखा गया है।

वित्त संबंधी स्थायी समिति (2022-23)की दूसरी बैठक का कार्यवाही सारांश

समिति की बैठक शुक्रवार, 04 नवम्बर, 2022 को 1400 बजे से 1650 बजे समिति कमरा संख्या '2', संसदीय सौध विस्तार ब्लॉक 'ए', नई दिल्ली में हुई।

उपस्थित

श्री जयंत सिन्हा - सभापति

लोक सभा

2. श्री एस.एस. अहलुवालिया
3. श्री सुभाष चंद्र बहेड़िया
4. श्री मनोज किशोरभाई कोटक
5. श्री रवि शंकर प्रसाद
6. श्री नामा नागेश्वर राव
7. प्रो. सौगत राय
8. श्री गोपाल चिनैय्या शेट्टी
9. श्री वल्लभनेनी बालाशोरी
10. श्री राजेश वर्मा

राज्य सभा

11. डॉ. राधा मोहन दास अग्रवाल
12. श्री पी. चिदम्बरम
13. श्री दामोदर राव दिवाकोंडा
14. श्री रायगा कृष्णैया
15. श्री सुशील कुमार मोदी
16. डॉ. अमर पटनायक
17. डॉ. सी एम रमेश
18. श्री जी. वी. एल. नरसिंहा राव

सचिवालय

1. श्री रामकुमार सूर्यनारायणन - निदेशक
2. श्री कुलमोहन सिंह अरोड़ा - अपर निदेशक

साक्ष्यों की सूची

टचस्टोन पार्टनर

1. श्री विनोद ढाल, वरिष्ठ सलाहकार – प्रतिस्पर्धा
2. श्री गौरव देसाई, पार्टनर
3. सुश्री अपूर्वा बडोनी, एसोसिएट

एफआईसीसीआई (फेडरेशन ऑफ़ इंडियन चैम्बर्स ऑफ़ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री)

1. सुश्री अवंतिका कक्कड़, पार्टनर – हेड कम्पटीशन प्रैक्टिस, सिरिल अमरचंद मंगलदास
2. श्री अर्जुन गोस्वामी, निदेशक एवं हेड- पब्लिक पॉलिसी, सिरिल अमरचंद मंगलदास
3. श्री राजबीर सचदेव, प्रेसिडेंट, ग्रुप लीगल, जे के पेपर्स
4. श्री सनौल्ला खान, कंपनी सचिव, विप्रो
5. सुश्री आभा सेठ, वरिष्ठ निदेशक, फिक्की

सीयूटीएस इंडिया

1. श्री प्रदीप एस मेहता, महासचिव
2. सुश्री विदुषी सिन्हा, वरिष्ठ अनुसंधान सहायक

ए जेड बी एवं पार्टनर्स

1. श्री समीर आर गाँधी, वरिष्ठ सलाहकार
2. श्री रामकुमार पूर्णचंद्रन, पार्टनर
3. सुश्री हेमांगिनी डडवाल, पार्टनर
4. श्री भारत बुधोलिया, पार्टनर

स्वतंत्र साक्षी

1. प्रो. आदित्य भट्टाचार्य, दिल्ली स्कूल ऑफ़ इकोनॉमिक्स, दिल्ली विश्वविद्यालय

2. सर्वप्रथम, सभापति ने समिति की बैठक में सदस्यों और साक्षियों का स्वागत किया। साक्षियों के प्रथागत परिचय के बाद, अध्यक्ष ने 'प्रतिस्पर्धा (संशोधन) विधेयक, 2022' पर चर्चा शुरू की और जिन प्रमुख मुद्दों पर चर्चा की गई, उनमें डील वैल्यू सीमा, हब और स्पोक क्लस्टर विषय की समस्या, भारत में पर्याप्त व्यापार संचालन की परिभाषा, सामग्री प्रभाव और निर्णायक प्रभाव, विलय और नियंत्रण, समझौता और प्रतिबद्धता ढांचा, दो विनियामकों के बीच कार्य का अतिव्यापीकरण, प्रभुत्व के सामूहिक दुरुपयोग का मुद्दा, प्रतिस्पर्धा समर्थन का विस्तार करने के लिए राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धा नीति की आवश्यकता, भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग में बाजार निगरानी तंत्र, आयोग द्वारा प्रतिबद्धताओं और निपटानों के प्रवर्तन में मनमानी के खिलाफ सुरक्षा, दंड गणना के लिए दिशानिर्देश, महानिदेशक की नियुक्ति, निपटान तंत्र में तीसरे पक्ष की भागीदारी जसी मुद्दे शामिल थे ।

3. साक्षियों ने उक्त विषय पर सदस्यों द्वारा उठाए गए प्रश्नों का उत्तर दिया। सभापति ने सदस्यों द्वारा उन प्रश्नों के लिखित उत्तर भेजेने का निर्देश दिया, जिनके बैठक के दौरान तत्काल उत्तर उपलब्ध नहीं थे।

तत्पश्चात साक्षी साक्ष्य देकर चले गए

तत्पश्चात् समिति की बैठक स्थगित हुई।

कार्यवाही का शब्दश: रिकार्ड रखा गया।

वित्त संबंधी स्थायी समिति (2021-22) की पाँचवीं बैठक का कार्यवाही सारांश
समिति की बैठक मंगलवार, 29 नवंबर, 2022 को 1130 बजे से 1400 बजे तक समिति कमरा संख्या '2', संसदीय सौध विस्तार, ब्लॉक 'ए' नई दिल्ली में हुई।

उपस्थित

श्री जयंत सिन्हा - सभापति

लोक सभा

2. श्री एस.एस. अहलुवालिया
3. डॉ. सुभाष रामराव भामरे
4. डॉ. सुभाष रामराव भामरे
5. श्रीमती सुनीता दुग्गल
6. श्री मनोज कोटक
7. श्री पिनाकी मिश्रा
8. श्री नामा नागेश्वर राव
9. प्रो. सौगत राय
10. श्री पी.वी. मिधुन रेड्डी
11. श्री गोपाल शेट्टी
12. डॉ. (प्रो.) किरिट प्रेमजीभाई सोलंकी
13. श्री बालाशौरी वल्लभनेनी

राज्य सभा

14. श्री राघव चड्ढा
15. श्री सुशील कुमार मोदी
16. डॉ. अमर पटनायक

सचिवालय

1. श्री सिद्धार्थ महाजन - संयुक्त सचिव
2. श्री रामकुमार सूर्यनारायणन - निदेशक
3. श्री कुलमोहन सिंह अरोड़ा - अपर निदेशक

साक्षियों की सूची

कारपोरेट कार्य मंत्रालय

1. डॉ. मनोज गोविल, सचिव

2. श्री मनोज पाण्डेय, संयुक्त सचिव
3. डॉ. अभिजीत फुकोन, निदेशक

<u>भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग</u>

1. श्रीमती संगीता वर्मा, अध्यक्ष (स्वतंत्र प्रभार)
2. सुश्री ज्योति जिंदगर भनोट, सचिव (स्वतंत्र प्रभार) और सलाहकार (पारिस्थितिकी)
3. श्री (डॉ.) कपिल देव सिंह, निदेशक (विधि)

2. सर्वप्रथम, सभापति ने समिति की बैठक में सदस्यों और साक्षियों का स्वागत किया। साक्षियों के प्रथागत परिचय के बाद, सभापति ने 'प्रतिस्पर्धा (संशोधन) विधेयक, 2022' पर चर्चा शुरू की और जिन प्रमुख मुद्दों पर चर्चा की गई उनमें सौदा मूल्य सीमा, स्थानीय व्यापार संचालन का विचार, भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग (सीसीआई) की प्रथम दृष्टया राय, महानिदेशक की विधिक सलाहकारों को हटाने संबंधी शक्ति, निपटान और प्रतिबद्धताओं, निपटान और प्रतिबद्धता ढांचे में कार्टेल को शामिल करना, अपमानजनक प्रभुत्व स्थिति के विरुद्ध बचाव के रूप में आईपीआर, न्यायिक सदस्य की आवश्यकता, हब और स्पोक कार्टेल, प्रभाव –आधार परीक्षण, नियंत्रण की परिभाषा, सामग्री और निर्णायक प्रभाव, निपटान और प्रतिबद्धता से पीछे हटने की क्षमता, अपराध स्वीकार करने का मुद्दा, भारत में व्यापार संचालन की पहचान करने की प्रक्रिया, प्रभुत्व की स्थिति का दुरुपयोग, भारत के प्रतिस्पर्धा आयोग (सीसीआई) की स्व-प्रेरणा जांच करना की शक्ति (सीसीआई) और नरम रुख अपनाने वाले शासन की शुरूआत करना शामिल हैं।

3. साक्ष्यों ने इस विषय पर सदस्यों द्वारा उठाए गए प्रश्नों के उत्तर दिए। सभापति ने साक्ष्यों को उन प्रश्नों के लिखित उत्तर भेजने का निर्देश दिया, जिनके उत्तर बैठक के दौरान उनके पास तत्काल उपलब्ध नहीं थे।

तत्पश्चात साक्षी साक्ष्य देकर चले गए।
तत्पश्चात् समिति की बैठक स्थगित हुई।

कार्यवाही का शब्दश: रिकार्ड रखा गया।

वित्त संबंधी स्थायी समिति (2022-23)की छट्टी बैठक का कार्यवाही सारांश
समिति की बैठक गुरुवार, 8 दिसम्बर, 2022 को 1500 बजे से 1615 बजे समिति कमरा संख्या '3', संसदीय सौध विस्तार ब्लॉक 'ए', नई दिल्ली में हुई।

उपस्थित

श्री जयंत सिन्हा - सभापति

लोक सभा

2. श्री एस.एस. अहलुवालिया
3. डॉ. सुभाष रामराव भामरे
4. श्रीमती सुनीता दुग्गल
5. श्री मनोज किशोरभाई कोटक
6. श्री पिनाकी मिश्रा
7. प्रो. सौगत राय
8. श्री गोपाल चिनैय्या शेट्टी

राज्य सभा

9. श्री पी. चिदम्बरम
10. डॉ. अमर पटनायक
11. श्री जी. वी. एल. नरसिंहा राव

सचिवालय

1. श्री सिद्धार्थ महाजन - संयुक्त सचिव
2. श्री रामकुमार सूर्यनारायणन - निदेशक

xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx

xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx

तत्पश्चात साक्षी साक्ष्य देकर चले गए

2. सर्वप्रथम सभापति ने समिति की बैठक में सदस्यों का स्वागत किया। तत्पश्चात्, समिति ने 'प्रतिस्पर्धा (संशोधन) अधिनियम, 2022' विषय पर विचार करने और स्वीकार करने हेतु प्रारूप प्रतिवेदन को लिया। कुछ चर्चा के पश्चात् समिति ने प्रारूप प्रतिवेदन को स्वीकार किया और सभापति को प्रारूप प्रतिवेदन को अंतिम रूप देने और संसद में प्रस्तुत करने के लिए प्राधिकृत किया।

तत्पश्चात् समिति की बैठक स्थगित हुई।

कार्यवाही का शब्दश: रिकार्ड रखा गया।

2022 का विधेयक संख्यांक 185.

[दि कंपीटिशन (अमेंडमेंट) बिल, 2022 का हिन्दी अनुवाद]

प्रतिस्पर्धा (संशोधन) विधेयक, 2022

प्रतिस्पर्धा अधिनियम, 2002 का और संशोधन करने के लिए

विधेयक

भारत गणराज्य के तिहत्तरवें वर्ष में संसद् द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :—

संक्षिप्त नाम और प्रारंभ ।

1. (1) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम प्रतिस्पर्धा (संशोधन) अधिनियम, 2022 है ।

(2) यह उस तारीख को प्रवृत्त होगा, जो केंद्रीय सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, नियत करे :

परंतु इस अधिनियम के भिन्न--भिन्न उपबंधों के लिए भिन्न-भिन्न तारीख नियत की जा सकेंगी और ऐसे किसी उपबंध में इस अधिनियम के प्रारंभ के प्रति किसी निर्देश का अर्थान्वयन उस उपबंध के प्रवृत्त होने के संदर्भ में किया जाएगा ।

कतिपय पदों के प्रतिनिर्देश के स्थान पर कतिपय अन्य पदों का प्रतिस्थापन ।

2. प्रतिस्पर्धा अधिनियम, 2002 (जिसे इसमें इसके पश्चात् मूल अधिनियम कहा गया है) में,— 2003 का 12

(क) "कंपनी अधिनियम, 1956" शब्द और अंक, जहां कहीं वे आते हैं, के स्थान पर, "कंपनी अधिनियम, 2013" शब्द और अंक रखे जाएंगे ; 1956 का 1 2013 का 18

(ख) "1956 का 1" अंक और शब्द, जहां कहीं वे आते हैं, के स्थान पर, "2013 का 18" अंक और शब्द रखे जाएंगे ।

धारा 2 का संशोधन ।

3. मूल अधिनियम की धारा 2 में,—

(क) खंड (ङ) के पश्चात् निम्नलिखित खंड अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

'(ङक) "प्रतिबद्धता" से धारा 48ख में निर्दिष्ट प्रतिबद्धता अभिप्रेत है ;';

(ख) खंड (ज) में, "ऐसा कोई व्यक्ति या सरकार का विभाग" शब्दों से प्रारंभ होने वाले और "से संबंधित हैं" शब्दों पर समाप्त होने वाले, भाग के स्थान पर, निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात् :—

"ऐसा कोई व्यक्ति या सरकार का विभाग, जिसमें यूनिट, प्रभाग, समनुषंगी भी हैं, जो वस्तु या माल के उत्पादन, भंडारण, प्रदाय, वितरण, अर्जन या नियंत्रण या किसी प्रकार की सेवाओं की व्यवस्था करने या विनिधान से संबंधित किसी आर्थिक क्रियाकलाप में, या किसी अन्य निगमित निकाय के शेयरों, डिबेंचरों या अन्य प्रतिभूतियों के अर्जन, धारण, हामीदारी या संव्यहार के कारबार में या तो प्रत्यक्ष रूप से या उसकी एक या अधिक इकाइयों या प्रभागों या समनुषंगियों के माध्यम से लगा हुआ है, या लगा रहा है, किंतु इसके अंतर्गत सरकार का कोई ऐसा क्रियाकलाप नहीं आता है जो सरकार के संप्रभु कृत्यों जिनके अंतर्गत केन्द्रीय सरकार के परमाणु ऊर्जा, करेंसी, रक्षा तथा अंतरिक्ष से संबंधित विभागों द्वारा किए जाने वाले सभी क्रियाकलाप भी हैं, से संबंधित हैं ;';

(ग) खंड (ट) के पश्चात्, निम्नलिखित खंड अंत:स्थापित किए जाएंगे, अर्थात् :—

(टक) "पक्षकार" के अंतर्गत, यथास्थिति, कोई उपभोक्ता या कोई उद्यम या कोई व्यक्ति या कोई सूचना प्रदाता या कोई उपभोक्ता संगम या कोई व्यापार संगम या केन्द्रीय सरकार या कोई राज्य सरकार या कोई कानूनी निकाय हैं और इसके अंतर्गत कोई उद्यम या कोई व्यक्ति सम्मिलित होगा, जिसके विरुद्ध कोई जांच या कार्यवाही संस्थित की गई हो और कोई उद्यम या व्यक्ति है, जिससे आयोग द्वारा कार्यवाहियों में पक्षकार बनने के लिए कहा गया है ;';

(घ) खंड (ठ) के उपखंड (vi) में, "कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 617" शब्दों और अंकों के स्थान पर, "कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 2 के खंड (45)" शब्द, अंक और कोष्ठक रखे जाएंगे ; 1956 का 1 2013 का 18

(ङ) खंड (त) के स्थान पर, निम्नलिखित खंड रखा जाएगा, अर्थात् :—

'(त) "लोक वित्तीय संस्था" से कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 2 के खंड (72) में यथा परिभाषित लोक वित्तीय संस्था अभिप्रेत है और 2013 का 18

इसके अंतर्गत कोई राज्य वित्तीय निगम, राज्य औद्योगिक निगम या राज्य विनिधान निगम है ;';

(च) खंड (न) के स्थान पर, निम्नलिखित खंड रखा जाएगा, अर्थात् :—

'(न) "सुसंगत उत्पाद बाजार" से ऐसा बाजार अभिप्रेत है, जो ऐसे सभी उत्पादों या सेवाओं से मिलकर बना है,—

(i) जो उत्पादों या सेवाओं की विशिष्टताओं, उनकी कीमत और आशयित उपयोग के कारण उपभोक्ता द्वारा अन्तर्निमेय या प्रतिस्थापनीय माना जाता है ;

(ii) जिनके उत्पादन या पूर्ति को पूतिकर्ता द्वारा ऐसे उत्पादों और सेवाओं के बीच उत्पादन को बदलने और लघु अवधि में संबंधित कीमतों में लघु और स्थाई परिवर्तनों के प्रत्युत्तर में उनके विपणन में बिना कोई महत्वपूर्ण अतिरिक्त लागत या जोखिम उपगत करते हुए अन्तर्निमेय या प्रतिस्थापनीय माना जाता है ;';

(छ) खंड (प) के पश्चात्, निम्नलिखित खंड अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

'(पक) "परिनिर्धारण" से धारा 48क में निर्दिष्ट परिनिर्धारण अभिप्रेत है ;';

धारा 3 का संशोधन ।

4. मूल अधिनियम की धारा 3 में,—

(क) उपधारा (3) में, परंतुक के पश्चात् निम्नलिखित परंतुक अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

"परंतु यह और कि कोई उद्यम या उद्यमों का संगम या कोई व्यक्ति या व्यक्तियों का संगम तथापि समान या उसी तरह के व्यापार में नहीं लगे हुए हैं, को भी इस उपधारा के अधीन करार का हिस्सा समझा जाएगा यदि वे ऐसे करार को अग्रसर करने में सक्रिय रूप से भाग लेता है ।";

(ख) उपधारा (4) में,—

(i) "उद्यमों या व्यक्तियों के बीच कोई करार" शब्दों के स्थान पर, "उद्यमों या व्यक्तियों के बीच कोई अन्य करार, जिसके अंतर्गत उद्यम या व्यक्ति के बीच करार है किंतु उस तक ही सीमित नहीं है" शब्द रखे जाएंगे ;

(ii) खंड (ख) में, "प्रदाय" शब्द के स्थान पर, "व्यौहार" शब्द रखा जाएगा ;

(iii) स्पष्टीकरण से पूर्व निम्नलिखित परंतुक अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

"परंतु इस उपधारा में अंतर्विष्ट कोई बात किसी उद्यम और श्रृंखला के अंत में उपभोक्ता के बीच हुए किसी करार को लागू नहीं होगी ।";

(iv) **स्पष्टीकरण में**,—

(i) खंड (क) और खंड (ख) के स्थान पर निम्नलिखित खंड

रखे जाएंगे, अर्थात् :—

'(क) "इंतजाम करने में सहबद्धता" के अंतर्गत कोई ऐसा करार सम्मिलित है, जो माल या सेवाओं के क्रेता से ऐसे क्रय की शर्त के रूप में कोई अन्य सुभिन्न वस्तु या सेवाओं को क्रय करने की अपेक्षा करता है ;

(ख) "अनन्य प्रदाय करार" के अंतर्गत कोई करार सम्मिलित है, जो किसी भी रीति में, यथास्थिति, क्रेता या विक्रेता को उसके व्यापार के प्रक्रम में, यथास्थिति, विक्रेता या क्रेता के माल या सेवाओं से भिन्न किन्हीं माल या सेवाओं के अर्जन या विक्रय या अन्यथा उनमें व्यौहार को निर्बंधित करता है ;';

(ii) खंड (ग) में, "माल" शब्द, दोनों स्थानों पर जहां वह आता है, के पश्चात्, "या सेवाएं" शब्द अंत:स्थापित किए जाएंगे ;

(iii) खंड (घ) में, "माल" शब्द, दोनों स्थानों पर जहां वह आता है, के पश्चात्, "या सेवाएं" शब्द अंत:स्थापित किए जाएंगे ;

(iv) खंड (ङ) में, "के अंतर्गत इस शर्त पर माल विक्रय करने का कोई करार भी है" शब्द के स्थान पर, "के अंतर्गत माल का विक्रय करने या सेवाएं प्रदान करने के लिए किसी करार की दशा में कोई प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष निर्बंधन" शब्द रखे जाएंगे ;

(ग) उपधारा (5) के खंड (i) के उपखंड (च) के पश्चात् निम्नलिखित उपखंड अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

"(छ) अन्य बौद्धिक संपदा अधिकार से संबंधित तत्समय प्रवृत्त कोई अन्य विधि ।"।

धारा 4 का संशोधन ।

5. मूल अधिनियम की धारा 4 की उपधारा (2) के खंड (क) के स्पष्टीकरण में, "विभेदकारी शर्त या कीमत" शब्दों के स्थान पर, "शर्त या कीमत" शब्द रखे जाएंगे ।

धारा 5 का संशोधन ।

6. मूल अधिनियम की धारा 5 में,—

(अ) खंड (ग) के उपखंड (ii) की मद (आ) में, "आवर्त हैं" शब्दों के स्थान पर, "आवर्त हैं ; या" शब्द रखे जाएंगे ;

(आ) खंड (ग) के पश्चात् निम्नलिखित अंत:स्थापित किए जाएंगे, अर्थात् :—

"(घ) किसी उपक्रम में किसी नियंत्रण, शेयरों, मतदान अधिकारों या आस्तियों के अर्जन, विलयन या समामेलन के संबंध में किसी संव्यवहार का मूल्य दो हजार करोड़ रूपए से अधिक होता है :

परंतु उपक्रम, जो संव्यवहार में एक पक्षकार है, के भारत में ऐसे सारवान कारबार प्रचालन है, जो विनियमों द्वारा विनिर्दिष्ट किए जाएं ।

(ङ) खंड (क) या खंड (ख) या खंड (ग) या परंतुक में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, उद्यम की या तो आस्तियों के मूल्य या व्यापारावर्त का अर्जन किया जा रहा है, उनका नियंत्रण लिया जा रहा है, विलयन या समामेलन किया जा रहा है, जो ऐसे मूल्य से अधिक नहीं है, जो विहित किया जाए, ऐसा अर्जन, नियंत्रण, विलयन या समामेलन धारा

5 के अधीन समुच्चय का गठन नहीं करेगा ।";

(ग) स्पष्टीकरण के स्थान पर निम्नलिखित स्पष्टीकरण रखा जाएगा, अर्थात् :—

"**स्पष्टीकरण**—इस धारा के प्रयोजनों के लिए,—

(क) "नियंत्रण" से किसी भी रीति में, चाहे जो भी हो, निम्नलिखित के द्वारा प्रबंधन या मामलों या सामरिक वाणिज्यिक विनिश्चयों पर तात्विक प्रभाव डालने की योग्यता—

(i) अन्य उद्यम या समूह पर एक या अधिक उद्यम, या तो संयुक्त रूप से या अलग--अलग ; या

(ii) अन्य समूह या उद्यम पर एक या अधिक समूह, या तो संयुक्त रूप से या अलग-अलग,

अभिप्रेत है ;

(ख) "समूह" से दो या अधिक उद्यम अभिप्रेत है, जहां एक उद्यम प्रत्यक्षत: या अप्रत्यक्षत :—

(i) अन्य उद्यम में मतदान का छब्बीस प्रतिशत या ऐसी अन्य उच्चतर प्रतिशतता, जो विहित की जाए, का उपयोग करने की स्थिति में है ; या

(ii) अन्य उद्यम में निदेशक बोर्ड में पचास प्रतिशत सदस्यों से अधिक की नियुक्ति करने की स्थिति में है ; या

(iii) अन्य उद्यम के प्रबंधन या कार्यों का नियंत्रण करने की स्थिति में है ;

(ग) "व्यापारावर्त" से कानूनी लेखापरीक्षक द्वारा उस पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष से तुरंत पूर्व वित्तीय वर्ष में, जिसमें धारा 6 की उपधारा (2) या उपधारा (4) के अधीन नोटिस फाइल किया गया था, के लिए कंपनी के अंतिम उपलब्ध संपरीक्षित लेखाओं के आधार पर प्रमाणित व्यापारावर्त अभिप्रेत है और भारत में ऐसे व्यापारावर्त का अवधारण अंत:समूह विक्रय, अप्रत्यक्ष कर, व्यापार बट्टा और सभी रकमें, जिनका सृजन भारत से बाहर के ग्राहकों की आस्तियों या कारबार के माध्यम से किया गया है, जैसा कि कानूनी लेखापरीक्षक द्वारा उस पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष से तुरंत पूर्व वित्तीय वर्ष में, जिसमें धारा 6 की उपधारा (2) या उपधारा (4) के अधीन नोटिस फाइल किया गया था, के लिए कंपनी के अंतिम उपलब्ध संपरीक्षित लेखाओं के आधार पर प्रमाणित हैं, सम्मिलित नहीं हैं ;

(घ) "संव्यवहार के मूल्य" में किसी अर्जन, आमेलन या समामेलन के लिए प्रत्येक मूल्यवान प्रतिफल, चाहे प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष या आस्थगित हो, सम्मिलित है ।

(ङ) आस्तियों के ऐसे मूल्य का अवधारण उद्यम की संपरीक्षित लेखा बहियों में उस वित्तीय वर्ष के ठीक पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष, जिसमें प्रस्तावित समुच्चय की तारीख आती है, यथादर्शित आस्तियों के बही मूल्य को गणना में लेकर किया जाएगा और यदि

ऐसा वित्तीय विवरण उस वित्तीय वर्ष, जिसमें धारा 6 की उपधारा (2) या उपधारा (4) के ठीक पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष में कंपनी के अंतिम उपलब्ध संपरीक्षित लेखाओं के आधार पर की गई कानूनी संपरीक्षकों की रिपोर्ट के अनुसार कंपनी अधिनियम, 2013 के अधीन रजिस्ट्रार के पास फाइल किए जाने के लिए अभी तक देय नहीं हुई है, जो अवक्षयण घटाकर आए और आस्तियों के ऐसे मूल्य में ब्रांड मूल्य, गुडविल मूल्य या प्रतिलिप्याधिकार, पेटेंट, अनुज्ञात उपयोग, सामूहिक चिह्न, रजिस्ट्रीकृत प्रोप्राइटर, रजिस्ट्रीकृत व्यापार चिह्न, रजिस्ट्रीकृत उपयोगकर्ता, समान भौगोलिक उपदर्शन, भौगोलिक उपदर्शन, डिजाइन या ले-आउट डिजाइन या वैसे ही अन्य वाणिज्यिक अधिकार जिनका धारा 3 की उपधारा (5) में विधियों के अधीन उपबंध किया गया है ;";

2013 का 18

(च) जहां किसी उद्यम या प्रभाग या कारबार के किसी भाग का अर्जन किया जा रहा है, नियंत्रण लिया जा रहा है, किसी अन्य उद्यम के साथ विलयन या समामेलन किया जा रहा है, उक्त भाग या प्रभाग या कारबार या उसकी आस्तियों का मूल्य धारा 5 के अधीन अवसीमा को लागू करने के प्रयोजन के लिए सुसंगत आस्तियां या व्यापारावर्त या संव्यवहार का सुसंगत मूल्य होगा ।'।

धारा 6 का संशोधन।

7. मूल अधिनियम की धारा 6 में,—

(क) उपधारा (2) में,—

(i) "तीस दिन के भीतर" शब्दों के स्थान पर "निम्नलिखित में से किसी के पश्चात् किंतु समुच्चय के उपभोग से पूर्व" शब्द रखे जाएंगे ;

(ii) खंड (क) में, "खंड (ग)" शब्द, कोष्ठक और अक्षर के पश्चात्, "और खंड (घ)" शब्द, कोष्ठक और अक्षर अंत:स्थापित किए जाएंगे ;

(iii) खंड (ख) में, "खंड (क)" शब्द, कोष्ठक और अक्षर के पश्चात्, "और खंड (घ)" शब्द, कोष्ठक और अक्षर अंत:स्थापित किए जाएंगे ;

(iv) निम्नलिखित स्पष्टीकरण अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

'**स्पष्टीकरण**—इस उपधारा के प्रयोजनों के लिए "अन्य दस्तावेज" से कोई दस्तावेज अभिप्रेत है, चाहे किसी भी नाम से ज्ञात हो, जो नियंत्रण, शेयर, मतदान अधिकार या आस्तियां अर्जित करने के करार या विनिश्चय को बताता हो यदि अर्जन अर्जित किए जाने वाले उद्यम की सहमति के बिना हो, अर्जन करने वाले उद्यम द्वारा निष्पादित कोई दस्तावेज चाहे किसी भी नाम से ज्ञात हो, जो नियंत्रण, शेयर या मतदान अधिकार के अर्जन के विनिश्चय को बताता हो या जहां शेयरों, मतदान अधिकारों का अर्जन भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड अधिनियम, 1992 के अधीन बनाए गए भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (शेयरों का सारवान अर्जन और ग्रहण) विनियम, 2011 के अनुसार कोई लोक उद्घोषणा की गई है ।";

1992 का 15

(ख) उपधारा (2क) में,—

(i) "दो सौ दस दिन" शब्दों के स्थान पर, "एक सौ पचास दिन" शब्द रखे जाएंगे ;

(ii) निम्नलिखित परंतुक अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

"परंतु समुच्चय के पक्षकार द्वारा सुसंगत सूचना प्रस्तुत करने या उपधारा (2) के अधीन फाइल किए गए नोटिस की त्रुटियों को दूर करने के लिए अतिरिक्त समय का अनुरोध करने की दशा में आयोग आदेश द्वारा अतिरिक्त समय अनुदत्त कर सकेगा, जो यथास्थिति, सुसंगत सूचना प्रस्तुत करने या त्रुटियों को दूर करने के लिए तीस दिन से अधिक नहीं होगा";

(ग) उपधारा (3) में, "धारा 29, धारा 30 और धारा 31" शब्दों और अंकों के स्थान पर, "धारा 29, धारा 29क, धारा 30 और धारा 31" शब्द, अंक और अक्षर रखे जाएंगे ;

(घ) उपधारा (4) और उपधारा (5) तथा स्पष्टीकरण के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात् :—

'(4) उपधारा (2क) और उपधारा (3) तथा धारा 43क में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी यदि कोई समुच्चय ऐसे मानदंड को पूरा करता है, जो विहित किया जाए और अन्यथा इस अधिनियम के अधीन उपधारा (2) के अधीन आयोग को नोटिस देने की अपेक्षा से छूट प्राप्त नहीं है, तब ऐसे समुच्चय के लिए नोटिस आयोग को ऐसे प्ररूप में और ऐसी फीस का संदाय करने पर, जो विनियमों द्वारा विनिर्दिष्ट की जाए, प्रस्तावित समुच्चय के ब्यौरों का प्रकटन करते हुए दिया जा सकेगा और तत्पश्चात् उपधारा (2) के अधीन ऐसे समुच्चय के लिए एक पृथक् नोटिस देने की अपेक्षा नहीं होगी ।

(5) उपधारा (4) के अधीन नोटिस फाइल करने पर और आयोग द्वारा उसकी अभिस्वीकृति पर प्रस्तावित समुच्चय को धारा 31 की उपधारा (1) के अधीन आयोग द्वारा अनुमोदित समझा जाएगा तथा उपधारा (2) या उपधारा (2क) के अधीन किसी अन्य अनुमोदन की अपेक्षा नहीं होगी ।

(6) यदि धारा 20 की उपधारा (1) में निर्दिष्ट अवधि के भीतर आयोग यह पाता है कि उपधारा (4) के अधीन अधिसूचित समुच्चय उस उपधारा के अधीन विनिर्दिष्ट अपेक्षाओं को पूरा नहीं करता है या प्रस्तुत की गई सूचना या घोषणाएं तात्विक रूप से सही नहीं है या अपूर्ण हैं, उपधारा (5) के अधीन दिया गया अनुमोदन प्रारंभ से ही शून्य होगा और आयोग ऐसा आदेश पारित कर सकेगा, जो वह ठीक समझे :

परंतु ऐसा कोई आदेश तब तक पारित नहीं किया जाएगा जब तक समुच्चय को सुने जाने का अवसर प्रदान नहीं कर दिया जाता है ।

(7) इस धारा और धारा 43क में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी ऐसे मानदंड को पूरा करने से उपधारा (2), उपधारा (2क) और धारा 4 की अपेक्षाओं को पूरा करने से समुच्चयों के कतिपय प्रवर्गों को छूट दी जा सकेगी ।

(8) उपधारा (4), उपधारा (5), उपधारा (6) और उपधारा (7) में

अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी—

(i) इन उपधाराओं में निर्दिष्ट विषयों पर, इस अधिनियम के अधीन बनाए गए नियम और विनियम, जैसा कि वह प्रतिस्पर्धा (संशोधन) अधिनियम, 2020 के लागू होने से ठीक पूर्व थे और ऐसे प्रारंभ होने पर थे तब तक प्रवृत्त होना जारी रहेगा जब तक, यथास्थिति, नियम या विनियम इस अधिनियम के अधीन बनाए नहीं जाते हैं ; और

(ii) इस अधिनियम के अधीन बनाए गए किन्हीं नियमों और विनियमों के अनुसरण में या उनके अधीन पारित किया गया कोई आदेश या अधिरोपित कोई फीस या बनाया गया समुच्चय या पारित संकल्प या दिया गया निदेश या निष्पादित या जारी किया गया लिखत या की गई कोई बात, यदि प्रतिस्पर्धा (संशोधन) अधिनियम, 2020 के प्रारंभ होने पर प्रवृत्त है तो वह प्रवृत्त रहेगी और उसका ऐसे प्रभाव होगा मानो ऐसा पारित आदेश या ऐसी अधिरोपित फीस या ऐसा बनाया गया समुच्चय या ऐसा पारित संकल्प या ऐसा दिया गया निदेश या ऐसा निष्पादित या जारी किया गया लिखत इस अधिनियम के अधीन या उसके अनुसरण में किया गया है ।

(9) इस धारा के उपबंध किसी शेयर प्रतिश्रुति या वित्तपोषण करने वाली सुविधा या किसी लोक वित्तीय संस्था अर्जन, विदेशी पोर्टफोलियो विनिधानकर्ता, बैंक या प्रवर्ग 1 विकल्पी विनिधान निधि को किसी ऋण करार या विनिधान करार की प्रसंविदा को लागू नहीं होंगे ।

स्पष्टीकरण—इस धारा के प्रयोजनों के लिए पद,—

(क) "प्रवर्ग 1 वैकल्पिक विनिधान निधि" का वही अर्थ है, जो उसका भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड अधिनियम, 1992 के अधीन बनाए गए भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (वैकल्पिक विनिधान निधि) विनियम, 2012 के विनियम 3 के उपविनियम (4) के खंड (क) में निर्दिष्ट वैकल्पिक विनिधान निधि में है ; 1992 का 15

(ख) "विदेशी पोर्टफोलियो विनिधानकर्ता" का वही अर्थ है, जो उसका भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड अधिनियम, 1992 के अधीन बनाए गए भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (विदेशी पोर्टफोलियो विनिधानकर्ता) विनियम, 2019 के विनियम 2 के उपविनियम (1) के खंड (ञ) के अधीन समनुदेशित है ;'। 1992 का 15

नई धारा 6कक का अंत:स्थापन ।

8. मूल अधिनियम की धारा 6 के पश्चात् निम्नलिखित धारा अंत:स्थापित की जाएगी, अर्थात्:—

खुले प्रस्ताव आदि ।

"6क. धारा 6 की उपधारा (2क) और धारा 43क में अंतर्विष्ट कोई बात किसी खुले प्रस्ताव को कार्यान्वित करने से या किसी विनियामित स्टॉक एक्सचेंज से संव्यवहारों की किसी श्रृंखला के माध्यम से शेयरों या विभिन्न विक्रेताओं से अन्य प्रतिभूतियों में संपरिवर्तनीय प्रतिभूतियों के अर्जन को प्रभावी करने से नहीं रोकेगी, यदि—

(क) आयोग के पास अर्जन का नोटिस ऐसे समय के भीतर और

ऐसी रीति में फाइल किया गया हो जैसा कि विनियमों द्वारा विनिर्दिष्ट किया जाए ; और

(ख) अर्जनकर्ता ऐसे शेयरों में या संपरिवर्तनीय प्रतिभूतियों में किन्हीं स्वामित्व या फायदाप्रद अधिकारों या हित, जिसके अंतर्गत मतदान अधिकार और लाभांश या किन्हीं अन्य संवितरणों की प्राप्ति भी है, का उपयोग नहीं करता है, जब तक आयोग अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (2क) के उपबंधों के अनुसार ऐसे अर्जन का अनुमोदन नहीं कर देता है ।"

स्पष्टीकरण—इस धारा के प्रयोजनों के लिए "खुला प्रस्ताव" से भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड अधिनियम, 1992 के अधीन बनाए गए भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (शेयरों का सारवान अर्जन और ग्रहण) विनियम, 2011 के अनुसार किया गया खुला प्रस्ताव अभिप्रेत है ।'।

1992 का 15

धारा 8 का संशोधन ।

9. मूल अधिनियम की धारा 8 की उपधारा (2) में, "उद्योग" शब्द के पश्चात्, "प्रौद्योगिकी" शब्द अंत:स्थापित किया जाएगा ;

धारा 9 का संशोधन ।

10. मूल अधिनियम की धारा 9 की उपधारा (1) के खंड (घ) में, "उद्योग" शब्द के पश्चात्, "प्रौद्योगिकी" शब्द अंत:स्थापित किया जाएगा ;

धारा 12 के स्थान पर नई धारा का रखा जाना ।

11. मूल अधिनियम की धारा 12 के स्थान पर, निम्नलिखित धारा रखी जाएगी, अर्थात् :—

अध्यक्ष और पूर्णकालिक सदस्य के नियोजन पर निर्बंधन ।

"12. (1) अध्यक्ष और अन्य सदस्य, उस तारीख से, जिसको वह पद पर नहीं रहते हैं, से दो वर्ष की कालावधि के लिए परामर्शदाता, रिटेनर या किसी अन्य क्षमता, चाहे जो भी हो, कोई नियोजन स्वीकार नहीं करेंगे या सलाह नहीं देंगे या निम्नलिखित के प्रबंधन या प्रशासन से संबद्ध नहीं होंगे,—

(क) कोई उद्यम, जो इस अधिनियम के अधीन आयोग के समक्ष किसी कार्यवाही में पक्षकार है या रहा है ; या

(ख) कोई व्यक्ति, जो आयोग के समक्ष धारा 35 के अधीन उपस्थित होता है या उपस्थित हुआ है ।

(2) धारा 35 में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, अध्यक्ष या कोई अन्य सदस्य सेवानिवृत्ति या किन्हीं कारणों से सेवा में न रहने पर आयोग के समक्ष किसी व्यक्ति या उद्यम का प्रतिनिधित्व नहीं करेगा :

परंतु इस धारा में अंतर्विष्ट कोई बात केंद्रीय सरकार या राज्य सरकार या स्थानीय प्राधिकरण या किसी कानूनी प्राधिकरण या केंद्रीय, राज्य या प्रांतीय अधिनियम के अधीन या द्वारा स्थापित किसी निगम या कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 2 के खंड (45) में यथा परिभाषित किसी सरकारी कंपनी में किसी नियोजन को लागू नहीं होगी ।";

2013 का 18

धारा 16 का संशोधन ।

12. मूल अधिनियम की धारा 16 की उपधारा (1) में, "केंद्रीय सरकार, अधिसूचना द्वारा, इस अधिनियम के किसी भी उपबंध के उल्लंघन की जांच करने में आयोग की सहायता करने के प्रयोजन के लिए और ऐसे अन्य कृत्यों का पालन करने के लिए, जो इस अधिनियम द्वारा या उसके अधीन उपबंधित किए गए हैं या उपबंधित किए जाएं, महानिदेशक नियुक्त कर सकेगी ।" शब्दों के स्थान पर, "आयोग, केंद्रीय सरकार के पूर्वानुमोदन से अधिसूचना द्वारा, इस अधिनियम के

किसी भी उपबंध के उल्लंघन की जांच करने में आयोग की सहायता करने के प्रयोजन के लिए और ऐसे अन्य कृत्यों का पालन करने के लिए, जो इस अधिनियम द्वारा या उसके अधीन उपबंधित किए गए हैं या उपबंधित किए जाएं, महानिदेशक नियुक्त कर सकेगी ।" शब्द रखे जाएंगे ;

धारा 18 के स्थान पर नई धारा का प्रतिस्थापन ।

13. मूल अधिनियम की धारा 18 के स्थान पर, निम्नलिखित धारा रखी जाएगी, अर्थात् :—

आयोग के कर्तव्य और कृत्य ।

"18. इस अधिनियम के उपबंधों के अधीन रहते हुए, आयोग का यह कर्तव्य होगा कि वह ऐसे व्यवहारों को समाप्त करे, जो प्रतिस्पर्धा पर प्रतिकूल प्रभाव डालते हैं, प्रतिस्पर्धा का संवर्धन करे और उसे बनाए रखे, उपभोक्ताओं के हितों का संरक्षण करे और भारत के बाजारों में अन्य भागीदारों द्वारा किए गए व्यापार की स्वतंत्रता को सुनिश्चित करे :

परंतु आयोग, इस अधिनियम के अधीन अपने कर्तव्यों के निर्वहन या अपने कृत्यों के पालन के प्रयोजन के लिए, केन्द्रीय सरकार के पूर्व अनुमोदन से, किसी विदेशी अभिकरण के साथ कोई ज्ञापन या ठहराव कर सकेगा :

परंतु यह और कि आयोग, इस अधिनियम के अधीन अपने कर्तव्यों के निर्वहन या अपने कृत्यों के पालन के प्रयोजन के लिए, किसी कानूनी प्राधिकरण या सरकार के विभाग के साथ कोई ज्ञापन या ठहराव कर सकेगा ।"।

धारा 19 का संशोधन ।

14. मूल अधिनियम की धारा 19 में,—

(क) उपधारा (1) में निम्नलिखित परंतुक अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

"परंतु आयोग तब तक कोई सूचना या निर्देश ग्रहण नहीं करेगा, जब तक कि वह हेतुक उपदर्शित करने की तारीख से तीन वर्ष की अवधि के भीतर फाइल नहीं किया गया हो :

परंतु यह और कि पहले परंतुक में विनिर्दिष्ट कालावधि के पश्चात् कोई सूचना या निर्देश ग्रहण किया जा सकेगा, यदि आयोग का विलंब को माफ करने के कारणों को अभिलिखित करने के पश्चात् यह समाधान हो जाता है कि सूचना या निर्देश को ऐसी अवधि के भीतर फाइल न करने के पर्याप्त कारण रहे थे ।"

(ख) उपधारा (3) में,—

(i) खंड (ग) में, "बाजार में प्रवेश को प्रतिबंधित करके" शब्दों का लोप किया जाएगा ;

(ii) खंड (घ) में, "फायदों का प्रोद्भवन" शब्दों के स्थान पर, "फायदे या अपहानि" शब्द रखे जाएंगे ;

(ग) उपधारा (6) में, खंड (ज) के पश्चात्, निम्नलिखित खंड अंत:स्थापित किए जाएंगे, अर्थात् :—

"(झ) माल की विशेषताएं या सेवाओं की प्रकृति ; और

(ञ) अन्य क्षेत्रों में पूर्ति या मांग को परिवर्तित करने में सहयुक्त लागत ;";

(घ) उपधारा (7) में, —

(i) खंड (क) में, "उसका अंतिम उपयोग" शब्दों के पश्चात्, "या सेवाओं की प्रकृति" शब्द अंत:स्थापित किए जाएंगे ;

(ii) खंड (च) के पश्चात्, निम्नलिखित खंड अंत:स्थापित किए जाएंगे, अर्थात् : —

"(छ) अन्य माल या सेवाओं की मांग या पूर्ति को परिवर्तित करने में सहयुक्त लागत ;

(ज) ग्राहकों के प्रवर्ग ।

15. मूल अधिनियम की धारा 20 में,— धारा 20 का संशोधन ।

(क) उपधारा (1) में, "या उस धारा के खंड (ग) में निर्दिष्ट विलयन या समामेलन के संबंध में" शब्दों, कोष्ठक और अक्षर के स्थान पर, "धारा 5 के खंड (ग) या किसी उपक्रम के नियंत्रण, शेयर, मतदान अधिकार या आस्तियों के अर्जन या उस धारा के खंड (घ) में निर्दिष्ट विलयन या समामेलन के संबंध में" शब्द रखे जाएंगे ;

(ख) उपधारा (3) में, "व्यापारावर्त के मूल्य" शब्दों के पश्चात्, "या संव्यवहार का मूल्य" शब्द अंत:स्थापित किए जाएंगे ;

(ग) उपधारा (4) के खंड (ग) में, "समुच्चय" शब्द के स्थान पर, "संकेंद्रन" शब्द रखा जाएगा ।

16. मूल अधिनियम की धारा 21 की उपधारा (1) में, परंतुक के स्थान पर, निम्नलिखित परंतुक रखा जाएगा, अर्थात् :— धारा 21 का संशोधन ।

"परंतु कोई कानूनी प्राधिकरण, स्वप्रेरणा से आयोग को किसी ऐसे मुद्दे को निर्दिष्ट कर सकेगा, जिसमें, यथास्थिति, इस अधिनियम का कोई उपबंध अंतर्वलित है या जो इस अधिनियम के उद्देश्यों का संवर्धन करने से संबंधित है ।"।

17. मूल अधिनियम की धारा 21क की उपधारा (1) में,— धारा 21क का संशोधन ।

(क) "इस अधिनियम" शब्दों के स्थान पर, "अधिनियम" शब्द रखा जाएगा ;

(ख) परंतुक के स्थान पर, निम्नलिखित परंतुक रखा जाएगा, अर्थात् :—

"परंतु आयोग, स्वप्रेरणा से किसी कानूनी प्राधिकरण को किसी ऐसे मुद्दे पर निर्दिष्ट कर सकेगा, जिसमें अधिनियम के उपबंध अंतर्वलित हैं, जिनका कार्यान्वयन उस कानूनी प्राधिकरण को सौंपा गया है ।";

18. मूल अधिनियम की धारा 22 की उपधारा (3) में, "और मतों के बराबर होने की दशा में अध्यक्ष या उसकी अनुपस्थिति में अध्यक्षता करने वाले सदस्य का द्वितीय या निर्णायक मत होगा" शब्दों का लोप किया जाएगा । धारा 22 का संशोधन ।

19. मूल अधिनियम की धारा 26 में,— धारा 26 का संशोधन ।

(क) उपधारा (2) के पश्चात्, निम्नलिखित उपधारा अंत:स्थापित की जाएगी, अर्थात् :—

"(2क) आयोग, धारा 3 में निर्दिष्ट करार या धारा 4 के अधीन

किसी उद्यम या समूह के संचालन की जांच नहीं कर सकेगा, यदि वही या सारत: समान तथ्य और विवाद्यक धारा 19 के अधीन प्राप्त जानकारी में उठाए गए या केंद्रीय सरकार या किसी राज्य सरकार या किसी कानूनी प्राधिकारी से निर्देश पर उसके पूर्ववर्ती आदेश में आयोग द्वारा पहले ही विनिश्चय किया गया है ।";

(ख) उपधारा (3) के पश्चात्, निम्नलिखित उपधारा अंत:स्थापित की जायेगी, अर्थात् :—

"(3क) यदि उपधारा (3) में निर्दिष्ट महानिदेशक की रिपोर्ट पर विचार करने के पश्चात्, आयोग कि यह राय है कि अतिरिक्त अन्वेषण की आवश्यकता है तो मामले में अतिरिक्त जांच के लिए महानिदेशक को निदेश दे सकेगा ।

(3ख) महानिदेशक, उपधारा (3क) के अधीन निदेश की प्राप्ति पर मामले का अन्वेषण करेगा और अपने निष्कर्षों पर एक अनुपूरक रिपोर्ट ऐसी अवधि के भीतर, जो आयोग द्वारा विहित किया जाए, प्रस्तुत करेगा ।";

(ग) उपधारा (4) में, शब्द, कोष्ठक और अंक "उपधारा (3)" के स्थान पर, दोनों स्थानों पर जहां वे आते हैं, "उपधारा (3) और उपधारा (3क)" शब्द, कोष्ठक, अंक और अक्षर रखे जाएंगे;

(घ) उपधारा (5) में शब्द, कोष्ठक और अंक "उपधारा (3)" के स्थान पर, "उपधारा (3क)" शब्द, कोष्ठक, अंक और अक्षर रखे जाएंगे;

(ङ) उपधारा (8) में शब्द, कोष्ठक और अंक "उपधारा (3)" के स्थान पर, "उपधारा (3) और उपधारा (3ख)" शब्द, कोष्ठक, अंक और अक्षर रखे जाएंगे;

(च) उपधारा (8) के पश्चात्, निम्नलिखित उपधारा अंत:स्थापित की जाएगी, अर्थात् :—

"(9) यथास्थिति, उपधारा (7) या उपधारा (8) के अधीन अन्वेषण और जांच के पूरा होने पर आयोग मामले को बंद करने का कोई आदेश पारित कर सकेगा या धारा 27 के अधीन कोई आदेश पारित कर सकेगा और इस आदेश की एक प्रति यथास्थिति, केंद्रीय सरकार या राज्य सरकार या कानूनी प्राधिकारी या संबत्र पक्षकार को भेज सकेगा :

परंतु ऐसे आदेश को पारित करने के पूर्व आयोग, किए गए अभिकथित उल्लंघनों को दर्शाते हुए और ऐसे अन्य ब्यौरे, जो विनियमों द्वारा विनिर्दिष्ट किए जाएं तथा संबद्ध पक्षकारों को युक्तियुक्त सुनवाई का अवसर देकर कारण बताओ सूचना जारी करेगा ।" ।

धारा 27 का संशोधन ।

20. मूल अधिनियम की धारा 27 में, खंड (ख) के स्थान पर निम्नलिखित खंड रखा जाएगा, अर्थात् :—

'(ख) प्रत्येक ऐसे व्यक्तियों या उद्यमों पर, जो ऐसे करारों या दुरुपयोग के पक्षकार हैं, ऐसी शास्ति अधिरोपित करना, जो वह उचित समझे किंतु वह गत तीन पूर्ववर्ती वित्तीय वर्षों के औसत व्यापारावर्त के दस प्रतिशत से अधिक नहीं होगी :

परंतु किसी उत्पाद संघ के साथ धारा 3 में निर्दिष्ट कोई करार किए जाने की दशा में, आयोग उस उत्पादन संघ में सम्मिलित प्रत्येक उत्पादक, विक्रेता, वितरक, व्यापारी या सेवा प्रदाता कर ऐसे करार के जारी रहने के प्रत्येक वर्ष के लिए उसके लाभ के तीन गुणा तक या ऐसे करार के जारी रहने के प्रत्येक वर्ष के लिए उसके आवर्त के दस प्रतिशत तक की इनमें से जो भी अधिक हो, शास्ति अधिरोपित कर सकेगा ।

स्पष्टीकरण—इस खंड के प्रयोजनों के लिए, पद "आवर्त" या "आय", जैसी भी स्थिति हो ऐसी रीति में निर्धारित किया जाएगा जो विनियमों द्वारा विनिर्दिष्ट किया जाए ।'।

धारा 29 का संशोधन ।

21. मूल अधिनियम की धारा 29 में, —

(क) उपधारा (1) में शब्द "तीस दिनों के भीतर" के स्थान पर "पन्द्रह दिनों के भीतर" शब्द रखे जाएंगे;

(ख) उपधारा (1क) के पश्चात् निम्नलिखित उपधारा अंत:स्थापित की जाएगी, अर्थात्:—

"(1ख) आयोग धारा 6 की उपधारा (2) के अधीन सूचना की प्राप्ति के 20 दिनों के भीतर उपधारा (1) में निर्दिष्ट अपने प्रथम दृष्टया राय का प्ररुप ।";

(ग) उपधारा (2) में,—

(i) शब्द "सात कार्यदिवसों के भीतर" के स्थान पर "सात दिनों के भीतर" शब्द रखे जाएंगे ;

(ii) शब्द "दस कार्यदिवसों के भीतर" के स्थान पर "सात दिनों के भीतर" शब्द रखे जाएंगे ;

(घ) उपधारा (3) में, शब्द "पन्द्रह कार्यदिवसों के भीतर" के स्थान पर "दस दिनों के भीतर" शब्द रखे जाएंगे ;

(ङ) उपधारा (4) में, शब्द "पन्द्रह कार्यदिवसों के भीतर" के स्थान पर "सात दिनों के भीतर" शब्द रखे जाएंगे ;

(च) उपधारा (5) में, शब्द "पन्द्रह दिनों के भीतर" के स्थान पर "दस दिनों के भीतर" शब्द रखे जाएंगे ;

(छ) उपधारा (6) के स्थान पर निम्नलिखित उपधारा रखी जाएगी, अर्थात् :—

"(6) सभी जानकारी प्राप्त करने के पश्चात्, आयोग यथास्थिति, धारा 29क या धारा 31 में अंतर्विष्ट उपबंधों के अनुसार मामले को निपटाने की कार्यवाही करेगा ।

(7) इस धारा में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, आयोग समुच्चय के पक्षकारों द्वारा प्रस्तावित समुचित उपांतरों को स्वीकार कर सकेगा या स्व:प्रेरणा से प्रस्तावित उपांतरण, जैसी भी स्थिति हो, उपधारा (1) के अधीन किसी प्रथम दृष्टतया राय का प्ररुप बनाने के लिए स्वीकार कर सकेगा ।" ।

नई धारा 29क का अंत:स्थापन ।

22. मूल अधिनियम की धारा 29 के पश्चात्, निम्नलिखित धारा अंत:स्थापित की जाएगी, अर्थात् :—

आयोग द्वारा आक्षेपों का विवरण जारी करना और उपांतरणों का प्रस्ताव

"29क. (1) धारा 29 के अधीन प्रक्रिया के पूर्ण होने पर, जहां आयोग की यह राय है कि समुच्चय प्रतिकूल प्रभाव डाला है या डालने वाला है, प्रतिस्पर्धा पर पर्याप्त रुप से प्रतिकूल प्रभाव को पहचान करते हुए पक्षकारों के आक्षेपों का विवरण जारी करेगा और पक्षकारों को यह निदेश देगा कि उद्देश्यों के विवरण की प्राप्ति के 25 दिनों के भीतर यह स्पष्ट करें कि ऐसे समुच्चय को प्रभावी करने की अनुज्ञा क्यों दी गई ।

(2) जहां समुच्चय के पक्षकार यह विचार करते हैं कि ऐसा प्रतिस्पर्धा पर पर्याप्त रुप से प्रतिकूल प्रभाव ऐसे समुच्चय के उचित उपांतर द्वारा निकाला जा सकता है, उपधारा (1) के अधीन जारी आक्षेपों के विवरण पर उनके स्पष्टीकरण के साथ समुच्चय के समुचित उपांतरण का कोई प्रस्ताव प्रस्तुत कर सकेगा, जो विनियमों द्वारा विनिर्दिष्ट रुप से ऐसी रीति में किया जाए ।

(3) यदि आयोग द्वारा, उपधारा (2) के अधीन पक्षकारों द्वारा प्रस्तुत किया गया उपांतर स्वीकार नहीं किया जाता है तो उस उपधारा के अधीन प्रस्तावित उपांतरों की प्राप्ति की तारीख से सात दिनों के भीतर पक्षकारों को सूचित किया जाएगा कि यह उपांतर प्रतिस्पर्धा पर पर्याप्त रुप से प्रतिकूल प्रभाव डालने के कारण निकालने के लिए पर्याप्त क्यों हैं और उक्त सूचना, संशोधित उपांतर की प्राप्ति के 12 दिनों के भीतर उसे देने के लिए पक्षकारों को बुलाएगा, यदि कोई प्रतिस्पर्धा पर पर्याप्त रुप से प्रतिकूल प्रभाव डालने के कारण उसे निकाला गया है:

परंतु आयोग ऐसे प्रस्ताव की प्राप्ति से 12 दिनों के भीतर उपांतर के लिए ऐसे प्रस्ताव का मूल्यांकन करेगा :

परंतु यह और कि कमीशन स्व:प्रेरणा से समुच्चय के प्रस्तावित समुचित उपांतरों को समुच्चय के पक्षकारों द्वारा विचार कर सकेगा ।" ।

धारा 31 का संशोधन ।

23. मूल अधिनियम की धारा 31 में,—

(क) पार्श्व शीर्ष में, शब्द "कतिपय" का लोप किया जाएगा;

(ख) उपधारा (1) में शब्द "ऐसे समुच्चय सहित" का लोप किया जाएगा;

(ग) उपधारा (1) के पश्चात् निम्नलिखित परंतुक अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

"परंतु यदि आयोग धारा 29 की उपधारा (1ख) के अधीन यथा उपबंधित प्रथमदृष्ट्या कोई राय विरचित नहीं करता है, तो समुच्चय अनुमोदित समझा जाएगा और कोई पृथक् आदेश पारित करने की आवश्यकता नहीं होगी ।";

(घ) उपधारा (3), उपधारा (4), उपधारा (5) और उपधारा (6) के स्थान पर निम्नलिखित उपधाराएं रखी जाएंगी, अर्थात् :—

"(3) जहां कमीशन की किसी प्रतिस्पर्धा पर पर्याप्त रूप से प्रतिकूल प्रभाव पर यह राय है कि समुच्चय, यथास्थिति, धारा 29 की उपधारा (7) या धारा 29क की उपधारा (2) या उपधारा (3) के अधीन पक्षकार या कमीशन द्वारा प्रस्तावित उपांतर निकाला गया है या निकाला जा सकता है, ऐसे उपांतरों के अधीन समुच्चय को अनुमोदित कर सकेगा, जो वह ठीक समझे ।

(4) जहां उपधारा (3) के अधीन आयोग द्वारा किसी समुच्चय को अनुमोदित किया जाता है, ऐसे समुच्चय के पक्षकार आयोग द्वारा यथाविनिर्दिष्ट ऐसी अवधि के भीतर ऐसे उपांतर को कार्यान्वित करेंगे ।

(5) जहां—

(क) उपधारा (2) के अधीन आयोग द्वारा यह निदेश दिया जाता है कि समुच्चय प्रभावी नहीं होगा; या

(ख) समुच्चय के पक्षकार उपधारा (4) के अधीन आयोग द्वारा यथाविनिर्दिष्ट ऐसी अवधि के भीतर उपांतर को कार्यान्वित करने में असफल रहता है; या

(ग) आयोग की यह राय है कि समुच्चय प्रतिस्पर्धा पर पर्याप्त रूप से प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है या पड़ने वाला है, जो ऐसे समुच्चय के उचित उपांतर द्वारा निकाला नहीं जा सकता,

किसी शास्ति पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना जो अधिरोपित किया जा सकेगा या कोई अभियोजन अधिनियम के अधीन प्रारंभ किया जा सकेगा, आयोग, यथास्थिति, यह आदेश दे सकेगा कि ऐसा समुच्चय प्रभावी नहीं होगा या शून्य घोषित कर देगा या प्रतिस्पर्धा पर पर्याप्त रूप से प्रतिकूल प्रभाव द्वारा पक्षकारों पर स्कीम को विरचित करेगा ।

(6) यदि आयोग द्वारा यथास्थिति, उपधारा (1) या उपधारा (2) या उपधारा (3) या उपधारा (5) के उपबंधों के अनुसरण में धारा 6 की उपधारा (2) के अधीन आयोग द्वारा दी गई सूचना की तारीख से एक सौ पचास दिन की अवधि के भीतर कोई आदेश पारित नहीं किया जाता है, समुच्चय आयोग द्वारा किया गया समझा जाएगा :

परंतु आयोग आदेश द्वारा एक सौ पचास दिनों से ऐसी अतिरिक्त अवधि के लिए जो वह ठीक समझे विस्तारित कर सकेगा, किंतु धारा 6 की उपधारा (2) के अधीन सुसंगत जानकारी देने या सूचना देने में त्रुटि करता है तो ऐसी अतिरिक्त अवधि के लिए समुच्चय अनुरोध के लिए पक्षकारों की दशा में तीस दिनों से अधिक का नहीं होगा ।

(ङ) उपधारा (7), उपधारा (8), उपधारा (9), उपधारा (10), उपधारा (11) और उपधारा (12) का लोप किया जाएगा ।"।

धारा 32 का संशोधन ।

24. मूल अधिनियम की धारा 32 में, अंक और शब्द "29 और 30" के स्थान पर अंक, अक्षर और शब्द "29, 29क और 30" रखे जाएंगे ।

धारा 35 का संशोधन ।

25. मूल अधिनियम की धारा 35 की उपधारा (1) के रूप में संख्यांकित की जाएगी,—

(क) इस प्रकार संख्यांकित की गई उपधारा (1) में, "व्यक्ति या उद्यम" शब्दों के स्थान पर, "पक्षकार" शब्द रखा जाएगा ;

(ख) इस प्रकार संख्यांकित की गई उपधारा (1) के पश्चात् निम्नलिखित उपधारा अंत:स्थापित की जाएगी, अर्थात् :—

"(2) उपधारा (1) पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, कोई व्यक्ति या उद्यम या पक्षकार अर्थशास्त्र, वाणिज्य, अंतरराष्ट्रीय व्यापार या किसी अन्य विधा से इस मामले से संबंधित किसी विशेषज्ञ की राय को

उपलब्ध कराने के लिए इन क्षेत्रों से विशेषज्ञ को बुला सकेगा ।"।

धारा 41 का संशोधन ।

26. मूल अधिनियम की धारा 41 में,—

(क) उपधारा (3) के स्थान पर, निम्नलिखित उपधाराएं रखी जाएंगी, अर्थात् :—

"(3) उपधारा (2) पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, पक्षकार के कर्मचारियों और अभिकर्ताओं से भिन्न सभी अधिकारियों का यह कर्तव्य होगा जो अन्वेषण के अधीन कार्य कर रहे हैं—

(क) पक्षकार से संबंधित सभी सूचना, पुस्तकें, कागज-पत्र, अन्य दस्तावेज और अभिलेख संरक्षित करना और प्रस्तुत करना, इस निमित्त महानिदेशक या किसी प्राधिकृत व्यक्ति की अभिरक्षा या शक्ति में रखा गया है ; और

(ख) महानिदेशक को अन्वेषण के संबंध में सभी सहायता देना ।"।

(4) महानिदेशक, उपधारा (3) में निर्दिष्ट पक्षकार से भिन्न किसी व्यक्ति से या इस निमित्त प्राधिकृत किसी व्यक्ति से अपने समक्ष ऐसी जानकारी देने के लिए या ऐसी पुस्तकों, कागज-पत्र, अन्य दस्तावेज या अभिलेख प्रस्तुत करने के लिए अपेक्षा कर सकेगा, यदि ऐसी जानकारी या ऐसी पुस्तक, कागजपत्र, अन्य दस्तावेज या अभिलेख का प्रस्तुत किया जाना इसके अन्वेषण के प्रयोजनों के लिए सुसंगत और आवश्यक है ।

(5) महानिदेशक, 180 दिनों के लिए उपधारा (3) या उपधारा (4) के अधीन प्रस्तुत किए गए कोई जानकारी, या पुस्तक, कागजपत्र, अन्य दस्तावेज या अभिलेख अपनी अभिरक्षा में रख सकेगा और उसके पश्चात् उस व्यक्ति को जिसके निमित्त जानकारी या ऐसी पुस्तक, कागजपत्र, अन्य दस्तावेज या अभिलेख प्रस्तुत किए गए थे, वापस कर देगा :

परंतु ऐसी जानकारी या ऐसी पुस्तक, कागजपत्र, अन्य दस्तावेज या अभिलेख महानिदेशक द्वारा मंगाया जा सकेगा, यदि वह लिखित में आदेश द्वारा 180 दिनों की अतिरिक्त अवधि के लिए पुन: आवश्यक समझते हैं:

परंतु यह और कि महानिदेशक के समक्ष प्रस्तुत की गई जानकारी या ऐसी पुस्तक, कागजपत्र, अन्य दस्तावेज या अभिलेख की प्रमाणित प्रति, जो लागू हो, पक्षकार या व्यक्ति द्वारा उपलब्ध कराई जा सकेगी जिसके निमित्त सूचना, पुस्तक, कागजपत्र, अन्य दस्तावेज या अभिलेख स्वयं अपने खर्च पर प्रस्तुत किए गए हैं ।

(6) महानिदेशक शपथ पर परीक्षा कर सकेगा—

(क) अन्वेषण कर रहे पक्षकार के कोई अधिकारी या अन्य कर्मचारी और अभिकर्ता; और

(ख) आयोग से पूर्व अनुमोदन के साथ कोई अन्य व्यक्ति;

पक्षकार के कार्यों के संबंध में जो अन्वेषण कर रहे हैं और उनके लिए तथा तदनुसार शपथ पर प्रशासन कर सकेंगे कि व्यक्तिगत रूप से उसके

समक्ष उपस्थित होने के लिए उन व्यक्तियों की कोई अपेक्षा हो सकेगी ।

(7) उपधारा (6) के अधीन कोई परीक्षा लिखित में ली जाएगी और परीक्षा किए गए व्यक्ति द्वारा उसे पढ़ा जाएगा और उसके द्वारा हस्ताक्षर किया जाएगा तथा उसके पश्चात् उसके विरुद्ध साक्ष्य में प्रयुक्त किया जा सकेगा ।

(8) जहां अन्वेषण के दौरान, महानिदेशक के पास विश्वास करने का युक्तियुक्त आधार है कि सूचना, पुस्तक, कागजपत्र, अन्य दस्तावेज या अभिलेख, या इससे संबंधित कोई पक्षकार या व्यक्ति नष्ट,विकृत, परिवर्तित, मिथ्याकरण या गुप्त रख सकेगा, महानिदेशक ऐसी सूचना, पुस्तक, कागजपत्र अन्य दस्तावेज या अभिलेख के अभिग्रहण के किसी आदेश के लिए मुख्य मैट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट, दिल्ली को आवेदन कर सकेगा ।

(9) महानिदेशक, उपधारा (10) में विनिर्दिष्ट सभी या किन्हीं प्रयोजनों के लिए उसको सहायता देने के लिए, केंद्रीय सरकार के किसी पुलिस अधिकारी या किसी अधिकारी की सेवाओं के लिए अध्यपेक्षा कर सकेगा और प्रत्येक ऐसे अधिकारी का यह कर्तव्य होगा कि वह ऐसे अध्यपेक्षाओं का पालन करें ।

(10) मुख्य मैट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट, दिल्ली, आवेदन पर विचार करने और महानिदेशक को सुनने के पश्चात्, आदेश द्वारा महानिदेशक को प्राधिकृत कर सकेगा—

(क) ऐसी सहायता के साथ जो अपेक्षित है ऐसे स्थान या स्थानों पर जहां ऐसी सूचना, पुस्तक, कागजपत्र, अन्य दस्तावेज या अभिलेख रखे गए हैं, प्रवेश करने के लिए;

(ख) ऐसे आदेश में विनिर्दिष्ट रीति में स्थान और स्थानों की तलाशी करने के लिए; और

(ग) अन्वेषण के प्रयोजन के लिए यदि आवश्यक समझता है, सूचना, पुस्तक, कागजपत्र, अन्य दस्तावेज या अभिलेख को अभिग्रहण करने के लिए :

परंतु अभिग्रहण की गई, यथास्थिति, सूचना, पुस्तक, कागजपत्र, अन्य दस्तावेज या अभिलेख की प्रमाणित प्रति पक्षकार या व्यक्ति को उपलब्ध कराई जा सकेगी जो स्थान या स्थानों पर ऐसे दस्तावेज को इसके खर्च पर अभिग्रहण किया गया है ।

(11) महानिदेशक, इस धारा के अधीन अभिग्रहण की गई ऐसी सूचना, पुस्तक, कागजपत्र, अन्य दस्तावेज या अभिलेख ऐसी अवधि के लिए जो अन्वेषण की समाप्ति से अधिक की नहीं होगी जो वह आवश्यक समझे और उसके पश्चात् उस पक्षकार या व्यक्ति को वापस कर दी जाएगी जिसकी अभिरक्षा या शक्ति से अभिगृहीत किए गए थे और ऐसी वापिसी की जानकारी मुख्य मैट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट को दी जाएगी :

परंतु महानिदेशक ऐसी जानकारी या ऐसी पुस्तक, कागजपत्र, अन्य दस्तावेज या अभिलेख को वापस करने से पूर्व उसकी प्रतियां रखेगा या

उसका उद्धहरण या उसका स्थान पहचान चिन्ह या उसका कोई भाग की प्रति रखेगा ।

(12) इस धारा में अन्यथा उपबंधित के सिवाय, इस धारा के अधीन की गई प्रत्येक तलाशी और अभिग्रहण उस संहिता के अधीन किए गए तलाशी या अभिग्रहण से संबंधित, दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 के उपबंधों के अनुसरण में कार्यान्वित किया जाएगा 1974 का 2

(ख) स्पष्टीकरण के स्थान पर निम्नलिखित स्पष्टीकरण रखा जाएगा, अर्थात् :—

'**स्पष्टीकरण**—इस धारा के प्रयोजनों के लिए,—

(क) किसी व्यक्ति के संबंध में "अभिकर्ता" से ऐसे व्यक्ति के लिए या ऐसे व्यक्ति के निमित्त कोई व्यक्ति कार्य कर रहा है या कार्य करने के लिए तात्पर्यित है, और ऐसे व्यक्ति द्वारा लेखा परीक्षक के रूप में बैंककार और विधिक सलाहकार और नियोजित व्यक्ति अभिप्रेत है;

(ख) किसी कंपनी या निगम निकाय के संबंध में "अधिकारी" से निगम निकाय या ऐसी कंपनी के डिबैंचर धारकों के लिए कोई न्यासी अभिप्रेत है;

(ग) अधिकारियों या अन्य कर्मचारियों या अभिकर्ताओं के प्रति कोई निर्देश यथास्थिति, पूर्व या वर्तमान अधिकारी और अन्य कर्मचारी या अभिकर्ता के निर्देश के रूप में अर्थ लगाया जाएगा ।'।

धारा 42 का संशोधन ।

27. मूल अधिनियम की धारा 42 में, —

(क) उपधारा (2) में शब्द, अंक और अक्षर "अधिनियम की धारा 27, धारा 28, धारा 31, धारा 32, धारा 33, धारा 42(क) और धारा 45(क), वह जुर्माने से दंडित होगा" के स्थान पर "अधिनियम की धारा 6, धारा 27, धारा 28, धारा 31, धारा 32, धारा 33, धारा 42(क), धारा 43क, धारा 44 और धारा 45, वह शास्ति के लिए दायी होगा" शब्द, अंक और अक्षर रखे जाएंगे ;

(ख) उपधारा (3) में, "उपधारा (2) के अधीन अधिरोपित जुर्माने का संदाय" शब्दों, कोष्ठक और अंक के स्थान पर, "उपधारा (2) के अधीन अधिरोपित शास्ति का संदाय" शब्द, कोष्ठ और अंक रखे जाएंगे ;

धारा 42क का संशोधन

28. मूल अधिनियम की धारा 42क में, शब्द और अंक "धारा 27 के अधीन" के स्थान पर "धारा 6 और 27 के अधीन" शब्द और अंक रखे जाएंगे ।

धारा 43 का संशोधन ।

29. मूल अधिनियम की धारा 43 में, शब्द "जुर्माने से दंडित होगा" के स्थान पर "शास्ति के लिए दायी होगा" शब्द रखे जाएंगे ।

धारा 43क के स्थान पर नई धारा का प्रतिस्थापन ।

30. मूल अधिनियम की धारा 43क के स्थान पर निम्नलिखित धारा रखी जाएगी, अर्थात् :—

"43क. यदि कोई व्यक्ति या उद्यम धारा 6 की उपधारा (2) या उपधारा (4) के अधीन आयोग को सूचना देने में असफल रहता है या धारा 6 की उपधारा (2) का उल्लंघन करता है या धारा 20 की उपधारा (1) के अधीन किसी जांच के अनुसरण में जानकारी प्रस्तुत करता है, आयोग ऐसे व्यक्ति या उद्यम पर शास्ति अधिरोपित कर सकेगा जो कुल व्यापारावर्त या आस्तियों का एक प्रतिशत तक विस्तारित हो सकेगा या धारा 5 के खंड (घ) में निर्दिष्ट संव्यवहार के मूल्य के अनुसार हो सकेगा, ऐसे समुच्चय में जो भी अधिक हो : समुच्चय के जानकारी को अकृत्य करने के लिए शास्ति अधिरोपित करने की शक्ति ।

परंतु किसी व्यक्ति या उद्यम के मामले में धारा 6 की उपधारा (4) के अधीन कोई सूचना दी गई है और ऐसी सूचना धारा 6 की उपधारा (6) के अधीन प्रारंभत: शून्य पाई गई है, समुच्चय के अर्जनकर्ता या पक्षकारों द्वारा दी जा सके, जो भी लागू हो उस धारा की उपधारा (6) के अधीन आयोग के आदेश के तीस दिन की अवधि के भीतर और ऐसी तीस दिनों की अवधि की समाप्ति तक आयोग द्वारा कोई कार्यवाही नहीं की जाएगी ।

31. मूल अधिनियम की धारा 44 में, खंड (ख) में शब्द "एक करोड़ रूपये" के स्थान पर "पांच करोड़ रूपये" शब्द रखे जाएंगे । धारा 44 का संशोधन ।

32. मूल अधिनियम की धारा 45 में,— धारा 45 का संशोधन ।

(क) पार्श्वशीर्ष में, शब्द "अपराध" के स्थान पर "उल्लंघन" शब्द रखा जाएगा ;

(ख) उपधारा (1) में,—

(i) "धारा 44" शब्द और अंक के स्थान पर "धारा 6 की उपधारा (6) और धारा 44" शब्द, अंक और कोष्ठक रखे जाएंगे ;

(ii) शब्द "जुर्माने से दंडनीय" के स्थान पर "शास्ति के लिए दायी" शब्द रखे जाएंगे ।

33. मूल अधिनियम की धारा 46 के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात् :— धारा 46 के स्थान पर नई धारा का प्रतिस्थापन ।

"46. (1) आयोग, यदि उसका यह समाधान हो जाता है कि किसी व्यापार संघ में सम्मिलित किसी उत्पादक, विक्रेता, वितरक, व्यापारी, क्रेता या सेवा प्रदाता ने, जिसके बारे में यह अभिकथन किया गया है कि उसने धारा 3 का अतिक्रमण किया है, अभिकथित अतिक्रमणकी बाबत पूर्ण सत्य प्रकटन किया है, और ऐसा प्रकटन महत्पूर्ण है, ऐसे उत्पादक, विक्रेता, वितरक, व्यापारी, क्रेता या सेवा प्रदाता पर इस अधिनियम के अधीन उस समय या इस अधिनियम के अधीन बनाए गए नियमों या विनियमों के अधीन अद्ग्रणीय शास्ति से लघु ऐसी शास्ति अधिरोपित कर सकेगा, जो विनियमों द्वारा विनिर्दिष्ट किया जाए : लघु शास्ति अधिरोपित करने की शक्ति ।

परंतु आयोग द्वारा ऐसे मामलों में लघु शास्ति अधिरोपित नहीं की जाएगी जिनमें ऐसा प्रकटन करने से पूर्व धारा 26 के अधीन निदेशित अन्वेषण की रिपोर्ट प्राप्त हो चुकी है:

परंतु यह और कि आयोग द्वारा व्यापार संघ में सम्मिलित ऐसे किसी उत्पादक, विक्रेता, वितरक व्यापारी, क्रेता या सेवा प्रदाता की बाबत जिसने इस धारा के अधीन पूर्ण, सत्य और महत्वपूर्ण प्रकटन किया है लघु शास्ति

अधिरोपित की जाएगी :

परंतु यह भी कि आयोग द्वारा लघु शास्ति अधिरोपित नहीं की जाएगी यदि प्रकटन करने वाला व्यक्ति आयोग के समक्ष कार्यवाहियों के पूरा होने तक आयोग का सहयोग करना जारी नहीं रखता है :

परंतु यह भी कि आयोग, यदि उसका यह समाधान हो जाता है कि व्यापार संघ में सम्मिलित ऐसे उत्पादक, विक्रेता, वितरक, व्यापारी, क्रेता या सेवा प्रदाता ने,—

(क) कार्यवाहियों के दौरान उस शर्त का पालन नहीं किया था, जिस पर आयोग द्वारा लघु शास्ति, अधिरोपित की गई थी; या

(ख) उसने मिथ्या साक्ष्य दिया था ; या

(ग) किया गया प्रकटन महत्वपूर्ण नहीं है,

और तदुपरांत ऐसे उत्पादक, विक्रेता, वितरक, व्यापारी, क्रेता या सेवा प्रदाता का ऐसे उल्लंघन के लिए विचारण किया जा सकेगा, जिसकी बाबत लघु शास्ति अधिरोपित की गई थी और वह ऐसी शास्ति अधिरोपित किए जाने का भी दायी होगा जिसके लिये यदि लघु शास्ति अधिरोपित नहीं की गई होती, तो वह दायी होता ।

(2) आयोग किसी उत्पादक, विक्रेता, वितरक, व्यापारी, क्रेता या सेवा प्रदाता जिसमें व्यापार संघ भी सम्मिलित है इस धारा के अधीन लघु शास्ति के लिए ऐसी रीति और ऐसे समय के भीतर, जो विनियमों द्वारा विनिर्दिष्ट किया जाए, आवेदन वापस कर सकेगा ।

(3) उपधारा (2) में किसी बात के होते हुए भी, महानिदेशक और आयोग इस अधिनियम के प्रयोजन के लिए उसकी स्वीकृति के सिवाय, लघु शास्ति के लिए उसके आवेदन में किसी उत्पादक, विक्रेता, वितरक, व्यापारी, क्रेता या सेवा प्रदाता द्वारा प्रस्तुत किसी साक्ष्य को इस अधिनियम के प्रयोजनार्थ उपयोग करने के लिए हकदार होगा ।

(4) अन्वेषण के दौरान जहां कोई ऐसे उत्पादक, विक्रता, वितरक, व्यापारी, क्रेता या सेवा प्रदाता ने जो उपधारा (1) के अधीन किसी व्यापार संघ को प्रकटित किया है अन्य व्यापार संघ की बाबत जिसके बारे में यह अभिकथन किया गया है कि उसने धारा 3 का अतिलंघन किया है जो धारा 26 की उपधारा (1) के अधीन प्रथम दृष्टया प्ररूप को आयोग असमर्थ बनाता है, तब नए प्रकटित व्यापार संघ के संबंध में उपधारा (1) के अधीन लघु शास्ति अभिप्राप्त करने वाले उत्पादक, विक्रेता, वितरक, व्यापारी, क्रेता या सेवा प्रदाता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, पहले ही अन्वेषण किए गए व्यापार संघ की बाबत आयोग ऐसे उत्पादक, विक्रेता, वितरक, व्यापारी, क्रेता या सेवा प्रदाता पर, जो विनियमों द्वारा विनिर्दिष्ट किया जाए, अधिरोपित कर सकेगा ।"।

धारा 47 का संशोधन ।

34. मूल अधिनियम की धारा 47 के स्थान पर "शास्तियों" शब्द के पश्चात् "आयोग द्वारा विधिक लागत की वसूली" शब्द रखे जाएंगे ।

धारा 48 के स्थान पर नई धाराओं का अंतःस्थापन ।

35. मूल अधिनियम की धारा 48 के स्थान पर निम्नलिखित धाराएं रखी जाएंगी, अर्थात् :—

कंपनियों द्वारा उल्लंघन ।

'48 (1) जहां इस अधिनियम या उसके द्वारा बनाए गए नियम, विनियम, आदेश या जारी किए गए निदेश के किसी उपबंध का उल्लंघन करने वाला व्यक्ति कंपनी है, वहां ऐसा प्रत्येक व्यक्ति, जो उल्लंघन किए जाने के समय कंपनी के कारबार संचालन के लिए कंपनी भारसाधक था और उसके प्रति उत्तरदायी था और साथ ही वह कंपनी इस अधिनियम का उल्लंघन किया गया समझा जाएगा और इस अधिनियम में अन्यथा उपबंधित के सिवाय आयोग ऐसे व्यक्ति पर ऐसी शास्ति, जो वह ठीक समझे पिछले तीन पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष के लिए आय की औसत का दस प्रतिशत से अधिक न हो, अधिरोपित कर सकेगा:

परंतु धारा 3 की उपधारा (3) में निर्दिष्ट किसी करार की दशा में किसी व्यापार संघ द्वारा की गई कार्रवाई इस अधिनियम में अन्यता उपबंधित के सिवाय आयोग उपधारा 1 में निर्दिष्ट व्यक्तियों पर ऐसी संविदा के जारी रहने के प्रत्येक वर्ष के लिए आय की दस प्रतिशत तक की शास्ति अधिरोपित कर सकेगा ।

(2) उपधारा (1) की कोई बात व्यक्ति के किसी शास्ति का दायी नहीं बनाएगी यदि वह यह साबित कर देता है कि उल्लंघन उसकी जानकारी के बिना हुआ था या उसने ऐसे उल्लंघन को रोकने के लिए सभी सम्यक सावधानी बरती थी ।

(3) उपधारा (1) में किसी बात के होते हुए भी, वहां इस अधिनियम या तद्वीन बनाए गए किसी नियम, विनियम, आदेश या जारी किए गए निदेश के किसी उपबंध का कोई उल्लंघन किसी कंपनी द्वारा किया गया है और यह साबित हो गया है कि ऐसा उल्लंघन कंपनी के किसी निदेशक, प्रबंधक, सचिव या किसी अन्य अधिकारी की सहमति से या मौनानुकूलता से हुआ है या उनकी ओर से जानबूझकर की गई किसी उपेक्षा के कारण हुआ माना जा सकता है वहां ऐसा निदेशक, प्रबंधक, सचिव या अन्य अधिकारी भी उस उल्लंघन का दोषी समझा जाएगा और इस अधिनियम में अन्यथा उपबंधित के सिवाय आयोग ऐसे व्यक्ति पर ऐसी शास्ति जो वह ठीक समझे पिछले तीन पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष के लिए आय की औसत का दस प्रतिशत से अधिक न हो अधिरोपित कर सकेगा:

परंतु धारा 3 की किसी उपधारा (3) में निर्दिष्ट किसी करार की दशा में व्यापार संघ द्वारा की गई कार्रवाई इस अधिनियम में अन्यथा उपबंध के सिवाय आयोग ऐसे व्यक्ति पर ऐसी संविदा के जारी रहने के प्रत्येक वर्ष के लिए जो वह ठीक समझे आय की दस प्रतिशत तक की शास्ति अधिरोपित कर सकेगा ।

स्पष्टीकरण—इस धारा के प्रयोजनों के लिए—

(क) "कंपनी" में कोई निगमित निकाय अभिप्रेत है और इसके अंतर्गत कोई फर्म या व्यष्टियों का अन्य संगम भी है ;

(ख) फर्म के संबंध में "निदेशक" से फर्म का भागीदार अभिप्रेत है;

(ग) व्यक्ति के संबंध में "आय" ऐसी रीति में अवधारित होगी जो विनियमों द्वारा विनिर्दिष्ट की जाए ।

परिनिर्धारण ।

48क. (1) कोई ऐसा उद्यम, जिसके विरुद्ध धारा 3 की उपधारा (4) या धारा 4 के उल्लंघन के लिए धारा 26 की उपधारा (1) के अधीन कोई जांच आरंभ की जानी है तो अभिकथित उल्लंघनों के लिए आरंभ की गई कार्यवाही का परिनिर्धारण करने के लिए आयोग को ऐसी रीति में जो विनियमों द्वारा विनिर्दिष्ट की जाए लिखित में आवेदन प्रस्तुत कर सकेगा ।

(2) उपधारा (1) के अधीन आवेदन धारा 26 की उपधारा (4) के अधीन महानिदेशक को रिपोर्ट प्राप्त होने के पश्चात् किसी भी समय किंतु धारा 27 या धारा 28 के अधीन कोई आदेश पारित करने के ऐसे समय से पहले जो विनियमों द्वारा विनिर्दिष्ट किया जाए कोई आवेदन प्रस्तुत कर सकेगा ।

(3) आयोग, उल्लंघनों की प्रकृति, गंभीरता और समाघात पर विचार करने के पश्चात् आवेदक द्वारा ऐसे रकम की संदाय पर, या परिनिर्धारण और मानीटरी के कार्यान्यवन के ऐसे अन्य निबंधन और रीति पर, जो विनियमों द्वारा विनिर्दिष्ट किए जाए, परिनिर्धारण के प्रस्ताव पर सहमत होगा ।

(4) परिनिर्धारण पर विचार करते समय आयोग, पक्षकार या पक्षकारों को, महानिदेशक को या किसी अन्य पक्षकार को, अपनी आक्षेप और सुझाव, यदि कोई हों, प्रस्तुत करने के लिए अवसर उपलब्ध करेगा ।

(5) यदि आयोग की यह राय है कि उपधारा (1) के अधीन परिनिर्धारण प्रस्थापना, परिस्थितियों में समुचित नहीं है या यदि आयोग और संबद्ध पक्षकार या पक्षकारों ऐसे समय के भीतर जो विनियमों द्वारा विनिर्दिष्ट किए जाएं परिनिर्धारण के निबंधनों पर करार नहीं किया जाता है, तो यह आदेश द्वारा धारा 26 के अधीन उसकी जांच सहित परिनिर्धारण आवेदन और कार्यवाहियां रद्द कर दी जाएगीं ।

(6) इस धारा के अधीन परिनिर्धारण की कार्यवाहियों के संचयन करने के लिए प्रक्रिया ऐसी होगी जो विनियमों द्वारा विहित की जाए ।

(7) इस धारा के अधीन आयोग द्वारा पारित किसी आदेश के विरुद्ध धारा 53ख के अधीन कोई अपील नहीं होगी ।

(8) सभी परिनिर्धारण रकम इस अधिनियम के अधीन विधिक लागत, वसूली को छोड़कर भारत की संचित निधि से जमा होगी ।

प्रतिबद्धता ।

48ख. (1) कोई ऐसा उद्यम जिसके विरुद्ध, यथास्थिति, धारा 3 की उपधारा (4) या धारा 4 के उल्लंघन के लिए धारा 26 की उपधारा (1) के अधीन कोई जांच आरंभ की जाती है तो आयोग ऐसी रीति में और ऐसी फीस की संदाय पर, जो विनियमों द्वरा विनिर्दिष्ट किया जाए धारा 26 की उपधारा (1) के अधीन आयोग आदेश में वर्णित अभिकथित उल्लंघनों की बाबत टीका-टिप्पणियों का प्रस्ताव करते हुए लिखित में आवेदन प्रस्तुत करेगा ।

(2) उपधारा (1) के अधीन टीका-टिप्पणियों के लिए कोई प्रस्ताव धारा 26 की उपधारा (1) के अधीन आयोग द्वारा पारित किए गए आदेश के पश्चात् किसी भी समय किंतु धारा 26 की उपधारा (4) के अधीन महानिदेशक की रिपोर्ट को पक्षकार द्वारा प्राप्त किए जाने से पहले किसी भी समय के भीतर जो विनियमों द्वारा विनिर्दिष्ट किए जाएं, प्रस्तुत कर सकेगा ।

(3) आयोग, प्रस्तावित टीका-टिप्पणियों की प्रकृति, गंभीरता तथाकथित उल्लंघनों और प्रभाविता के समाघात पर विचार करने के पश्चात् ऐसे निबंधनों

तथा कार्यान्वयन और मानीटरी की रीति पर, जो विनियमों द्वारा विनिर्दिष्ट किए जाएं, प्रस्थापित टीका-टिप्पणियों को स्वीकार करेगा ।

(4) परिनिर्धारण पर विचार करते समय आयोग, संबद्ध पक्षकार या पक्षकारों को, महानिदेशक को या किसी अन्य पक्षकार को, अपनी आक्षेप और सुझाव, यदि कोई हों, प्रस्तुत करने के लिए अवसर उपलब्ध करेगा ।

(5) यदि आयोग की यह राय है कि उपधारा (1) के अधीन प्रस्तावित टीका-टिप्पणियां, परिस्थितियों में समुचित नहीं है या यदि आयोग और संबद्ध पक्षकार या पक्षकारों, ऐसे समय के भीतर जो विनियमों द्वारा विनिर्दिष्ट किए जाएं टीका-टिप्पणियों के निबंधनों पर करार नहीं किया जाता है, तो इस आदेश द्वारा धारा 26 के अधीन उसकी जांच सहित टीका-टिप्पण के आवेदन और कार्यवाहियां रद्द कर दी जाएगीं ।

(6) इस धारा के अधीन प्रस्तावित टीका-टिप्पणियों के लिए प्रक्रिया ऐसी होगी जो विनियमों द्वारा विहित की जाए ।

(7) इस धारा के अधीन आयोग द्वारा पारित किसी आदेश के विरुद्ध धारा 53ख के अधीन कोई अपील नहीं होगी ।

परिनिर्धारण या सुपुर्दगी आदेश और शास्ति का प्रतिसंहरण ।

48ग. यदि आवेदक धारा 48क या धारा 48ख के अधीन पारित आदेश का पालन करने में असमर्थ है या यदि आयोग की जानकारी में है कि आवेदक पूरा और सच्चा प्रकटीकरण नहीं किया है या जहां तथ्यों में सारवान परिवर्तन किया है, यथास्थिति, धारा 48क या धारा 48ख के अधीन पारित आदेश को प्रतिसंहृत करेगा और वापस लेगा और ऐसा उद्यम आयोग द्वारा उपगत समुचित विधिक लागत को, जो एक करोड़ रूपए तक हो सकेगा संदाय करने के लिए हकदार होगा और धारा 48क और धारा 48ख के अधीन ऐसे आदेश की बाबत जिसे आयोग पारित किया था, जांच का प्रत्यावर्तन या प्रारंभ कर सकेगा ।'

धारा 49 का संशोधन ।

36. मूल अधिनियम की धारा 49 की उपधारा (3) में "प्रतिस्पर्धा समर्थन" शब्दों के पश्चात् "या संस्कृति" शब्द अंतःस्थापित किया जाएगा ।

धारा 51 का संशोधन ।

37. मूल अधिनियम की धारा 51 के उपधारा (1) में खंड (घ) के पश्चात् निम्नलिखित खंड अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

"(ङ) आयोग द्वारा ऐसे अन्य स्त्रोतों में प्राप्त ऐसी सभी राशियां जो सरकार द्वारा विनिश्चित की जाएं ।"।

धारा 53क का संशोधन ।

38. मूल अधिनियम की धारा 53क में उपधारा (1) के खंड (क) में "धारा 26 की उपधारा (2) और उपधारा (6)" शब्दों, कोष्ठकों और अंकों के स्थान पर "धारा 6 की उपधारा (6), धारा 26 की उपधारा (2) (2क), (6) और (9)" शब्द, कोष्ठक, अंक और अक्षर रखे जाएंगे ।

धारा 53ख का संशोधन ।

39. धारा 53ख के उपधारा (2) में, परंतुक के पश्चात् निम्नलिखित परंतुक अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

"परंतु यह और कि किसी व्यक्ति द्वारा कोई अपील, जिसे आयोग के आदेश के अनुसार किसी रकम का संदाय करना अपेक्षित है, अपील अधिकरण द्वारा तब तक विचार नहीं किया जाएगा जब तक कि अपीलार्थी ने उस रकम की ऐसी रीति में, जो अपील अधिकरण द्वारा निदेशित किया जाए, पच्चीस प्रतिशत जमा नहीं कर देता है ।"।

धारा 53ढ का संशोधन ।

40. मूल अधिनियम की धारा 53ढ में,—

(क) उपधारा (1) में, "धारा 53थ की उपधारा (1) के अधीन" शब्दों, कोष्ठकों, अंकों और अक्षर के स्थान पर, "धारा 53थ की उपधारा (2) के अधीन या धारा 53न के अधीन अपील अधिकरण के निष्कर्षों के विरुद्ध कोई अपील उच्चतम न्यायालय के आदेशों" शब्द, कोष्ठक, अंक और अक्षर रखे जाएंगे:

(ख) उपधारा (2) में "आयोग के निष्कर्ष" शब्दों के पश्चात् "या अपील अधिकरण या उच्चतम न्यायालय" शब्द अंतःस्थापित किए जाएंगे;

(ग) स्पष्टीकरण में,—

(i) खंड (क) में, "पश्चात् ही" शब्दों के पश्चात् "या धारा 53 न के अधीन उच्चतम न्यायालय पर अपील" शब्द अंतःस्थापित किए जाएंगे;

(ii) खंड (ख) में, "या अपील अधिकरण" शब्दों के पश्चात् "या उच्चतम न्यायालय" शब्द अंतःस्थापित किए जाएंगे ।

धारा 53थ का संशोधन ।

41. मूल अधिनियम की धारा 53थ में उपधारा (1) के स्थान पर, निम्नलिखित उपधारा रखी जाएगी, अर्थात्:—

"(1) इस अधिनियम के उपबंधों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, यदि कोई व्यक्ति बिना किसी युक्तियुक्त आधार के, अपील अधिकरण के किसी आदेश का उल्लंघन करता है तो, वह धारा 53प के अधीन अवमानना कार्यवाही का दायी होगा ।"।

नई धारा 59क का अंतःस्थापन ।

42. मूल अधिनियम की धारा 59 के पश्चात् निम्नलिखित धारा अंतःस्थापित की जाएगी, अर्थात् :—

कतिपय अपराधों का प्रशमन ।

"59क. दंड प्रक्रिया संहिता 1973 में किसी बात के होते हुए भी इस अधिनियम के अधीन दंडनीय कोई अपराध केवल कारावास से या कारावास से और साथ ही जुर्माने से दंडनीय कोई अपराध न करने वाला या तो किसी कार्यवाही के संस्थान से पहले या उसके पश्चात् ऐसी कार्यवाही जो अपील अधिकरण या न्यायालय के समक्ष लंबित है, द्वारा प्रशमन किया जाएगा ।"। 1974 का 2

धारा 63 का संशोधन ।

43. मूल अधिनियम की धारा 63 की उपधारा (2) में,—

(i) खंड (क) को उसके खंड (कङ) के रूप में पुनः अक्षरांकित किया जाएगा और इस प्रकार पुनः अक्षरांकित खंड (कङ) से पहले निम्नलिखित अंतःस्थापित किए जाएंगे, अर्थात् :—

"(क) धारा 5 के परंतुक के अधीन खंड (क), खंड (ख) और खंड (ग) में उल्लिखित से भिन्न मानदंड की पूर्ति ;

(कख) धारा 5 के खंड (ङ) के अधीन भारत में अर्जित, नियंत्रित, विलीन या समामेलित उद्यम की आस्तियों और आवर्तन का मूल्य ;

(कग) धारा 5 के स्पष्टीकरण के खंड (ख) के उपखंड (i) के अधीन छब्बीस प्रतिशत से अधिक मतदान अधिकारों का प्रतिशत ;

(कघ) धारा 6 की उपधारा (4) के अधीन संयोजन के मानदंड ;";

(ii) खंड (ङच) के पश्चात्, निम्नलिखित खंड अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

'(ङछ) धारा 64ख की उपधारा (5) के अधीन, मार्गदर्शन को प्रकाशित करने के लिए प्ररूप ;';

धारा 64 का संशोधन ।

44. मूल अधिनियम की धारा 64 की उपधारा (2) में,—

(i) खंड (ग) के स्थान पर,निम्नलिखित खंड अंतःस्थापित किए जाएंगे, अर्थात् :—

"(ग) धारा 5 के खंड (घ) के अधीन भारत में सारवान कारबार संक्रियाओं के अवधारण की रीति ;

(गक) धारा 6 की उपधारा (4) के अधीन संयोजन के लिए सूचना हेतु प्ररूप और फीस ;

(गख) धारा 6क के खंड (क) के अधीन अर्जन की सूचना फाइल करने का समय और रीति ;

(गग) ऐसी रीति और परिस्थितियों में अर्जनकर्ता स्वामित्व या हिताधिकारी अधिकार अथवा शेयरों या संपरिवर्तनीय प्रतिभूतियां, जिसमें मतदान अधिकार और लाभांशों की प्राप्ति या कोई अन्य वितरण, जो धारा 6क के खंड (ख) के अधीन अपवाद के रूप में शामिल है, हित का प्रयोग करेगा ।"।

(ii) खंड (च) के पश्चात्, निम्नलिखित खंड अंतःस्थापित किए जाएंगे, अर्थात् :—

"(चक) ऐसे अन्य ब्यौरे जो धारा 26 की उपधारा (9) के अधीन 'कारण बताओं' नोटिस में विनिर्दिष्ट किए जाएं;

(चख) धारा 27 के खंड (ख) के स्पष्टीकरण के अधीन आवर्तन या आय अवधारित करने की रीति ;

(चग) वह रीति, जिसमें उपांतरण धारा 29क की उपधारा (2) के अधीन आयोग से संयोजन के लिए पक्षकारों द्वारा प्रस्ताव किए जाए;";

(iii) खंड (छ) के पश्चात् निम्नलिखित खंड अंतःस्थापित किए जाएंगे, अर्थात् :—

"(छक) धारा 46 की उपधारा (1) के अधीन उत्पादक, विक्रेता, वितरक, व्यापारी या सेवा प्रदाता पर लघु शास्ति अधिरोपित किया जाए;

(छख) धारा 46 की उपधारा (2) के अधीन लघु शास्ति के लिए आवेदन वापस लेने की रीति और समय;

(छग) धारा 46 की उपधारा (4) के अधीन उत्पादक, विक्रेता, वितरक, व्यापारी या सेवा प्रदाता पर लघु शास्ति अधिरोपित किया जाए ;

(छघ) धारा 48 के स्पष्टीकरण के खंड (ग) के अधीन आय अवधारित करने की रीति ;

(छङ) धारा 48क की उपधारा (1) के अधीन आवेदन का प्ररूप और फीस, उपधारा (2) के अधीन समय तथा उपधारा (3) के अधीन कार्यान्वयन और मानीटरी के निबंधन और रीति और उपधारा (6) के अधीन परिनिर्धारण कार्यवाहियां संचालन करने के लिए प्रक्रिया;

(छच) धारा 48ख की उपधारा (1) के अधीन आवेदन का प्ररूप और फीस, उपधारा (2) के अधीन समय तथा उपधारा (3) के अधीन कार्यान्वयन और मानीटरी के निबंधन और रीति और उपधारा (6) के अधीन प्रस्थापित प्रतिबद्धताओं के लिए प्रक्रिया ;

(छछ) धारा 64क के खंड (क) के अधीन जनता से टीका-टिप्पणियां आमंत्रित करने के लिए प्रारूप विनियमों और अवधि के साथ-साथ प्रकाशित किए जाने वाले अन्य ब्यौरे ;"।

नई धारा 64क और 4ख का अंतःस्थापन ।

45. मूल अधिनियम की धारा 64 के पश्चात् निम्नलिखित धाराएं अंतःस्थापित की जाएंगी, अर्थात् :—

विनियम जारी करने की प्रक्रिया ।

"64क. आयोग धारा 64 के अधीन विनियम बनाते समय निम्नलिखित पारदर्शिता सुनिश्चित करेगा—

(क) ऐसे अन्य ब्यौरे जो विनियम जारी करने से पूर्व विनिर्दिष्ट अवधि के लिए उसकी वेबसाइट और जनता की टीका-टिप्पणियां आंमत्रित करने के लिए विनिर्दिष्ट किए जाएं, प्ररूप विनियमों के प्रकाशन;

(ख) जनता की टीका-टिप्पणियों पर अपने उत्तर के साधारण वर्णन का प्रकाशन जो विनियमों की अधिसूचना की तारीख के अपश्चात्हो;

(ग) ऐसे विनियम का आवधिक रूप में पुनर्विलोकन:

परंतु यह कि यदि आयोग की यह राय है कि कतिपय विनियम बनाए जाने अपेक्षित हैं या विद्यमान विनियमों लोक हित में अत्यावश्यक रूप से संशोधन किया जाना अपेक्षित है या विनियम की विषय वस्तु एक मात्र रूप से आयोग को आंतरिक कार्यकरण से संबंदित है तो वह ऐसा करने के लिए कारण लेखबद्ध करते हुए इस धारा में कथित उपबंधों का पालन किए बिना, यथास्थिति, विनियम बना सकेगा या विद्यमान विनियमों का संशोधन कर सकेगा ।

आयोग का मार्गदर्शन जारी करना ।

64ख. (1) आयोग इस अधिनियम या तद्धीन बनाए गए नियमों और विनियमों के उपबंधों पर या तो व्यक्ति द्वारा या अपने स्वप्रेरणा से मार्गदर्शन प्रकाशित कर सकेगा ।

(2) उपधारा (1) के अधीन जारी मार्गदर्शन आयोग द्वारा उसके सदस्यों और अधिकारियों पर तथ्य या विधि के किसी प्रश्न के अवधारण के रूप में अर्थ नहीं लगाया जाएगा और न ही उसके सदस्य या अधिकारी आयोग पर बाध्यकारी होंगे ।

(3) उपधारा (1) में किसी बात पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना आयोग इस अधिनियम के उपबंध के किसी उल्लंघन के लिए किसी शास्ति की समुचित रकम के बारे में मार्गदर्शन प्रकाशित करेगा ।

(4) इस अधिनियम के उपबंध के किसी उल्लंघन के लिए धारा 27 के खंड (ख) या धारा 43क या धारा 48 के अधीन शास्ति अधिरोपित करते समय आयोग उपधारा (3) के अधीन मार्गदर्शन पर विचार करेगा और ऐसे मार्गदर्शन से किसी अपयोजन की दशा में उपबंध करेगा ।

(5) उपधारा (1) और उपधारा (2) के अधीन मार्गदर्शन ऐसे प्ररूप में प्रकाशित किया जाएगा जो विहित किया जाए ।"।

उद्देश्यों और कारणों का कथन

प्रतिस्पर्धा अधिनियम, 2002 (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) को वर्ष, 2002 में प्रतिस्पर्धा पर प्रतिकूल प्रभाव रखने वाले व्यवहारों का निवारण करने के लिए, बाजारों में प्रतिस्पर्धा का संवर्धन करने और बनाए रखने, उपभोक्ताओं के हितों की संरक्षा करने के लिए और भारत में अन्य प्रतिभागियों द्वारा किए जा रहे व्यापार में स्वतंत्रता को सुनिश्चित करने के लिए और उससे उपाबद्ध या आनुषंगिक विषयों का उपबंध करने के लिए एक आयोग की स्थापना करने के लिए अधिनियमित किया गया था ।

2. भारतीय बाजारों में महत्वपूर्ण वृद्धि हुई है और पिछले दशक में जिस प्रकार कारबारों का प्रचालन किया जाता है उसमें आमूल-चूल परिवर्तन हुआ है । आर्थिक विकास, विभिन्न कारबार माडलों की उत्पत्ति और आयोग के कार्यकरण में प्राप्त किए गए अनुभव को ध्यान में रखते हुए भारत सरकार ने उक्त अधिनियम की जांच करने और उसमें उपांतरणों का सुझाव देने के लिए एक प्रतिस्पर्धा विधि पुनर्विलोकन समिति का गठन किया । समिति द्वारा प्रस्तावित सिफारिशों का पुनर्विलोकन करने, लोक परामर्श करने के पश्चात् विनियामक निश्चितता और विश्वास आधारित कारबार वातावरण का उपबंध करने की दृष्टि से उक्त अधिनियम का संशोधन करना आवश्यक समझा गया ।

3. प्रतिस्पर्धा (संशोधन) विधेयक, 2022 अन्य बातों के साथ निम्नलिखित का उपबंध करने के लिए है, अर्थात :—

(क) स्पष्टता का उपबंध करने के लिए "उद्यम", "सुसंगत उत्पाद बाजार". "समूह", "नियंत्रण" जैसी कतिपय परिभाषाओं में परिवर्तन करने के लिए ;

(ख) प्रतिस्पर्धा विरोधी करारों के कार्यक्षेत्र का विस्तार और ऐसे करारों के अधीन प्रतिस्पर्धा विरोधी क्षैतिज करार को सुकर बनाने वाले पक्षकार को सम्मिलित करने के लिए ;

(ग) संयोजन के अनुमोदन के लिए दो सौ दस दिन की समय-सीमा को कम करके एक सौ पचास दिन करने, संयोजनों के त्वरित अनुमोदन के लिए आयोग द्वारा बीस दिन के भीतर प्रथम दृष्टया मत का उपबंध करने के लिए ;

(घ) आयोग द्वारा संयोजनों को अधिसूचित करने के लिए अन्य मानदंड के रूप में "संव्यवहार का मूल्य" का उपबंध करने के लिए ;

(ङ) प्रतिस्पर्धा विरोधी करारों और प्रभावशाली स्थिति के दुरूपयोग की आयोग के समक्ष सूचना फाइल करने के लिए तीन वर्ष का कालावधि की परिसीमा करने के लिए ;

(च) केन्द्रीय सरकार के पूर्वानुमोदन से आयोग के महानिदेशक की नियुक्ति करने के लिए ;

(छ) मुकद्दमेबाजी कम करने के लिए समझौता और प्रतिबद्धता ढांचे को आरंभ करने के लिए ;

(ज) अन्य उत्पादक संघों के संबंध में सूचना का प्रकटन करने के लिए कमतर शास्ति के निबंधनों में किसी चालू उत्पादक संघों जांच में पक्षकारों को प्रोत्साहित करने के लिए ;

(झ) ऐसे उपबंध का प्रतिस्थापन, जो अवमानना के उपबंध के साथ राष्ट्रीय कंपनी विधि अपील अधिकरण के किसी आदेश के उल्लंघन की दशा में एक करोड़ रूपए या तीन वर्ष का कारावास या दोनों का उपबंध करता है ;

(ञ) मार्गदर्शक सिद्धांत जारी करना जिसके अंतर्गत आयोग द्वारा शास्तियां अधिरोपित करना सम्मिलित हैं ।

4. विधेयक पूर्वोक्त उद्देश्यों की पूर्ति के लिए है ।

नई दिल्ली ;
28 जुलाई, 2022

निर्मला सीतारामन

खंडों पर टिप्पण

विधेयक का खंड 1 अधिनियम के संक्षिप्त नाम और प्रारंभ का उपबंध करने के लिए है ।

विधेयक का खंड 2 संपूर्ण विधेयक में कंपनी अधिनियम, 1956 के प्रतिनिर्देश को कंपनी अधिनियम, 2013 के प्रतिनिर्देश से प्रतिस्थापित करने के लिए है ।

विधेयक का खंड 3 'उद्यम', 'सुसंगत उत्पाद बाजार' आदि जैसी अधिनियम की कतिपय परिभाषाओं को संशोधित करने के लिए है ।

विधेयक का खंड 4 अधिनियम की धारा 3 का संशोधन करने के लिए है जिससे प्रतिस्पर्धा रोधी करारों की परिधि का विस्तार किया जा सके और ऐसे करारों के अधीन किसी प्रतिस्पर्धा रोधी क्षैतिज करार को सुकर बनाने वाले पक्षकार को भी शामिल किया जा सके ।

विधेयक का खंड 5 अधिनियम की धारा 4 का संशोधन करने के लिए है, जिससे उक्त धारा की उपधारा (2) के खंड (क) के स्पष्टीकरण में "विभेदकारी" शब्द का लोप किया जा सके ।

विधेयक का खंड 6 धारा 5 का संशोधन करने के लिए है, जिससे नए खंड (घ) और खंड (ङ) को अंत:स्थापित किया जा सके ताकि यह उपबंध किया जा सके कि यदि किसी नियंत्रण, शेयरों, मतदान अधिकारों के अर्जन के संबंध में किसी संव्यवहार का मूल्य दो हजार करोड़ रूपए से अधिक होता है तो उससे आयोग के समक्ष समुच्चय की सूचना फाइल करना अपेक्षित होगा और केंद्रीय सरकार को कतिपय संव्यवहारों के लिए अधिनियम के अधीन समुच्चय सूचना फाइल करने की अपेक्षा से छूट देने के लिए सशक्त किया जा सके । यह और व्यापारावर्त, संव्यवहार का मूल्य आदि के पदों को परिभाषित करने के लिए स्पष्टीकरण को प्रतिस्थापित करने का उपबंध करता है ।

विधेयक का खंड 7 अधिनियम की धारा 6 का उपबंध करने के लिए है, ताकि तीस दिन के प्रतिनिर्देश का लोप किया जा सके और समुच्चयों के निर्धारण की समग्र समय-सीमा को 210 दिन से कम करके 150 दिन किया जा सके । यह आयोग को पक्षकारों के अतिरिक्त सूचना फाइल करने के या सूचना में त्रुटियों को दूर करने के अनुरोध को पूरा करने के लिए 30 दिन की अधिकतम अवधि के लिए समय-सीमा का विस्तार करने के लिए समर्थ बनाने का उपबंध करता है । यह कतिपय समुच्चयों के लिए पृथक् चैनल बनाने का भी उपबंध करता है, जो अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (4) के अधीन सूचना फाइल करने के लिए समझे गए अनुमोदन के लिए पात्र होंगे ।

विधेयक का खंड 8 अधिनियम की धारा 6 के पश्चात् एक नई धारा 6क अंत:स्थापित करने के लिए है, जिससे यह उपबंध किया जा सके कि उपधारा (2क) में अंतर्विष्ट उपबंध किसी खुले प्रस्ताव को कार्यान्वित करने से या किसी विनियमित स्टॉक एक्सचेंज से कतिपय शर्तों को प्रभावी होने से संव्यवहारों की किसी श्रृंखला के माध्यम से शेयरों या विभिन्न विक्रेताओं से अन्य प्रतिभूतियों में संपरिवर्तनीय प्रतिभूतियों के अर्जन

को प्रभावी करने से नहीं रोकेगी।

विधेयक का खंड 9 धारा 8 का संशोधन करने के लिए है, जो आयोग की संरचना को निर्दिष्ट करती है ताकि प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में ऐसे सदस्यों के लिए अतिरिक्त अर्हता सम्मिलित करके उपधारा (2) का संशोधन किया जा सके ।

विधेयक का खंड 10 अधिनियम की धारा 9 का संशोधन करने के लिए है, जो अध्यक्ष और सदस्यों के लिए चयन समिति की संरचना को निर्दिष्ट करती है और चयन समिति के सदस्यों के लिए प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में जानकारी और अनुभव रखने के लिए भी है ।

विधेयक का खंड 11 अधिनियम की धारा 12 को प्रतिस्थापित करने के लिए है ताकि आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों द्वारा उनके पद छोड़ने की तारीख से दो वर्ष की अवधि के भीतर किसी नियोजन को स्वीकार करने को निर्बंधित किया जा सके ।

विधेयक का खंड 12 अधिनियम की धारा 16 का संशोधन करने के लिए है ताकि आयोग को केंद्रीय सरकार के पूर्वानुमोदन से महानिदेशक नियुक्त करने के लिए सशक्त किया जा सके ।

विधेयक का खंड 13 अधिनियम की धारा 18 को प्रतिस्थापित करने के लिए है, जिससे आयोग को प्रतिस्पर्धा पर प्रतिकूल प्रभाव डालने वाली पद्धतियों का उन्मूलन करने के लिए प्रतिस्पर्धा का संवर्धन करने और बनाए रखने, उपभोक्ता के हितों की संरक्षा करने के लिए सरकार के विभागों या कानूनी निकायों के साथ ज्ञापन या करार करने के लिए समर्थ बनाया जा सके ।

विधेयक का खंड 14 अधिनियम की धारा 19 का संशोधन करने के लिए है ताकि आयोग हेतुक उपदर्शित करने की तारीख से तीन वर्ष से परे कोई सूचना या निर्देश ग्रहण नहीं करेगा । तथापि, आयोग विलंब को माफ कर सकेगा यदि पक्षकारों द्वारा दिए गए कारणों से उसका समाधान हो जाता है ।

विधेयक का खंड 15 "समुच्चय" पद को "संक्रेंद्रण" पद से प्रतिस्थापित करने के लिए और संव्यवहार का मूल्य अंत:स्थापित करने के लिए धारा 20 का संशोधन करने के लिए है ।

विधेयक का खंड 16 अधिनियम की धारा 21 का संशोधन करने के लिए है ताकि उन आधारों का विस्तार किया जा सके, जिन पर कानूनी प्राधिकारी स्वप्रेरणा से आयोग को निर्देश कर सके ।

विधेयक का खंड 17 अधिनियम की धारा 21क का संशोधन करने के लिए है ताकि कानूनी प्राधिकारी आयोग को किसी मुद्दे पर स्वप्रेरणा से निदेश कर सके, जिसमें अधिनियम का उपबंध या इस अधिनियम के उद्देश्यों को संवर्धित करने से संबंधित कोई मुद्दा अंतर्वलित है ।

विधेयक का खंड 18 अधिनियम की धारा 22 का संशोधन करने के लिए है, जो कतिपय निर्देशों का लोप करता है ।

विधेयक का खंड 19 अधिनियम की धारा 26 का संशोधन करने के लिए है, जो

आयोग को कतिपय मामलों को बंद करने के लिए किसी जांच के बिना आदेश पारित करने के लिए ; मामले का अन्वेषण करने के लिए महानिदेशक को निदेश देने के लिए और इस संबंध में कोई आदेश पारित करने के लिए आयोग को समर्थ बनाने के लिए अपने निष्कर्षों की एक अनुपूरक रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए समर्थ बनाता है ।

विधेयक का खंड 20 अधिनियम की धारा 27 का संशोधन करने के लिए है, जो आयोग को गैर-प्रतिस्पर्धा करारों और आय के लिए निर्देश को अंत:स्थापित करते हुए अधिष्ठायी स्थिति के दुरुपयोग के संबंध में आदेश पारित करने के लिए सशक्त करता है ।

विधेयक का खंड 21 अधिनियम की धारा 29 का संशोधन करने के लिए है, जो यह उपबंध करती है कि आयोग धारा 6 की उपधारा (2) के अधीन सूचना की प्राप्ति के 20 दिनों के भीतर अपने प्रथमदृष्ट्या राय बनाएगा और 210 दिनों के बजाय 150 दिनों के भीतर अन्वेषण पूर्ण करने की अवधि को और घटाएगा ।

विधेयक का खंड 22 एक नई धारा 29क अंत:स्थापित करने के लिए है, जो आयोग द्वारा आक्षेपों का विवरण जारी करने के लिए और उपांतरणों के प्रस्ताव के लिए है ।

विधेयक का खंड 23 अधिनियम की धारा 31 का संशोधन करने के लिए है, जो "कतिपय" शब्द का लोप करने के लिए और यह उपबंध करने के लिए है कि यदि आयोग धारा 29 की धारा 1ख के अधीन यथा उपबंधित 20 दिनों के भीतर प्रथमदृष्ट्या कोई राय विरचित नहीं करता है तो समुच्चय अनुमोदित समझा जाएगा और कोई पृथक् आदेश पारित करने की आवश्यकता नहीं होगी ।

विधेयक का खंड 24 अधिनियम की धारा 32 का संशोधन करने के लिए है, जो उसमें धारा 29क का निर्देश करने के लिए है ।

विधेयक का खंड 25 अधिनियम की धारा 35 का संशोधन करने के लिए है, जो अर्थशास्त्र, वाणिज्य, अंतरराष्ट्रीय व्यापार या किसी अन्य विधा से इस मामले से संबंधित किसी विशेषज्ञ की राय को उपलब्ध कराने के लिए आयोग के समक्ष इन क्षेत्रों से विशेषज्ञ को बुलाने के लिए किसी पक्षकार को समर्थ बनाने हेतु उपधारा (2) को अंत:स्थापित करने के लिए है ।

विधेयक का खंड 26 अधिनियम की धारा 41 का संशोधन करने के लिए है, जो अधिनियम के किसी उपबंध के उल्लंघन पर अन्वेषण करने के लिए महानिदेशक को अन्वेषण, जांच, इत्यादि की प्रक्रिया और शक्ति का उपबंध करता है ।

विधेयक का खंड 27 अधिनियम की धारा 42 का संशोधन करने के लिए है, जो "जुर्माने से दंडित होगा", शब्दों के स्थान पर "शास्ति के लिए दायी होगा" शब्दों को रखने के लिए है और अधिनियम की धारा 6, धारा 43, धारा 44 और धारा 45 के निर्देश को करने के लिए है ।

विधेयक का खंड 28 अधिनियम की धारा 42क का संशोधन करने के लिए है, जो धारा 6 का निर्देश करने के लिए है ।

विधेयक का खंड 29 अधिनियम की धारा 43 का संशोधन करने के लिए है, जो "जुर्माने से दंडित होगा", शब्दों के स्थान पर "शास्ति के लिए दायी होगा" शब्दों को रखने के लिए है ।

विधेयक का खंड 30 अधिनियम की धारा 43क का संशोधन करने के लिए है, जो आयोग को समुच्चय के संबंध में जानकारी को अकृत्य करने के लिए शास्ति अधिरोपित करने के लिए सशक्त करने हेतु है ।

विधेयक का खंड 31 अधिनियम की धारा 44 का संशोधन करने के लिए है, जो शास्ति को एक करोड़ रुपए से बढ़ाकर पांच करोड़ रुपए करती है ।

विधेयक का खंड 32 अधिनियम की धारा 45 का संशोधन करने के लिए है, जो "अपराध" शब्द के स्थान पर, "उल्लंघन" शब्द को रखने के लिए है और धारा 6 की उपधारा (6) का निर्देश करने के लिए तथा "जुर्माने से दंडित होगा", शब्दों के स्थान पर "शास्ति के लिए दायी होगा" शब्दों को रखने के लिए है ।

विधेयक का खंड 33, अधिनियम की धारा 46 को प्रतिस्थापित करने के लिए है, जो आयोग को लघु शास्ति अधिरोपित करने के लिए सशक्त करती है, जो विनियमों द्वारा विनिर्दिष्ट की जाए ।

विधेयक का खंड 34, अधिनियम की धारा 47 का संशोधन करने के लिए है, जो आयोग को शास्ति के अतिरिक्त विधिक लागत की वसूली के लिए सशक्त करती है ।

विधेयक का खंड 35, अधिनियम की धारा 48 को प्रतिस्थापित करने के लिए है, जो अधिनियम, नियमों, विनियमों, आदेश के किन्हीं उपबंधों का उल्लंघन या तदधीन जारी या किए गए निदेशों का कंपनी द्वारा किए गए उल्लंघन की दशा में व्यक्ति के दायित्व के लिए, ऐसी शास्ति और कतिपय अन्य उपबंध, जो पिछले तीन पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष के लिए आय की औसत का दस प्रतिशत से अधिक न हो, उपबंध करता है । परिनिर्धारण, प्रतिबद्धता, आदेश और उसके प्रतिसंहरण सहित विधिक लागत की वसूली के संबंध में विभिन्न उपबंधों का उपबंध करने के लिए नई धारा 48क, धारा 48ख और धारा 48ग के अंत:स्थापन के लिए भी है ।

विधेयक का खंड 36, अधिनियम की धारा 49 का संशोधन करने के लिए है, जो प्रतिस्पर्धा समर्थन के आधार की व्यापकता के उद्देश्य से "प्रतिस्पर्धा समर्थन" शब्दों के पश्चात्, "या संस्कृति" शब्द अंत:स्थापित करने के लिए है ।

विधेयक का खंड 37, अधिनियम की धारा 51 का, उसकी उपधारा (1) में एक नया खंड (ङ) अंत:स्थापित करके, संशोधन करने के लिए है, जिससे आयोग, ऐसे अन्य स्रोतों से प्राप्त ऐसी सभी राशियां, जो सरकार द्वारा विनिश्चित की जाएं, प्राप्त कर सके ।

विधेयक का खंड 38, धारा 26 की कतिपय उपधाराओं का संदर्भ देने के लिए, अधिनियम की धारा 53 का संशोधन करने के लिए है ।

विधेयक का खंड 39, अधिनियम की धारा 53ख का, उपधारा (2) में एक परंतुक अंत:स्थापित करके, संशोधन करने के लिए है, जिससे अपील अधिकरण को, जब तक आयोग द्वारा अधिरोपित शास्ति की रकम के पच्चीस प्रतिशत का निक्षेप अपीलार्थी

द्वारा नहीं कर दिया जाता है, अपील स्वीकार नहीं किए जाने के लिए सशक्त किया जा सके ।

विधेयक का खंड 40, अधिनियम की धारा 53ढ का संशोधन करने के लिए है, जिससे अधिनियम की धारा 53न के अधीन अपील अधिकरण के निष्कर्षों के विरुद्ध उच्चतम न्यायालय के आदेशों में प्रतिकर के लिए आवेदन किया जा सके ।

विधेयक का खंड 41, अधिनियम की धारा 53थ का संशोधन करने के लिए है, जिससे यदि किसी व्यक्ति द्वारा अपील अधिकरण के किसी आदेश का उल्लंघन किया जाता है तो धारा 53प के अधीन अवसान कार्यवाहियों का उपबंध किया जा सके ।

विधेयक का खंड 42, अधिनियम में एक नई धारा 59क अंत:स्थापित करने के लिए है, जिससे अधिनियम के अधीन दंडनीय कोई अपराध केवल कारावास से या कारावास से और साथ ही जुर्माने से दंडनीय किसी अपराध का प्रशमन किया जा सके ।

विधेयक का खंड 43, अधिनियम की धारा 63 का संशोधन करने के लिए है, जिससे केंद्रीय सरकार द्वारा नियम बनाने के प्रयोजन के लिए कतिपय उपबंधों का उपबंध किया जा सके ।

विधेयक का खंड 44, अधिनियम की धारा 64 का संशोधन करने के लिए है, जिससे आयोग द्वारा विनियम बनाने के प्रयोजन के लिए कतिपय उपबंधों का उपबंध किया जा सके ।

विधेयक का खंड 45, नई धारा 64क और धारा 64ख अंत:स्थापित करने के लिए है, जिससे विनियम और मार्गदर्शन जारी करने की प्रक्रिया के लिए उपबंध किया जा सके ।

वित्तीय ज्ञापन

विधेयक में भारत की संचित निधि से कोई आवर्ती या अनावर्ती व्यय अन्तर्वलित नहीं है ।

प्रत्यायोजित विधान के बारे में ज्ञापन

विधेयक का खंड 43 प्रतिस्पर्धा अधिनियम, 2002 की धारा 63 का संशोधन करने के लिए है । यह खंड केन्द्रीय सरकार को प्रस्तावित विधान के उपबंधों को कार्यान्वित करने के प्रयोजनों के लिए नियम बनाने के लिए सशक्त करता है । ऐसे नियम अन्य बातों के साथ, (i) धारा 5 के खंड (ङ) के अधीन भारत में अर्जित, नियंत्रित, विलयन या समामेलित किए जाने वाले उद्यमों की आस्तियों या आवर्त के मूल्य; (ii) धारा 5 के स्पष्टीकरण के खंड (ख) के उपखंड (i) के अधीन 26 प्रतिशत से अधिक के मताधिकार के प्रतिशत; (iii) धारा 6 की उपधारा (4) के अधीन संयोजन के लिए मानदंड; (iv) धारा 6 की उपधारा (7) के अधीन मानदंड; (v) धारा 64ख की उपधारा (5) के अधीन मार्गदर्शक सिद्धांतों के प्रकाशन के लिए प्ररूप, का उपबंध करता है ।

विधेयक का खंड 44 प्रतिस्पर्धा अधिनियम, 2002 की धारा 64 का संशोधन करने के लिए है । यह खंड भारत के प्रतिस्पर्धा आयोग को प्रस्तावित विधान के उपबंधों को कार्यान्वित करने के प्रयोजनों के लिए विधेयक और उसके अधीन बनाए गए नियमों के उपबंधों से संगत विनियम बनाने के लिए सशक्त करता है । ऐसे विनियम, अन्य बातों के साथ (i) धारा 5 के खंड (घ) के अधीन भारत में सारवान कारबार संक्रियाओं के अवधारण की रीति; (ii) धारा 6 की उपधारा (4) के अधीन संयोजन के लिए सूचना हेतु प्ररुप और फीस; (iii) धारा 6क के खंड (क) के अधीन अर्जन की सूचना फाइल करने का समय और रीति; (iv) ऐसी रीति और परिस्थितियां, जिनमें अर्जनकर्ता स्वामित्व या हिताधिकारी अधिकार अथवा शेयरों या संपरिवर्तनीय प्रतिभूतियां, जिसमें मतदान अधिकार और लाभांशों की प्राप्ति या कोई अन्य वितरण, जो धारा 6क के खंड (ख) के अधीन अपवाद के रूप में शामिल है, हित का प्रयोग करेगा; (v) ऐसे अन्य ब्यौरे, जो धारा 26 की उपधारा (9) के अधीन 'कारण बताओं' नोटिस में विनिर्दिष्ट किए जाएं; (vi) धारा 27 के खंड (ख) के स्पष्टीकरण के अधीन आवर्त या आय अवधारित करने की रीति; (vii) वह रीति, जिसमें उपांतरण धारा 29क की उपधारा (2) के अधीन आयोग से संयोजन के लिए पक्षकारों द्वारा प्रस्ताव किए जाए; (viii) धारा 46 की उपधारा (1) के अधीन उत्पादक, विक्रेता, वितरक, व्यापारी या सेवा प्रदाता पर अधिरोपित की जाने वाली लघु शास्ति; (ix) धारा 46 की उपधारा (2) के अधीन लघु शास्ति के लिए आवेदन वापस लेने की रीति और समय; (x) धारा 46 की उपधारा (4) के अधीन उत्पादक, विक्रेता, वितरक, व्यापारी या सेवा प्रदाता पर अधिरोपित की जाने वाली लघु शास्ति; (xi) धारा 48 के स्पष्टीकरण के खंड (ग) के अधीन आय अवधारित करने की रीति; (xii) धारा 48क की उपधारा (1) के अधीन आवेदन का प्ररूप और फीस, उपधारा (2) के अधीन समय तथा उपधारा (3) के अधीन कार्यान्वयन और मानीटरी के निबंधन और रीति और उपधारा (6) के अधीन परिनिर्धारण कार्यवाहियां संचालन करने के लिए प्रक्रिया; (xiii) धारा 48ख की उपधारा (1) के अधीन आवेदन का प्ररूप और फीस, उपधारा (2) के अधीन समय तथा उपधारा (3) के अधीन कार्यान्वयन और मानीटरी के निबंधन और रीति और उपधारा (6) के अधीन प्रस्थापित प्रतिबद्धताओं के लिए प्रक्रिया; (xiv) धारा 64क के खंड (क) के अधीन जनता से टीका टिप्पणियां आमंत्रित करने के लिए प्रारुप विनियमों और अवधि के साथ-साथ प्रकाशित

किए जाने वाले अन्य ब्यौरे, का उपबंध करता है ।

प्रस्तावित विधान के अधीन बनाए गए नियमों और विनियमों को संसद के प्रत्येक सदन के समक्ष रखा जाना अपेक्षित होगा ।

वे विषय जिनके संबंध में ऊपर उल्लिखित नियम और विनियम बनाए जा सकेंगे प्रक्रिया और प्रशासनिक ब्यौरे के विषय हैं और इस प्रकार प्रस्तावित विधेयक में ही उनके लिए उपबंध करना व्यवहार्य नहीं है । अतः, विधायी शक्ति का प्रत्यायोजन सामान्य प्रकृति का है ।

उपाबंध

प्रतिस्पर्धा अधिनियम, 2002 (2003 का अधिनियम संख्यांक 12) से उद्धरण

* * * * * *

2. इस अधिनियम में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,— परिभाषाएं।

* * * * * *

(ज) "उद्यम" से ऐसा कोई व्यक्ति या सरकार का विभाग अभिप्रेत है जो वस्तुओं या मालों के उत्पादन, भंडारण, प्रदाय, वितरण, अर्जन या नियंत्रण या किसी प्रकार की सेवाओं की व्यवस्था करने से संबंधित किसी क्रियाकलाप में, या किसी अन्य निगमित निकाय के शेयरों, डिबेंचरों या अन्य प्रतिभूतियों के अर्जन, धारण, हामीदारी या संव्यहार के कारबार में या तो प्रत्यक्ष रूप से या उसकी एक या अधिक इकाइयों या प्रभागों या समनुषंगियों के माध्यम से लगा हुआ है, या लगा रहा है, चाहे ऐसी इकाई या प्रभाग या समनुषंगी उसी स्थान पर स्थित हो जहां उद्यम स्थित है या किसी भिन्न स्थान या भिन्न-भिन्न स्थानों पर स्थित हो, किंतु इसके अंतर्गत सरकार का कोई ऐसा क्रियाकलाप नहीं आता है जो सरकार के संप्रभु कृत्यों जिनके अंतर्गत केन्द्रीय सरकार के परमाणु ऊर्जा, करेंसी, रक्षा तथा अंतरिक्ष से संबंधित विभागों द्वारा किए जाने वाले सभी क्रियाकलाप भी हैं, से संबंधित हैं ।

* * * * * *

(ठ) "व्यक्ति" के अन्तर्गत निम्नलिखित हैं—

* * * * * *

(vi) किसी केन्द्रीय, राज्य या प्रान्तीय अधिनियम द्वारा या उसके अधीन स्थापित कोई निगम या कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 617 में यथापरिभाषित कोई सरकारी कंपनी ; 1956 का 1

* * * * * *

(त) "लोक वित्तीय संस्था" से कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 4क में विनिर्दिष्ट कोई लोक वित्तीय संस्था अभिप्रेत है और इसके अंतर्गत कोई राज्य वित्तीय, औद्योगिक या विनिधान निगम भी है; 1956 का 1

* * * * * *

(न) "सुसंगत उत्पाद बाजार" से ऐसा बाजार अभिप्रेत है जो ऐसे सभी उत्पादों या सेवाओं से मिलकर बना है जो उत्पादों और सेवाओं की विशिष्टताओं, उनकी कीमत और आशयित उपयोग के कारण उपभोक्ता द्वारा अन्तर्निमेय या प्रतिस्थापनीय मानी जाती हैं;

* * * * * *

अध्याय 2

कतिपय करारों, प्रधान स्थिति के दुरूपयोग का प्रतिषेध और समुच्चयों का विनियमन

करारों का प्रतिषेध

प्रतिस्पर्धारोधी करार ।

3. (1) * * * * *

(3) ऐसे उद्यमों या उद्यमों के संगमों या व्यक्तियों अथवा व्यक्तियों के संगमों के बीच या किसी व्यक्ति या उद्यम के बीच किया गया कोई ऐसा करार या किन्हीं उद्यमों के संगम या व्यक्तियों के संगम, जिसमें उत्पादक-संघ भी है, जो तद्रूप या समरूप माल के व्यापार या सेवाओं की व्यवस्था में लगे हुए हैं, द्वारा किया गया कोई ऐसा व्यवहार या विनिश्चय, जो,—

(क) प्रत्यक्षतः या अप्रत्यक्षतः क्रय या विक्रय की कीमतों को अवधारित करता है;

(ख) उत्पादन, प्रदाय, बाजार, तकनीकी विकास, विनिधान या सेवाओं की व्यवस्था को परिसीमित या नियंत्रित करता है;

(ग) बाजार का भौगोलिक क्षेत्र या माल सेवाओं का प्रकार या बाजार में ग्राहकों की संख्या या इसी प्रकार से अन्य आबंटन द्वारा बाजार या उत्पादन स्रोतों या सेवा की व्यवस्था में हिस्सेदारी करता है;

(घ) प्रत्यक्षतः या अप्रत्यक्षतः जिसका परिणाम बोली में धांधली करना या बोली में दुरभिसंधि करना है, तो यह उपधारणा की जाएगी कि इसका प्रतिस्पर्धा पर काफी प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा :

परंतु इस उपधारा की कोई बात संयुक्त उद्यमों के रूप में किए गए किसी करार को लागू नहीं होगी यदि ऐसे करार से किसी माल के उत्पादन, प्रदाय, वितरण, भंडारण, अर्जन या नियंत्रण या सेवाओं के प्रदान करने की दक्षता में वृद्धि होती है ।

स्पष्टीकरण—इस उपधारा के प्रयोजनों के लिए "बोली में भाव बढ़ाना" से उपधारा (3) में निर्दिष्ट ऐसे उद्यमों या व्यक्तियों के, जो तद्रूप या समरूप माल के उत्पादन या व्यापार में या सेवाओं की व्यवस्था में लगे हुए हैं, बीच ऐसा कोई करार अभिप्रेत है जिनका प्रभाव बोली के लिए प्रतिस्पर्धा को समाप्त करना या कम करना या बोली लगाने की प्रक्रिया पर प्रतिकूल प्रभाव डालना या उसे प्रभावित करना हो ।

(4) माल के उत्पादन, प्रदाय, वितरण, भंडारण, विक्रय या कीमत के या उसके व्यवसाय के या सेवाओं की व्यवस्था के संबंध में, विभिन्न बाजारों में उत्पादन श्रृंखला के विभिन्न प्रक्रमों या स्तरों पर उद्यमों या व्यक्तियों के बीच कोई करार, जिसके अंतर्गत,—

(क) इंतजाम करने में सहबद्धता;

(ख) अनन्य प्रदाय करार;

(ग) अनन्य वितरण करार;

(घ) संव्यवहार करने से इंकार;

(ङ) पुनः विक्रय कीमत का अनुरक्षण;

भी है, उपधारा (1) के उल्लंघन में करार तब होगा जब ऐसे करार से भारत में प्रतिस्पर्धा पर काफी प्रतिकूल प्रभाव पड़ता हो या पड़ने की संभावना हो ।

स्पष्टीकरण—इस उपधारा के प्रयोजनों के लिए—

(क) "इन्तजाम करने में सहबद्धता" के अंतर्गत कोई ऐसा करार भी है, जिसमें माल के किसी क्रेता से, ऐसे क्रय की शर्त के रूप में, कोई अन्य माल क्रय करने की अपेक्षा की गई हो;

(ख) "अनन्य प्रदाय करार" के अंतर्गत कोई ऐसा करार है जो किसी अन्य रीति से क्रेता को, उसके व्यापार के अनुक्रम में, विक्रेता या किसी अन्य व्यक्ति के माल से भिन्न किसी माल का अर्जन करने या उसके साथ अन्यथा संव्यवहार करने से निर्बन्धित करता हो;

(ग) "अनन्य वितरण करार" के अंतर्गत, कोई ऐसा करार भी है, जो किसी माल के उत्पादन या प्रदाय को सीमित, निर्बन्धित या रोकने के लिए या माल के व्ययन अथवा विक्रय के लिए किसी क्षेत्र या बाजार का आबंटन करने के लिए हो;

(घ) "संव्यवहार करने से इंकार" के अंतर्गत, कोई ऐसा करार भी है, जिसमें ऐसे व्यक्तियों या व्यक्तियों के वर्ग को, जिन्हें माल का विक्रय किया जाता है या जिनसे माल क्रय किया जाता है, किसी ढंग से निर्बन्धित किया जाता हो या निर्बन्धित करना संभाव्य हो;

(ङ) "पुनः विक्रय की कीमत का अनुरक्षण" के अंतर्गत इस शर्त पर माल विक्रय करने का कोई करार भी है कि पुनः विक्रय पर क्रेता से प्रभारित की जाने वाली कीमत विक्रेता द्वारा अनुबद्ध कीमत होगी, जब तक कि स्पष्ट रूप से यह कथित न किया गया हो कि उन कीमतों से कम कीमत प्रभारित की जा सकेगी ।

* * * * * *

प्रधानस्थिति के दुरूपयोग का प्रतिषेध

4. (1) * * * * * प्रधानस्थिति का दुरूपयोग ।

(2) उपधारा (1) के अधीन, प्रधानस्थिति का दुरूपयोग होगा, यदि कोई उद्यम या कोई समूह—

(क) (i) माल के क्रय या विक्रय में या सेवा की व्यवस्था में; या

* * * * * *

स्पष्टीकरण—इस खंड के प्रयोजनों के लिए, उपखंड (i) में निर्दिष्ट माल के क्रय या विक्रय या सेवा में अनुचित या विभेदकारी शर्त और उपखंड (ii) में निर्दिष्ट माल के क्रय या विक्रय में अनुचित या विभेदकारी कीमत (स्वार्थचालित कीमत सहित) या सेवा के अंतर्गत ऐसी विभेदकारी शर्त या कीमत नहीं आएगी, जो

प्रतिस्पर्धा का सामना करने के लिए अंगीकार की जाए; अथवा

* * * * * *

समुच्चयों का विनियमन

समुच्चय ।

5. एक या अधिक व्यक्तियों द्वारा एक या अधिक उद्यमों का अर्जन अथवा उद्यमों का विलयन या समामेलन ऐसे उद्यमों और व्यक्तियों का समुच्चय होगा, यदि—

* * * * * *

(ग) कोई विलयन या समामेलन, जिसमें,—

* * * * * *

(ii) उस समूह की, जिसका विलयन के पश्चात् बचा उद्यम या समामेलन के परिणामस्वरूप सृजित उद्यम, यथास्थिति, विलयन या समामेलन के पश्चात् होगा, संयुक्त रूप में—

* * * * * *

(आ) भारत में, या भारत के बाहर कुल मिलाकर दो बिलियन अमेरिकी डालर मूल्य से अधिक की आस्तियां हैं जिनके अंतर्गत भारत में कम से कम पांच सौ करोड़ रूपए मूल्य की आस्तियां हैं या छह बिलियन अमेरिकी डालर से अधिक के आवर्त हैं, जिसके अंतर्गत भारत में कम से कम पंद्रह सौ करोड़ रूपए मूल्य के आवर्त हैं ।

स्पष्टीकरण—इस धारा के प्रयोजनों के लिए,—

(क) "नियंत्रण" के अन्तर्गत—

(i) एक या अधिक उद्यम द्वारा, संयुक्त रूप से या एकल रूप से, किसी अन्य उद्यम या समूह के;

(ii) एक या अधिक समूह द्वारा, संयुक्त रूप से या एकल रूप से, किसी अन्य समूह या उद्यम के,

कार्यों या प्रबंध का नियंत्रण करना भी है;

(ख) "समूह" से दो या अधिक ऐसे उद्यम अभिप्रेत हैं जो प्रत्यक्षतः या अप्रत्यक्षतः—

(i) किसी अन्य उद्यम में छब्बीस प्रतिशत या अधिक मत देने के अधिकारों का प्रयोग करने की; या

(ii) किसी अन्य उद्यम में निदेशक बोर्ड के पचास प्रतिशत से अधिक सदस्यों की नियुक्ति करने की; या

(iii) किसी अन्य उद्यम के प्रबंध या कार्यों का नियंत्रण करने की,

स्थिति में है;

(ग) आस्तियों के मूल्य का अवधारण उस वित्तीय वर्ष के, जिसमें प्रस्तावित

विलयन की तारीख आती है, ठीक पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष में उद्यम की संपरीक्षित लेखा बहियों में दर्शित आस्तियों का बही मूल्य लेकर, जिसमें से कोई अवक्षयण घटा दिया जाएगा, किया जाएगा और आस्तियों के मूल्य के अन्तर्गत ब्रांड मूल्य, गुडविल का मूल्य या धारा 3 की उपधारा (5) में निर्दिष्ट प्रतिलिप्यधिकार, पेटेंट, अनुज्ञात उपयोग, सामूहिक चिह्न, रजिस्ट्रीकृत स्वत्वधारी, रजिस्ट्रीकृत व्यापार चिह्न, रजिस्ट्रीकृत उपयोक्ता, श्रुतिसम भौगोलिक उपदर्शन, भौगोलिक उपदर्शन, डिजाइन सा अभिन्यास डिजाइन या समरूप अन्य वाणिज्यिक अधिकारों, यदि कोई हों, का मूल्य भी है ।

6. (1) * * * * * समुच्चयों का विनियमन ।

(2) उपधारा (1) में अंतर्विष्ट उपबंधों के अधीन रहते हुए, कोई ऐसा व्यक्ति या उद्यम, जो किसी समुच्चय में सम्मिलित होने का प्रस्ताव करता है, आयोग को, ऐसे प्ररूप में जो विहित किया जाए, और ऐसी फीस के साथ जो विनियमों द्वारा अवधारित की जाए—

(क) ऐसे उद्यमों के निदेशक बोर्ड द्वारा, जो, यथास्थिति, ऐसे विलयन या समामेलन से संबद्ध है, धारा 5 के खंड (ग) में निर्दिष्ट ऐसे विलयन या समामेलन से संबंधित प्रस्ताव के अनुमोदन के;

(ख) धारा 5 के खंड (क) में निर्दिष्ट अर्जन या उस धारा के खंड (ख) में निर्दिष्ट नियंत्रण का अर्जन प्राप्त करने के लिए किसी करार या अन्य दस्तावेज के निष्पादन के,

तीस दिन के भीतर सूचना देगा] जिसमें प्रस्तावित समुच्चय के ब्यौरे प्रकट होंगे ।

(2क) कोई भी समुच्चय तब तक प्रभावी नहीं होगा जब तक कि उस तारीख से, जिसको उपधारा (2) के अधीन आयोग को सूचना दी गई है, दो सौ दस दिन बीत न गए हों या आयोग ने धारा 31 के अधीन आदेश पारित न कर दिया हो, इनमें से जो भी पूर्वतर हो ।

(3) आयोग, उपधारा (2) के अधीन सूचना प्राप्त करने के पश्चात् ऐसी सूचना का निपटान धारा 29, धारा 30 और धारा 31 के उपबंधों के अनुसार करेगा ।

(4) इस धारा के उपबंध किसी ऋण करार या विनिधान करार की किसी प्रसंविदा के अनुसरण में शेयर अभिधान या वित्तपोषण प्रसुविधा या किसी लोक वित्तीय संस्था, विदेशी संस्थागत विनिधानकर्ता, बैंक या जोखिम पूंजी निधि द्वारा किसी अर्जन को लागू नहीं होंगे ।

(5) उपधारा (4) में निर्दिष्ट लोक वित्तीय संस्था, विदेशी संस्थागत विनिधानकर्ता, बैंक या जोखिम पूंजी निधि, अर्जन की तारीख से सात दिन के भीतर, उस प्ररूप में, जो विनियमों द्वारा विहित किया जाए, अर्जन के ब्यौरे, जिनके अंतर्गत नियंत्रण के ब्यौरे, ऐसा नियंत्रण करने की परिस्थितियां और, यथास्थिति, ऐसे ऋण करार या विनिधान करार से उद्भूत व्यतिक्रम के परिणामों से संबंधित ब्यौरे भी हैं, आयोग को फाइल करेगी ।

स्पष्टीकरण—इस धारा के प्रयोजनों के लिए—

(क) "विदेशी संस्थागत विनिधानकर्ता" पद का वही अर्थ है जो आय-कर अधिनियम, 1961 की धारा 115कघ के स्पष्टीकरण के खंड (क) में है; 1961 का 43

(ख) "जोखिम पूंजी निधि" का वही अर्थ है जो आय-कर अधिनियम, 1961 की धारा 10 के खंड (23चख) के स्पष्टीकरण के खंड (ख) में है । 1961 का 43

* * * * * *

आयोग की संरचना ।

8. (1) * * * * *

(2) अध्यक्ष और प्रत्येक अन्य सदस्य योग्यता, सत्यनिष्ठा और प्रतिष्ठा वाला ऐसा व्यक्ति होगा जिसके पास अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार, अर्थशास्त्र, कारबार, वाणिज्य, विधि, वित्त, लेखाकर्म, प्रबंध, उद्योग, लोक कार्य या प्रतिस्पर्धा संबंधी विषयों में, जिनके अंतर्गत प्रतिस्पर्धा विधि और नीति भी हैं, जो केन्द्रीय सरकार की राय में आयोग के लिए उपयोगी हों, कम से कम पन्द्रह वर्ष का विशेष ज्ञान और वृत्तिक अनुभव है ।

* * * * * *

आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों के लिए चयन समिति ।

9. (1) आयोग के अध्यक्ष और अन्य सदस्यों की नियुक्ति केन्द्रीय सरकार द्वारा ऐसी चयन समिति द्वारा सिफारिश किए गए नामों के पैनल से की जाएगी, जो निम्नलिखित से मिल कर बनेगी:—

* * * * * *

(घ) दो ख्यातिप्राप्त विशेषज्ञ, जिनके पास अंतर्राष्ट्रीय व्यापार, अर्थशास्त्र, कारबार, वाणिज्य, विधि, वित्त, लेखाकर्म, प्रबंध, उद्योग, लोक कार्य या प्रतिस्पर्धा संबंधी विषयों में, जिनके अंतर्गत प्रतिस्पर्धा विधि और नीति भी हैं, विशेष ज्ञान और वृत्तिक अनुभव है—सदस्य ।

* * * * * *

कतिपय मामलों में अध्यक्ष और अन्य सदस्यों के नियोजन पर निर्बंधन ।

12. अध्यक्ष और अन्य सदस्य उस तारीख से जिसको उसका पद धारण करना समाप्त हो जाता है, दो वर्षों की अवधि तक ऐसे किसी उद्यम के, जो इस अधिनियम के अधीन आयोग के समक्ष कार्यवाही में कोई पक्षकार रहा है, प्रबंध य प्रशासन में या उससे संबंधित कोई नियोजन स्वीकार नहीं करेगा :

परन्तु इस धारा की कोई बात केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार या स्थानीय प्राधिकरण के अधीन या किसी केन्द्रीय, राज्य या प्रांतीय अधिनियम द्वारा या उसके अधीन स्थापित किसी कानूनी प्राधिकरण या किसी निगम में या कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 617 में यथापरिभाषित किसी सरकारी कंपनी में किसी नियोजन को लागू नहीं होगी । 1956 का 1

* * * * * *

महानिदेशक आदि की नियुक्ति ।

16. (1) केन्द्रीय सरकार, अधिसूचना द्वारा, इस अधिनियम के किसी भी उपबन्ध के उल्लंघन की जांच करने में आयोग की सहायता करने के प्रयोजन के लिए और ऐसे अन्य कृत्यों का पालन करने के लिए, जो इस अधिनियम द्वारा या उसके अधीन

उपबंधित किए गए हैं या उपबंधित किए जाएं, महानिदेशक नियुक्त कर सकेगी ।

* * * * * *

अध्याय 4

आयोग के कर्तव्य, शक्तियां और कृत्य

आयोग के कर्तव्य ।

18. इस अधिनियम के उपबंधों के अधीन रहते हुए, आयोग का यह कर्तव्य होगा कि वह ऐसे व्यवहारों को समाप्त करे जो प्रतिस्पर्धा पर प्रतिकूल प्रभाव डालते हैं, प्रतिस्पर्धा का संवर्धन करे और उसे बनाए रखे, उपभोक्ताओं के हितों का संरक्षण करे और भारत के बाजारों में अन्य भागीदारों द्वारा किए गए व्यापार की स्वतंत्रता को सुनिश्चित करे :

परंतु आयोग, इस अधिनियम के अधीन अपने कृत्यों के निर्वहन या अपने कर्तव्यों के पालन के प्रयोजनों के लिए केन्द्रीय सरकार के पूर्व अनुमोदन से, किसी विदेशी अभिकरण के साथ कोई ज्ञापन या करार कर सकेगा ।

कतिपय करारों और उद्यम की प्रधान स्थिति की जांच ।

19. (1) आयोग, धारा 3 की उपधारा (1) या धारा 4 की उपधारा (1) में अंतर्विष्ट उपबंधों के किसी अभिकथित उल्लंघन के लिए या तो स्वप्रेरणा से या—

(क) किसी व्यक्ति, उपभोक्ता या उनके संगम या व्यापार संगम से ऐसी रीति में और ऐसी फीस के साथ, जो विनियमों द्वारा अवधारित की जाए, प्राप्त किसी जानकारी पर; या

(ख) केन्द्रीय सरकार या किसी राज्य सरकार या किसी कानूनी प्राधिकारी द्वारा उसे किए गए किसी निर्देश पर,

जांच कर सकेगा ।

* * * * * *

(3) आयोग, यह अवधारित करते समय कि क्या कोई करार धारा 3 के अधीन प्रतिस्पर्धा पर पर्याप्त रूप से प्रतिकूल प्रभाव डालता है, निम्नलिखित बातों में से सभी या किसी पर सम्यक् विचार करेगा, अर्थात्:—

* * * * * *

(ग) बाजार में प्रवेश को प्रतिबंधित करके प्रतिस्पर्धा का पुरोबंध;

(घ) उपभोक्ताओं के लिए फायदों का प्रोद्भवन;

* * * * * *

(7) आयोग, "सुसंगत उत्पाद बाजार" का अवधारण करते समय, निम्नलिखित सभी या किन्हीं बातों का सम्यक् ध्यान रखेगा, अर्थात्:—

(क) माल की भौतिक विशेषाएं या उसका अंतिम उपयोग;

* * * * * *

आयोग द्वारा समुच्चय की जांच ।

20. (1) आयोग अपनी स्वयं की जानकारी या धारा 5 के खंड (क) में निर्दिष्ट अर्जन या धारा 5 के खंड (ख) में निर्दिष्ट नियंत्रण अर्जित करने के लिए या उस धारा के खंड (ग) में निर्दिष्ट विलयन या समामेलन के संबंध में सूचना पर यह जांच कर सकेगा

कि क्या ऐसे समुच्चय से भारत में प्रतिस्पर्धा पर पर्याप्त रूप से प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है या पड़ने की संभावना है :

परन्तु आयोग इस उपधारा के अधीन उस तारीख से जिससे ऐसा समुच्चय प्रभाव में आया है, एक वर्ष की समाप्ति के पश्चात् कोई जांच प्रारंभ नहीं करेगा ।

* * * * * *

(3) धारा 5 में किसी बात के होते हुए भी, केन्द्रीय सरकार, इस अधिनियम के प्रारंभ की तारीख से दो वर्ष की अवधि के समाप्त होने पर और तत्पश्चात् प्रत्येक दो वर्ष में आयोग के परामर्श से, अधिसूचना द्वारा, थोक मूल्य सूचकांक या रूपए या विदेशी करेंसी की विनिमय दर में उतार-चढ़ाव के आधार पर उस धारा के प्रयोजनों के लिए आस्तियों के मूल्य या व्यापारावर्त के मूल्य में वृद्धि या कमी करेगी ।

(4) आयोग यह अवधारणा करने के प्रयोजन के लिए कि क्या सुसंगत बाजार में प्रतिस्पर्धा पर कोई समुच्चय पर्याप्त रूप से प्रतिकूल प्रभाव रखेगा या उसके ऐसा प्रभाव रखने की संभावना है, निम्नलिखित सभी या किन्हीं बातों का सम्यक् ध्यान रखेगा, अर्थात्:—

* * * * * *

(ग) बाजार में समुच्चय का स्तर;

* * * * * *

कानूनी प्राधिकारी द्वारा निर्देश ।

21. (1) जहां किसी कानूनी प्राधिकारी के समक्ष किसी कार्यवाही के दौरान किसी पक्षकार द्वारा यह विवाद्यक उठाया गया है कि ऐसा कोई विनिश्चय, जो किसी कानूनी प्राधिकारी द्वारा किया गया हो या किए जाने के लिए प्रस्थापित हो, वह इस अधिनियम के किसी उपबंध के प्रतिकूल है या होगा वहां ऐसा कानूनी प्राधिकारी ऐसे विवाद्यक की बाबत आयोग को निर्देश कर सकेगा :

परन्तु कोई कानूनी प्राधिकारी स्वप्रेरणा से आयोग को ऐसा निर्देश कर सकेगा ।

* * * * * *

आयोग द्वारा निर्देश ।

21क. (1) जहां आयोग के समक्ष किसी कार्यवाही के दौरान किसी पक्षकार द्वारा यह विवाद्यक उठाया जाता है कि ऐसा कोई विनिश्चय, जो आयोग ने ऐसी कार्यवाही के दौरान लिया है या विनिश्चय लेने का प्रस्ताव करता है, इस अधिनियम के किसी उपबंध के प्रतिकूल है या होगा जिसका कार्यान्वयन किसी कानूनी प्राधिकारी को सौंपा जाता है वहां आयोग ऐसे विवाद्यक के संबंध में कानूनी प्राधिकारी को निर्देश कर सकेगा :

परंतु आयोग स्वःप्रेरणा से कानूनी प्राधिकारी को ऐसा निर्देश कर सकेगा ।

* * * * * *

आयोग की बैठकें ।

22. (1) * * * * *

(3) ऐसे सभी प्रश्नों का, जो आयोग की किसी बैठक के समक्ष आते हैं, विनिश्चय उपस्थित और मत देने वाले सदस्यों के बहुमत द्वारा किया जाएगा और मतों के बराबर होने की दशा में अध्यक्ष या उसकी अनुपस्थिति में अध्यक्षता करने वाले सदस्य का द्वितीय या निर्णायक मत होगा :

परन्तु ऐसी बैठक के लिए गणपूर्ति तीन सदस्यों से होगी ।

* * * * * *

26. (1) * * * * * धारा 19 के अधीन जांच के लिए प्रक्रिया ।

(4) आयोग उपधारा (3) में निर्दिष्ट रिपोर्ट की एक प्रति संबद्ध पक्षकारों को भेज सकेगा :

परंतु यदि अन्वेषण केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार या कानूनी प्राधिकारी से प्राप्त निर्देश के आधार पर कराया जाता है तो आयोग उपधारा (3) में निर्दिष्ट रिपोर्ट की एक प्रति, यथास्थिति, केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार या कानूनी प्राधिकारी को भेजेगा ।

(5) यदि, उपधारा (3) में निर्दिष्ट महानिदेशक की रिपोर्ट यह सिफारिश करती है कि इस अधिनियम के उपबन्धों का कोई उल्लंघन नहीं हुआ है तो आयोग, यथास्थिति, केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार या कानूनी प्राधिकारी या सम्बद्ध पक्षकारों से महानिदेशक की ऐसी रिपोर्ट पर आक्षेप या सुझाव आमंत्रित करेगा ।

* * * * * *

(8) यदि उपधारा (3) में निर्दिष्ट महानिदेशक की रिपोर्ट में यह सिफारिश की गई है कि इस अधिनियम के किन्हीं उपबन्धों का उल्लंघन हुआ है और आयोग की यह राय है कि और जांच कराई जानी चाहिए तो वह इस अधिनियम के उपबन्धों के अनुसार ऐसे उल्लंघन की जांच करेगा ।

27. जहां जांच के पश्चात् आयोग यह पाता है कि धारा 3 में निर्दिष्ट कोई करार अथवा किसी प्रधानस्थिति वाले उद्यम का कार्य, यथास्थिति, धारा 3 या धारा 4 के उल्लंघन में है तो वह निम्नलिखित सभी या कोई आदेश पारित कर सकेगा— करारों या प्रधानस्थिति के दुरूपयोग के संबंध में जांच के पश्चात् आयोग द्वारा आदेश ।

* * * * * *

(ख) प्रत्येक ऐसे व्यक्ति या उद्यमों पर, जो ऐसे करारों या दुरूपयोग के पक्षकार हैं, ऐसी शास्ति अधिरोपित करना, जो वह उचित समझे किंतु वह गत तीन पूर्ववर्ती वित्तीय वर्षों के औसत व्यापारावर्त के दस प्रतिशत से अधिक नहीं होगी :

परंतु किसी उत्पादक संघ के साथ धारा 3 में निर्दिष्ट कोई करार किए जाने की दशा में, आयोग, उस उत्पादक संघ में सम्मिलित प्रत्येक उत्पादक, विक्रेता, वितरक, व्यापारी या सेवा प्रदाता पर ऐसे करार के जारी रहने के प्रत्येक वर्ष के लिए उसके लाभ के तीन गुणा तक या ऐसे करार के जारी रहने के प्रत्येक वर्ष के लिए उसके आवर्त के दस प्रतिशत तक की इनमें से जो भी अधिक हो, शास्ति अधिरोपित कर सकेगा ;

* * * * * *

29. (1) जहां आयोग की प्रथमदृष्ट्या यह राय है कि किसी समुच्चय से भारत में सुसंगत बाजार के भीतर प्रतिस्पर्धा पर पर्याप्त रूप से प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना है या ऐसा प्रभाव पड़ा है, वहां वह समुच्चयों के पक्षकारों को कारण बताने के लिए कि ऐसे समुच्चय के संबंध में अन्वेषण क्यों नहीं किया जाना चाहिए, इस सूचना की प्राप्ति समुच्चयों के अन्वेषण के लिए प्रक्रिया ।

के तीस दिनों के भीतर, उत्तर देने के लिए जारी करेगा ।

* * * * * *

(2) आयोग, यदि प्रथमदृष्ट्या उसकी यह राय है कि समुच्चय से प्रतिस्पर्धा पर पर्याप्त रूप से प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है या ऐसा प्रभाव पड़ने की संभावना है तो समुच्चय के पक्षकारों के उत्तर की प्राप्ति की तारीख से सात कार्य दिवस के भीतर [1][या महानिदेशक से उपधारा (1) के अधीन मांगी गई रिपोर्ट की प्राप्ति, इनमें से जो भी बाद में हो] उक्त समुच्चय के पक्षकारों को ऐसे निदेश से दस कार्य दिवसों के भीतर समुच्चय के ब्यौरे ऐसी रीति से, जो वह समुचित समझे, प्रकाशित करने का निदेश देगा जिससे समुच्चय को जनता की और ऐसे समुच्चयों से प्रभावित व्यक्तियों की या ऐसे व्यक्तियों की जिनके उनसे प्रभावित होने की संभावना है, जानकारी और सूचना में लाया जा सके ।

(3) आयोग, ऐसे किसी व्यक्ति या जनता के सदस्य को, जो उक्त समुच्चय से प्रभावित है या जिसके प्रभावित होने की संभावना है, उस तारीख से, जिसको समुच्चय के ब्यौरे उपधारा (2) के अधीन प्रकाशित किए गए थे, पन्द्रह कार्य दिवसों के भीतर आयोग के समक्ष अपना लिखित आक्षेप फाइल करने के लिए आमंत्रित कर सकेगा ।

(4) आयोग, उपधारा (3) में विनिर्दिष्ट अवधि की समाप्ति से पन्द्रह कार्य दिवसों के भीतर उक्त समुच्चय के पक्षकारों से ऐसी अतिरिक्त या अन्य सूचना, जो वह उचित समझे, मांग सकेगा ।

(5) आयोग द्वारा मांगी गई अतिरिक्त या अन्य सूचना उपधारा (4) में निर्दिष्ट पक्षकारों द्वारा उपधारा (4) में विनिर्दिष्ट अवधि की समाप्ति से पन्द्रह दिनों के भीतर दी जाएगी ।

(6) आयोग, सभी सूचनाओं की प्राप्ति के पश्चात् और उपधारा (5) में विहित अवधि की समाप्ति से पैंतालीस कार्य दिवसों की अवधि के भीतर धारा 31 में अन्तर्विष्ट उपबंधों के अनुसार मामले में कार्यवाही करने के लिए अग्रसर होगा ।

* * * * * *

कतिपय समुच्चयों के संबंध में आयोग के आदेश ।

31. (1) जहां आयोग की यह राय है कि किसी समुच्चय से प्रतिस्पर्धा पर पर्याप्त रूप से प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ता है या ऐसा होने की संभावना नहीं है वहां, वह, आदेश द्वारा समुच्चय का, ऐसे समुच्चय सहित जिसके संबंध में धारा 6 की उपधारा (2) के अधीन सूचना दी गई है, अनुमोदन करेगा ।

* * * * * *

(3) जहां आयोग की यह राय है कि समुच्चय से प्रतिस्पर्धा पर पर्याप्त रूप से प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है या ऐसा प्रभाव पड़ने की संभावना है किन्तु ऐसे प्रतिकूल प्रभाव से ऐसे समुच्चय में उपयुक्त उपांतरण करके बचा जा सकता है वहां वह ऐसे समुच्चय के पक्षकारों को समुच्चय में समुचित उपांतरण प्रस्थापित कर सकेगा ।

(4) ऐसे पक्षकार, जो उपधारा (3) के अधीन आयोग द्वारा प्रस्थापित उपांतरणों को स्वीकार करते हैं, आयोग द्वारा विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर ऐसे उपांतरण को लागू करेंगे ।

(5) यदि समुच्चय के पक्षकार जिन्होंने उपधारा (4) के अधीन उपांतरण को स्वीकार किया है, आयोग द्वारा विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर उपांतरण को लागू करने में असफल रहते हैं तो ऐसा समुच्चय प्रतिस्पर्धा पर पर्याप्त रूप से प्रतिकूल प्रभाव डालने वाला समझा जाएगा और आयोग ऐसे समुच्चय के संबंध में इस अधिनियम के उपबंधों के अनुसार कार्यवाही करेगा ।

(6) यदि समुच्चय के पक्षकार उपधारा (3) के अधीन आयोग द्वारा प्रस्थापित उपांतरण को स्वीकार नहीं करते हैं तो ऐसे पक्षकार, आयोग द्वारा प्रस्थापित उपांतरण के तीस कार्य दिवसों के भीतर आयोग द्वारा उस उपधारा के अधीन प्रस्थापित उपांतरणों में संशोधन प्रस्तुत कर सकेंगे ।

(7) यदि आयोग, उपधारा (6) के अधीन पक्षकारों द्वारा प्रस्तुत किए गए संशोधन से सहमत है तो वह आदेश द्वारा समुच्चय का अनुमोदन करेगा ।

(8) यदि आयोग, उपधारा (6) के अधीन प्रस्तुत संशोधनों को स्वीकार नहीं करता है तो पक्षकारों को अतिरिक्त तीस कार्य दिवसों की ऐसी और अवधि अनुज्ञात की जाएगी जिसके भीतर पक्षकार आयोग द्वारा उपधारा (3) के अधीन प्रस्थापित उपांतरणों को स्वीकार करेंगे ।

(9) यदि पक्षकार, आयोग द्वारा प्रस्थापित उपांतरण को स्वीकार करने में असफल रहते हैं तो उपधारा (6) में निर्दिष्ट तीस कार्य दिवसों के भीतर या उपधारा (8) में निर्दिष्ट अतिरिक्त तीस कार्य दिवसों के भीतर उक्त समुच्चय को पर्याप्त रूप से प्रतिस्पर्धा पर प्रतिकूल प्रभाव डालने वाला समझा जाएगा और उस पर इस अधिनियम के उपबंधों के अनुसार कार्यवाही की जाएगी ।

(10) जहां आयोग ने उपधारा (2) के अधीन यह निदेश दिया है कि समुच्चय प्रभावी नहीं होगा या समुच्चय को उपधारा (9) के अधीन पर्याप्त रूप से प्रतिस्पर्धा पर प्रतिकूल प्रभाव डालने वाला समझा गया है वहां आयोग, ऐसी शास्ति पर, जो अधिरोपित की जाए या ऐसे अभियोजन पर, जो इस अधिनियम के अधीन आरंभ किया जाए, प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, आदेश कर सकेगा कि,—

(क) धारा 5 के खंड (क) में निर्दिष्ट अर्जन; या

(ख) धारा 5 के खंड (ख) में निर्दिष्ट नियंत्रण अर्जित करना; या

(ग) धारा 5 के खण्ड (ग) में निर्दिष्ट विलयन या समामेलन,

प्रभावी नहीं किया जाएगा :

परन्तु आयोग, यदि उपयुक्त समझता है तो, इस उपधारा के अधीन अपने आदेश को प्रभावी बनाने के लिए स्कीम बना सकेगा ।

(11) यदि आयोग, धारा 6 की उपधारा (2) के अधीन आयोग को दी गई सूचना की तारीख से दो सौ दस दिवसों की अवधि की समाप्ति पर उपधारा (1) या उपधारा (2) या उपधारा (7) के उपबंधों के अनुसार कोई आदेश पारित नहीं करता है या निदेश जारी नहीं करता है तो ऐसा समुच्चय आयोग द्वारा अनुमोदित किया गया समझा जाएगा ।

स्पष्टीकरण—इस उपधारा में विनिर्दिष्ट नब्बे कार्य दिवसों की अवधि अवधारित

करने के प्रयोजन के लिए, उपधारा (6) में विनिर्दिष्ट तीस कार्य दिवसों की अवधि और उपधारा (8) में विनिर्दिष्ट [1][दो सौ दस कार्य दिवसों] की अतिरिक्त अवधि को अपवर्जित किया जाएगा ।

(12) जब समुच्चय के पक्षकारों द्वारा समय के किसी विस्तार की मांग की गई है तब नब्बे कार्य दिवसों की अवधि की गणना पक्षकारों के निवेदन पर मंजूर की गई विस्तारित अवधि को घटाने के पश्चात् की जाएगी ।

* * * * * *

भारत से बाहर किए गए ऐसे कार्य जिनका भारत में प्रतिस्पर्धा पर प्रभाव पड़ता है ।

32. आयोग को, इस बात के होते हुए भी कि,—

(क) धारा 3 में निर्दिष्ट कोई करार भारत से बाहर किया गया है; या

(ख) ऐसे करार का कोई पक्षकार भारत से बाहर है; या

(ग) प्रधानस्थिति का दुरूपयोग करने वाला कोई उद्यम भारत से बाहर है; या

(घ) कोई समुच्चय भारत के बाहर अस्तित्व में आया है; या

(ङ) समुच्चय का कोई पक्षकार भारत से बाहर है; या

(च) ऐसे करार या प्रधानस्थिति या समुच्चय से उद्भूत कोई अन्य विषय या व्यवहार या कार्य भारत से बाहर है,

ऐसे करारों या प्रधानस्थिति के दुरूपयोग या समुच्चय की अधिनियम की धारा 19, धारा 20, धारा 26, धारा 29 और धारा 30 के उपबंधों के अनुसार जांच करने की शक्तियां होंगी यदि ऐसे करार, प्रधानस्थिति या समुच्चय से भारत में सुसंगत बाजार में प्रतिस्पर्धा पर पर्याप्त रूप से प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है या पड़ने की संभावना है और इस अधिनियम के उपबंधों के अनुसार ऐसे आदेश पारित करने की जिन्हें वह ठीक समझे, शक्तियां होंगी ।

* * * * * *

आयोग के समक्ष उपसंजात होना ।

35. कोई व्यक्ति या उद्यम या महानिदेशक आयोग के समक्ष अपना पक्ष प्रस्तुत करने के लिए या तो स्वयं उपसंजात हो सकेगा या एक या अधिक चार्टर्ड अकाउंटेंटों या कंपनी सचिवों या लागत लेखापालों या विधि व्यवसायियों या अपने किसी अधिकारी को प्राधिकृत कर सकेगा ।

स्पष्टीकरण—इस धारा के प्रयोजन के लिए—

(क) "चार्टर्ड अकाउंटेंट" से चार्टर्ड अकाउंटेंट अधिनियम, 1949 की धारा 2 की उपधारा (1) के खंड (ख) में यथापरिभाषित चार्टर्ड अकाउंटेंट अभिप्रेत है, जिसने उस अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) के अधीन व्यवसाय प्रमाणपत्र अभिप्राप्त कर लिया है; 1949 का 38

(ख) "कंपनी सचिव" से कंपनी सचिव अधिनियम, 1980की धारा 2 की उपधारा (1) के खंड (ग) में यथापरिभाषित कंपनी सचिव अभिप्रेत है, जिसने उस अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) के अधीन व्यवसाय प्रमाणपत्र अभिप्राप्त कर लिया है; 1980 का 56

1959 का 23

(ग) "लागत लेखापाल" से लागत और संकर्म लेखापाल अधिनियम, 1959 की धारा 2 की उपधारा (1) के खंड (ख) में यथापरिभाषित लागत लेखापाल अभिप्रेत है, जिसने उस अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) के अधीन व्यवसाय प्रमाणपत्र अभिप्राप्त कर लिया है;

(घ) "विधि व्यवसायी" से कोई अधिवक्ता, वकील या किसी उच्च न्यायालय का कोई अटर्नी अभिप्रेत है और इसके अंतर्गत व्यवसायरत प्लीडर भी है ।

* * * * * *

अध्याय 5

महानिदेशक के कर्तव्य

महानिदेशक द्वारा उल्लंघनों का अन्वेषण किया जाना ।

41. (1) * * * * *

1956 का 1

(3) उपधारा (2) के उपबंधों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 240 और धारा 240क, जहां तक हो सके, महानिदेशक या उसके प्राधिकार के अधीन अन्वेषण कर रहे किसी अन्य व्यक्ति द्वारा किए गए अन्वेषण को उसी प्रकार लागू होंगी जैसे वे उस अधिनियम के अधीन नियुक्ति किसी निरीक्षक को लागू होती है ।

स्पष्टीकरण—इस धारा के प्रयोजनों के लिए,—

1956 का 1

(क) कंपनी अधिनियम, 1956 1956 की धारा 240 के अधीन "केंद्रीय सरकार" शब्दों का अर्थ "आयोग" के रूप में लगाया जाएगा;

1956 का 1

(ख) कंपनी अधिनियम, 1956 1956 की धारा 240क के अधीन "मजिस्ट्रेट" शब्द का अर्थ "मुख्य महानगर मजिस्ट्रेट दिल्ली" के रूप में लगाया जाएगा ।

अध्याय 6

शास्तियां

आयोग के आदेशों का उल्लंघन ।

42. (1) * * * * *

(2) यदि कोई व्यक्ति, किसी युक्तियुक्त कारण के बिना, अधिनियम की धारा 27, धारा 28, धारा 31, धारा 32, धारा 33, धारा 42क और धारा 43क के अधीन निकाले गए आयोग के आदेशों या निदेशों का अनुपालन करने में असफल रहेगा तो वह जुर्माने से, जो ऐसे प्रत्येक दिन के लिए, जिसके दौरान ऐसा अननुपालन होता है, दस करोड़ रूपए की अधिकतम सीमा के अधीन रहते हुए जैसा आयोग अवधारित करे, एक लाख रूपए तक का हो सकेगा, दंडनीय होगा ।

(3) यदि कोई व्यक्ति निकाले गए आदेशों या निदेशों का अनुपालन नहीं करेगा या उपधारा (2) के अधीन अधिरोपित जुर्माने का संदाय करने में असफल रहेगा तो वह धारा 30 के अधीन किसी कार्यवाही पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, कारावास से, जिसकी अवधि तीन वर्ष तक की हो सकेगी या जुर्माने से जो 25 करोड़ रूपए तक हो सकेगा या दोनों से, जैसा मुख्य महानगर मजिस्ट्रेट, दिल्ली, उपयुक्त समझे, दंडनीय होगा :

परन्तु मुख्य महानगर मजिस्ट्रेट, दिल्ली, आयोग या उसके द्वारा प्राधिकृत उसके किसी अधिकारी द्वारा फाइल किए गए किसी परिवाद पर के सिवाय, इस धारा के अधीन

किसी अपराध का संज्ञान नहीं लेगा ।

आयोग के आदेशों के उल्लंघन की दशा में प्रतिकर ।

42क. इस अधिनियम के उपबंधों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, कोई व्यक्ति, आयोग द्वारा जारी किए गए निदेशों का उक्त उद्यम द्वारा अतिक्रमण किए जाने या धारा 27, धारा 28, धारा 31, धारा 32 और धारा 33 के अधीन निकाले गए आयोग के किसी विनिश्चय या आदेश का या किसी शर्त या निर्बंधन का जिसके अध्यधीन इस अधिनियम के अधीन किसी विषय के संबंध में कोई अनुमोदन किया गया है, मंजूरी दी गई है, निदेश किया गया है या छूट अनुदत्त की गई है, किसी युक्तियुक्त आधार के बिना, उल्लंघन किए जाने या आयोग के ऐसे आदेशों या निदेशों को कार्यान्वित करने में विलंब किए जाने के फलस्वरूप ऐसे व्यक्ति को हुई किसी दर्शित हानि या नुकसान के लिए उक्त उद्यम से प्रतिकर की वसूली के लिए किसी आदेश के लिए अपील अधिकरण को आवेदन कर सकेगा ।

आयोग और महानिदेशक के निदेशों का अनुपालन करने में असफलता के लिए शास्ति ।

43. यदि कोई व्यक्ति—

(क) धारा 36 की उपधारा (2) या उपधारा (4) के अधीन आयोग द्वारा; या

(ख) महानिदेशक द्वारा, जब वह धारा 41 की उपधारा (2) में निर्दिष्ट शक्तियों का प्रयोग कर रहा हो,

दिए गए निदेश का किसी युक्तियुक्त कारण के बिना पालन करने में असफल रहता है तो ऐसा व्यक्ति जुर्माने से, जो ऐसे प्रत्येक दिन के लिए जिसके दौरान असफलता जारी रहती है, एक करोड़ रूपए की अधिकतम सीमा के अधीन रहते हुए, जैसा आयोग द्वारा अवधारित किया जाए, एक लाख रूपए तक का हो सकेगा, दंडनीय होगा ।

समुच्चयों के संबंध में जानकारी न देने के लिए शास्ति अधिरोपित करने की शक्ति ।

43क. यदि कोई व्यक्ति या उद्यम, धारा 6 की उपधारा (2) के अधीन आयोग को सूचना देने में असफल रहता है, तो आयोग ऐसे व्यक्ति या उद्यम पर, ऐसी शास्ति, जो ऐसे समुच्चय के कुल आवर्त या उसकी आस्तियों के, इनमें से जो भी अधिक हो, एक प्रतिशत तक की हो सकेगी, अधिरोपित करेगा ।

मिथ्या कथन करने या तात्विक सूचना प्रस्तुत करने में लोप के लिए शास्ति ।

44. यदि ऐसा कोई व्यक्ति जो किसी समुच्चय का पक्षकार है,—

* * * * * *

(ख) किसी तात्विक विशिष्टि का, यह जानते हुए कि वह तात्विक है, कथन करने में लोप करता है,

तो ऐसा व्यक्ति ऐसी शास्ति के लिए दायी होगा जो पचास लाख रूपए से कम नहीं होगी किन्तु जो एक करोड़ रूपए तक हो सकेगी जैसा आयोग द्वारा अवधारित किया जाए ।

जानकारी के प्रस्तुतीकरण से संबंधित अपराधों के लिए शास्ति ।

45. (1) धारा 44 के उपबंधों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, यदि कोई व्यक्ति, जो इस अधिनियम के अधीन किन्हीं विशिष्टियों, दस्तावेजों या किसी जानकारी को प्रस्तुत करता है; या प्रस्तुत किए जाने की जिससे अपेक्षा की जाती है,—

(क) कोई ऐसा कथन करता है, या कोई ऐसा दस्तावेज प्रस्तुत करता है जिसको वह जानता है या उसके पास यह विश्वास करने का कारण है कि किन्हीं

तात्त्विक विशिष्टियों में वह मिथ्या है; या

(ख) किसी तात्त्विक तथ्य का, यह जानते हुए कि वह तात्त्विक है, कथन करने में लोप करता है; या

(ग) किसी दस्तावेज में जिसको पूर्वोक्त के अनुसार प्रस्तुत करना अपेक्षित है जानबूझकर फेरबदल करता है, छिपाता है या उसे नष्ट करता है,

तो ऐसा व्यक्ति, जुर्माने से जो एक करोड़ रूपए तक का हो सकेगा, जैसा आयोग द्वारा अवधारित किया जाए, दंडनीय होगा ।

* * * * * *

कम शास्ति अधिरोपित करने की शक्ति ।

46. आयोग, यदि उसका यह समाधान हो जाता है कि उक्त व्यापार संघ में सम्मिलित किसी उत्पादक, विक्रेता, वितरक, व्यापारी या सेवा प्रदाता ने, जिसके बारे में यह अभिकथन किया गया है कि उसने धारा 3 का अतिक्रमण किया है, अभिकथित अतिक्रमण की बाबत पूर्ण सत्य प्रकटन किया है, और ऐसा प्रकटन महत्वपूर्ण है, ऐसे उत्पादक, विक्रेता, वितरक, व्यापारी या सेवा प्रदाता पर इस अधिनियम या नियमों या विनियमों के अधीन उद्ग्रहणीय शास्ति से कम ऐसी शास्ति अधिरोपित कर सकेगा जिसे वह ठीक समझे :

परंतु आयोग द्वारा ऐसे मामलों में कम शास्ति अधिरोपित नहीं की जाएगी जिनमें ऐसा प्रकटन करने से पूर्व धारा 26 के अधीन निदेशित अन्वेषण की रिपोर्ट प्राप्त हो चुकी है :

परंतु यह और कि आयोग द्वारा व्यापार संघ में सम्मिलित ऐसे किसी उत्पादक, विक्रेता, वितरक, व्यापारी या सेवा प्रदाता की बाबत जिसने इस धारा के अधीन पूर्ण, सत्य और महत्वपूर्ण प्रकटन किया है, कम शास्ति अधिरोपित की जाएगी :

परंतु यह भी कि आयोग द्वारा कम शास्ति अधिरोपित नहीं की जाएगी यदि प्रकटन करने वाला व्यक्ति आयोग के समक्ष कार्यवाहियों के पूरा होने तक आयोग का सहयोग करना जारी नहीं रखता है :

परंतु यह भी कि आयोग, यदि उसका यह समाधान हो जाता है कि व्यापार संघ में सम्मिलित ऐसे उत्पादक, विक्रेता, वितरक, व्यापारी या सेवा प्रदाता ने,—

(क) कार्यवाहियों के दौरान उस शर्त का पालन नहीं किया था, जिस पर आयोग द्वारा कम शास्ति अधिरोपित की गई थी; या

(ख) उसने मिथ्या साक्ष्य दिया था; या

(ग) किया गया प्रकटन महत्वपूर्ण नहीं है,

और तदुपरांत ऐसे उत्पापक, विक्रेता, वितरक, व्यापारी या सेवा प्रदाता का ऐसे अपराध के लिए विचारण किया जा सकेगा, जिसकी बाबत कम शास्ति अधिरोपित की गई थी और वह ऐसी शास्ति अधिरोपित किए जाने का भी दायी होगा जिसके लिए, यदि कम शास्ति अधिरोपित नहीं की गई होती, तो वह दायी होता ।

शास्तियों के रूप में वसूल की गई धनराशि का भारत की संचित निधि में जमा किया जाना ।

47. इस अधिनियम के अधीन शास्तियों के रूप में वसूल की गई सभी धनराशियां भारत की संचित निधि में जमा की जाएंगी ।

कंपनियों द्वारा उल्लंघन ।

48. (1) जहां, इस अधिनियम या उसके अधीन बनाए गए किसी नियम, विनियम, आदेश या जारी किए गए निदेश के किसी उपबंध का उल्लंघन करने वाला व्यक्ति कंपनी है, वहां ऐसा प्रत्येक व्यक्ति, जो उल्लंघन किए जाने के समय कंपनी के कारबार के संचालन के लिए कंपनी का, भारसाधाक था और उसके प्रति उत्तरदायी था और साथ ही वह कंपनी भी, ऐसे उल्लंघन के लिए दोषी माने जाएंगे और तद्नुसार अपने विरुद्ध कार्यवाही किए जाने और दंडित किए जाने के दायी होंगे :

परंतु इस उपधारा की कोई बात ऐसे किसी व्यक्ति को किसी दण्ड का दायी नहीं बनाएगी यदि वह यह साबित कर देता है कि उल्लंघन उसकी जानकारी के बिना हुआ था या उसने ऐसे उल्लंघन को रोकने के लिए सभी सम्यक् सावधानी बरती थी ।

(2) उपधारा (1) में किसी बात के होते हुए भी, जहां इस अधिनियम या तद्धीन बनाए गए किसी नियम, विनियम, आदेश या जारी किए गए निदेश के किसी उपबंध का कोई उल्लंघन किसी कंपनी द्वारा किया गया है और यह साबित हो गया है कि ऐसा उल्लंघन कंपनी के किसी निदेशक, प्रबंधक, सचिव या किसी अन्य अधिकारी की सहमति से या मौनानुकूलता से हुआ है या उनकी ओर से जानबूझकर की गई किसी उपेक्षा के कारण हुआ माना जा सकता है वहां ऐसा निदेशक, प्रबंधक, सचिव या अन्य अधिकारी भी उस उल्लंघन का दोषी समझा जाएगा और वह तद्नुसार उसके विरुद्ध कार्यवाही किए जाने और दंडित किए जाने का दायी होगा ।

स्पष्टीकरण—इस धारा के प्रयोजनों के लिए—

(क) "कंपनी" से कोई निगमित निकाय अभिप्रेत है और इसके अंतर्गत कोई फर्म या व्यष्टियों का अन्य संगम भी है; और

(ख) फर्म के संबंध में "निदेशक" से फर्म का भागीदार अभिप्रेत है ।

अध्याय 7

प्रतिस्पर्धा समर्थन

प्रतिस्पर्धा समर्थन ।

49. (1) * * * * *

(3) आयोग, प्रतिस्पर्धा समर्थन के संप्रवर्तन, प्रतिस्पर्धा के मुद्दों के प्रति जागरुकता पैदा करने और प्रशिक्षण देने के लिए सृजित किए जाने वाले उपयुक्त उपाय करेगा ।

* * * * * *

अध्याय 8क

प्रतिस्पर्धा अपील अधिकरण

अपील अधिकरण की स्थापना ।

53क. केन्द्रीय सरकार निम्नलिखित के लिए अधिसूचना द्वारा प्रतिस्पर्धा अपील अधिकरण के नाम से ज्ञात एक अपील अधिकरण की स्थापना करेगी—

(क) आयोग द्वारा इस अधिनियम की धारा 26 की उपधारा (2) और उपधारा (6), धारा 27, धारा 28, धारा 31, धारा 32, धारा 33, धारा 38, धारा 39 धारा 43, धारा 43क, धारा 44, धारा 45 या धारा 46 के अधीन जारी किए गए किसी निदेश या किए गए विनिश्चय या पारित किए गए आदेश के विरुद्ध अपीलों की सुनवाई करना और उनका निपटारा करना;

* * * * * *

53ख. (1) * * * * * अपील अधिकरण को अपील ।

(2) उपधारा (1) के अधीन प्रत्येक अपील उस तारीख से, जिसको आयोग द्वारा दिए गए निदेश या किए गए विनिश्चय या पारित आदेश की प्रति केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार या स्थानीय प्राधिकारी या उद्यम या उस उपधारा में निर्दिष्ट किसी व्यक्ति को प्राप्त होती है, साठ दिन की अवधि के भीतर फाइल की जाएगी और वह ऐसे प्ररूप में होगी और उसके साथ ऐसी फीस होगी, जो विहित की जाए :

परंतु अपील अधिकरण साठ दिन की उक्त अवधि के अवसान के पश्चात् भी किसी अपील को ग्रहण कर सकेगा यदि उसका यह समाधान हो जाता है कि उस अवधि के भीतर उसके फाइल न किए जाने के पर्याप्त कारण थे ।

* * * * * *

53ढ. (1) इस अधिनियम के किन्हीं अन्य उपबंधों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार या स्थानीय प्राधिकारी या कोई उद्यम या कोई व्यक्ति अपील अधिकरण को ऐसे प्रतिकर के दावे का न्यायनिर्णयन करने के लिए, जो आयोग के निष्कर्षों या आयोग के किसी निष्कर्ष के विरुद्ध किसी अपील में अपील अधिकरण के आदेशों या अधिनियम की धारा 42क के अधीन या धारा 53थ की उपधारा (2) के अधीन उद्भूत होता है, और किसी उद्यम द्वारा किए गए अध्याय 2 के उपबंधों के किसी उल्लंघन के परिणामस्वरूप केन्द्रीय सरकार, या राज्य सरकार या स्थानीय प्राधिकारी या किसी उद्यम या किसी व्यक्ति को हुई किसी हानि या नुकसानी के लिए उस उद्यम से प्रतिकर की वसूली के लिए आदेश पारित करने के लिए आवेदन कर सकेगा । प्रतिकर का दिया जाना ।

(2) उपधारा (1) के अधीन किए गए प्रत्येक आवेदन के साथ आयोग के निष्कर्ष, यदि कोई हों, होंगे और ऐसी फीस भी होगी जो विहित की जाए ।

* * * * * *

स्पष्टीकरण—शंकाओं को दूर करने के लिए, यह घोषित किया जाता है कि,—

(क) अपील अधिकरण के समक्ष प्रतिकर के लिए आवेदन केवल अधिनियम की धारा 53क की उपधारा (1) के खंड (क) के अधीन या तो आयोग या अपील अधिकरण द्वारा उसके समक्ष कार्यवाही में यह अवधारित किए जाने के पश्चात् ही किया जा सकेगा कि अधिनियम के उपबंधों का अतिक्रमण हुआ है या यदि धारा 42क या धारा 53थ की उपधारा (2) के उपबंध लागू होते हैं;

(ख) उपधारा (3) के अधीन की जाने वाली जांच, प्रतिकर के लिए आवेदन करने वाले व्यक्ति की पात्रता और उसको शोध्य प्रतिकर की मात्रा का अवधारण करने के प्रयोजनों के लिए होगी और न कि आयोग या अपील अधिकरण के

निष्कर्षों की इस बारे में नए सिरे से जांच करने के लिए कि क्या अधिनियम का कोई अतिक्रमण हुआ है ।

* * * * * *

अपील अधिकरण के आदेशों का उल्लंघन ।

53थ. (1) इस अधिनियम के उपबंधों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, यदि कोई व्यक्ति किसी युक्तियुक्त आधार के बिना, अपील अधिकरण के किसी आदेश का उल्लंघन करेगा तो वह शास्ति से, जो एक करोड़ रूपए से अधिक की नहीं होगी या कारावास से, जिसकी अवधि तीन वर्ष तक की हो सकेगी, या दोनों का, जैसा मुख्य महानगर मजिस्ट्रेट दिल्ली, ठीक समझे, भागी होगा :

परंतु मुख्य महानगर मजिस्ट्रेट, दिल्ली, इस उपधारा के अधीन दंडनीय किसी अपराध का संज्ञान, अपील अधिकरण द्वारा प्राधिकृत अधिकारी द्वारा किए गए परिवाद के सिवाय, नहीं करेगा ।

* * * * * *

नियम बनाने की शक्ति ।

63. (1) * * * * *

(2) विशिष्टतया और पूर्वगामी शक्ति की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना ऐसे नियम निम्नलिखित सभी या उनमें से किसी के लिए उपबंध कर सकेंगे, अर्थात्:—

(क) चयन समिति की अवधि और धारा 9 की उपधारा (2) के अधीन नामों के पैनल के चयन की रीति;

* * * * * *

विनियम बनाने की शक्ति ।

64. (1) * * * * *

(2) विशिष्टतया और पूर्वगामी उपबंधों की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, ऐसे विनियम निम्नलिखित सभी या उनमें से किसी के लिए उपबंध कर सकेंगे, अर्थात्:—

* * * * * *

(ग) वह प्ररूप जिसमें धारा 6 की उपधारा (5) के अधीन अर्जन के ब्यौरे दाखिल किए जाएंगे;

* * * * * *